Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११ ] द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १९६१ का नवम् दिवस [ संख्या ७



मंगलवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

तारांकित प्रश्नोत्तर

( शिक्षा, राजस्व, समाज-कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, खनिज, जल प्रदाय, देवस्थान तथा उपनिवेशन-विभाग )

**श्री अध्यक्ष : प्रश्न।**

**पंचायत समितियों के अधीन अध्यापक**

१८२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना लागू होने के पश्चात् पंचायत समितियों के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों को पदोन्नति दिये जाने के लिये सरकार द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान के किसी जिले में किसी भी पंचायत समिति के अध्यापक को अभी तक इन्सपेक्टोरेट के द्वारा पदोन्नति नहीं दी गई है जब कि सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों के जूनियर अध्यापकों को भी पदोन्नति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो किस किस जिले में कितने अध्यापकों को पदोन्नति दी गई है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

**उपमन्त्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) :** (१) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना लागू होने के पश्चात् पंचायत समितियों के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति सरकार द्वारा की जावेगी, लेकिन इसका तरीका अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) यह ठीक है कि राजस्थान के किसी भी जिले में किसी भी पंचायत समिति के अध्यापकों को अभी तक इन्सपेक्टोरेट द्वारा पदोन्नति नहीं दी गई है।

(३) अध्यापकों को कम से कम मैट्रिक ग्रेड १-४-५९ से दिये जाने के आदेश दिये

Page No.2



(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

गये हैं और मैट्रिक से अधिक योग्यता वाले अध्यापकों को पदोन्नति करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह :** जिन अध्यापकों का अभी तक इन्क्रीमेंट हो जाना चाहिए था गवर्नमेंट स्कूल्स के अन्दर उनके स्थान पर यदि दूसरे लोगों को प्रमोशन मिल गया, उस स्थिति में इन लोगों का चान्स मारा जायगा. इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** प्रोमोशन्स डिपार्टमेंट से टेम्पोरेरी होते हैं, और बहुत सी ग्रेड्स हैं जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्शन होता है, क्योंकि इन्टर के ऊपर के ग्रेड्स का पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्शन करता है। इन्टर ग्रेड का प्रमोशन जो होता है वह टेम्पोरेरी होता है। अभी १२ महीने हुए हैं और जल्दी ही जितने भी मामले हैं तय करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह :** इन्सपेक्टर की ग्रेड का नहीं, टीचर्स की ग्रेड का निवेदन कर रहा हूँ।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने भी टीचर्स का निवेदन किया है।

**श्री भैरोंसिंह :** जो टीचर्स अभी के गवर्नमेंट स्कूल में होते तो उनका प्रोमोशन हो जाता। उनके स्थान पर जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में रह गये हैं पंचायत समितियों के बजाय उनका प्रोमोशन हो गया उनके स्थान पर। उस स्थिति में उन टीचर्स का हक मारा गया है आपका कानून या नियम नहीं बनने के कारण। उन लोगों का चुनाव करने के लिए या दुबारा पोस्ट पर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** प्रोमोशन्स जितने भी होते हैं वे टेम्पोरेरी होते हैं। अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, करीब डेढ़ साल का अर्सा हुआ है अभी तक। इस दर्म्यान में तय कर देंगे, इसलिए उनके कन्फर्म होने का प्रश्न नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** प्रोमोशन जो आप करेंगे वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा क्या ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** यह तो निर्णय होने पर बताया जा सकेगा, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह :** जब स्थान की पूर्ति हो जायेगी उसके बाद में किस प्रकार से प्रमोशन देंगे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** वह व्यवस्था तब की जायगी।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह नहीं है कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हमने ऐसे ऑर्डर्स भेज दिये हैं जिनके द्वारा पंचायत समिति के अध्यापकों को इन्सपेक्टर जिस समय उनके अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में वेकेन्सी हो, प्रोमोशन देकर नियुक्त करेंगे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** ऐसा आश्वासन कैसे दे सकता था क्योंकि मामला तब तक तय नहीं हुआ था।

Page No.3



**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर्स ने पंचायत समितियों के टीचर्स को प्रोमोशन देकर सरकारी स्कूलों के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इसका जवाब अध्यक्ष महोदय, मैं भाग (२) में दे चुका हूँ कि नहीं दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या अभी तक इन्सपेक्टर्स ने इस प्रकार से ट्रान्सफर किये हैं:मसलन सीकर जिले में ६ अध्यापकों को पंचायत समिति से लेकर गवर्नमेंट स्कूलों में लिया है, यह उनकी अनुचित कार्यवाही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** नये सिरे से एप्लाई किया होगा।

**श्री भैरोंसिंह :** नये सिरे से नहीं किया है। पंचायत समिति से उनको लिया है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने निवेदन किया है कि मैंने (२) में उत्तर दिया है कि सरकार का निर्णय नहीं हुआ है। वह किन परिस्थितियों में हुआ है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) :** सामान्य न्याय का दृष्टिकोण यह है कि अपने स्कूल्स में जिन टीचर्स को मिलना चाहिए था प्रोमोशन और चूंकि अब वे पंचायत समिति में चले गये हैं और गवर्नमेंट नयों को प्रमोशन दे तो सीनियोरिटी के हिसाब से वे पीछे रह जाते हैं। न्यायसंगत बात तो यह है कि पंचायत समिति के जो टीचर्स हैं उनको एडजस्ट किया जायगा। सीनियोरिटी के हिसाब से उनको बराबर प्रोमोशन मिलेगा और वह सारा रहेगा।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने अपने उत्तर में निवेदन कर दिया है कि सरकार यह चाहती है कि इनका नियम बनाकर उनकी पदोन्नति डिपार्टमेंट में दी जाय। इस तरह से सरकार के वाजिब या गैर वाजिब समझने का प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री भैरोंसिंह :** अब तक जिन लोगों की पदोन्नति हो चुकी है इन्सपेक्टर्स के द्वारा, तो क्या यह समझा जाय कि यह कार्यवाही गलत हुई है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** अध्यक्ष महोदय,मैंने जवाब 'नहीं' में दिया है कि पदोन्नति नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने अभी अभी बताया है कि कुछ का हुआ है,यह अलग केस है। उसकी सूचना मेरे पास नही है कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। मैंने निवेदन किया था कि मेरी जानकारी में लाया गया तो इसके बाद में यह सवाल उठेगा।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या इन्सपेक्टर को इस प्रकार का अधिकार नहीं था कि पंचायत समितियों के अध्यापकों के प्रोमोशन के नाम पर पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में से उनके अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में स्थानान्तरित कर दे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** अध्यक्ष महोदय एक ही प्रश्न को चार तरह से पूछ कर हां करवाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि ऐसे अधिकार नहीं हैं। वह अभी विचाराधीन है। फैसला नहीं हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह :** कब तक फैसला हो जायगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : निश्चित तारीख तो नहीं दी जा सकती है लेकिन फैसला जल्दी ही हो जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : अभी चित्तौड़ में अध्यापक संघ की कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें डाइरेक्टर ऑफ एज्युकशन और माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे। उन्होंने वहां आश्वासन दिया था और उस आश्वासन के मुताबिक सक्यूर्लर्स इश्यू किये गए थे और वे सक्यूर्लर्स इन्सपेक्टर्स के पास चले गये और उसके बाद में उन्होंने जिसको चाहा प्रमोशन देना शुरू कर दिया। या तो यह समझा जाय कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने यह कहा था कि पंचायत समितियों के अध्यापकों की पदोन्नति में ले लिया जायगा। उस डिबेट को उठाकर देख लीजिये। उन्होंने किस तरह के पदोन्नति की व्यवस्था कर दी है और उस व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही इन्सपेक्टर्स ने चालू कर दी। उन्होंने सदन में जो आश्वासन दिया था और चित्तौड़ में जो माननीय मुख्य मंत्री से दिलवाया उनको गलत समझा जाय या जो आज आप बात कह रहे हैं कि ऑर्डर्स इश्यू नहीं किये गये क्योंकि रूल्स वगैरह नहीं बने हैं, इसको ठीक समझा जाय। कौन सी स्थिति को ठीक समझा जाय?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने क्या किया? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या आश्वासन दिया उसकी मुझे इनफॉर्मेशन नहीं है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्थिति यह है कि वह अभी तक नहीं हो पाया है। चार-पांच मीटिंग्स हो चुकी हैं, विकास विभाग के और हमारे बीच में। इस दरम्यान में विकास विभाग ने सक्यूर्लर निकाल दिया था लेकिन एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के पोइन्ट ऑफ व्यू से फिर पुनर्विचार किया जा रहा है। वह बहुत जल्दी तय हो जायगा। यह वाजिब मामला है सरकार महसूस करती है।

**श्री मुरलीधर व्यास** सरकार द्वारा जब यह आश्वासन दिया जा रहा है कि वाजिब मामला है तो क्या सरकार उसके पक्ष में फैसला करेगी कि उनकी सीनियोरिटी नहीं जायगी?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप मेरे उत्तर को समझते तो ठीक रहता।

**प्रश्न संख्या १८३**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित—कृपाया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या १८४**

श्री लादूराम जुलाणिया।

(अनुपस्थित)

**बीकानेर डिवीजन में निर्माण कार्य**

१८५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) बीकानेर डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन से निर्माण कार्य रखे गये थे तथा उसमें कहां-कहां कुल कितनी-कितनी धनराशि लगाने की योजना थी? अब तक कौन-कौन से कार्य पूरे हो गये हैं तथा कौन-कौन से कार्य द्वितीय योजना के अन्त तक समाप्त नहीं हो सके? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) जो काम योजना के अन्त तक पूरे नहीं हुए इसका क्या कारण है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ पाई है। अगले टर्न पर दूंगा।

### हैड मास्टर द्वारा छात्र अध्यापकों के वेतन में से कटौती

१८६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि एस. टी. सी. स्कूल, गंगाशहर (बीकानेर) के भूतपूर्व हैड मास्टर वहां के अध्यापक-छात्रों की छुट्टियों तथा अनुपस्थिति के दिनों का वेतन जुर्माना कह कर उनके मासिक वेतन में से काट लेते थे? यदि हां, तो इस प्रकार का कितना जुर्माना अध्यापक छात्रों का कब-कब का हैड मास्टर द्वारा कब कब जमा करवाया गया? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि इस विषय में अध्यापक-छात्रों द्वारा संचालक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को लिखित में शिकायत की गई थी? यदि हां तो उनकी इस शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई और उसका क्या परिणाम रहा? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह सत्य है कि इस संस्था के अध्यापक छात्रों ने संचालक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को इस प्रकार की कोई शिकायत की थी कि इनका अवकाश किसी साइक्लोस्टाइल किए हुए फॉर्म में लिखकर देने पर ही स्वीकृत होता है तथा इस फॉर्म के स्कूल द्वारा ६ न. पै. मूल्य वसूल किये जाते हैं? यदि हां, तो अवकाश के लिये यह निश्चित फॉर्म सरकार द्वारा कब किस आदेश से, किस विभाग के लिये स्वीकृत हुआ तथा इस फॉर्म से एस.टी.सी. स्कूल, गंगाशहर (बीकानेर) को क्या आय हुई? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) यह सत्य नहीं है कि एस. टी. सी. स्कूल, गंगाशहर, बीकानेर के भूतपूर्व हैडमास्टर ने छात्राध्यापकों की छात्रवृत्ति में से उनकी छुट्टियों तथा अनुपस्थिति के दिनों का वेतन जुर्माना के रूप में काटा है। ऐसे छात्राध्यापक जो अवकाश के दिनों की छात्रवृति के हकदार नहीं होते थे उनकी रकम काटी गई जो चालान नं. ११ दिनांक ४-४-६० के द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दी गई। जिसकी तालिका संलग्न है।

(ख) जी नहीं। क्योंकि ऐसी रकम जुर्माने के रूप में नहीं काटी गई, अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) छात्राध्यापकों द्वारा ऐसी कोई शिकायत पहले प्राप्त नहीं हुई कि उनके अवकाश की स्वीकृति केवल साइक्लोस्टाइल फॉर्म पर ही भर कर देने से होती थी जिनके ६ नये पैसे लगते थे। साइक्लोस्टाइल पत्र पर ही अवकाश की प्रार्थना करना अनिवार्य नहीं था। इसमें कोई तथ्य नहीं है कि पैसे वसूल किये जाते थे। छात्राध्यापकों की सुविधा हेतु साइक्लोस्टाइल आवेदन तैयार करवाये गये थे जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि ऐसी शिकायत पहले नहीं आई तो क्या आज से पहले नहीं आई या प्रश्न पूछने से पहले

# Page No.6



श्री (भैरोंसिंह)
नहीं आई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप द्वारा प्रश्न पूछने पर ही यह शिकायत हुई। उन लोगों से कोई शिकायत नहीं आई।

**प्रश्न संख्या १८७**

**श्री अध्यक्ष** : श्री अनूपसिंह।

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

**महाराजा संस्कृत कॉलेज, श्री रामनारायण चतुर्वेदी की नियुक्ति**

**१८८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि महाराजा संस्कृत कॉलेज में वेद विषय को पढ़ाने के लिए जुलाई सन् १९६० को श्री रामनारायण चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री चतुर्वेदी, नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु के ( ओवर एज ) थे ? यदि हां तो फिर इनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि वेद विषय को पढ़ने वाला एक भी विद्यार्थी इस कालेज में नहीं है ? यदि हां तो इनकी नियुक्ति क्यों की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त श्री चतुर्वेदी डिपार्टमेंटल परीक्षा के रजिस्ट्रार द्वारा ली गई 'वेद' की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे ? यदि हां, तो फिर इन्हें किस प्रकार नियुक्त किया गया ?

**उपमन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) जी हां यह सही है किन्तु बनारस से वेदाचार्य होने के कारण उनकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं थी।

**जीलाधीश के समक्ष हुई अपीलों में सरकारी वकील की नियुक्ति**

**१८९. श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर की तहसीलों में दफा ९१ लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमों के फैसले तहसीलदार द्वारा ही किये जाते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिसके खिलाफ फैसला होता है और वह अपील में कलेक्टर के पास आता है तो रेस्पोन्डेन्ट की ओर तरफ से वास्ते बहस के वे ही तहसीलदार आते हैं जिन्होंने यह हुक्म दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने जो आज्ञा दी है वह न्यायाधीश की हैसियत से दी है और वापिस अपील में बहस के लिये उन्हीं तहसीलदारों को नहीं जाना चाहिए ?

(४) क्या यह सही है कि जिसमें सरकार का हित होता है उसमें सरकार की तरफ से वकील मुकर्रर किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो फिर ९१ लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश के समक्ष हुई अपीलों में वकील क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता है ?

**राजस्व मंत्री** ( श्री दामोदरलाल

# Page No.7



( श्री दामोदरलाल व्यास )

व्यास ) : (१) जी हां।

(२) जी हां। इस संबंध में सरकार की हिदायतें हैं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ९१ के तहत जिस मामले में तहसीलदार ने निर्णय दिया है उस केस की जिलाधीश के समक्ष अपील होने पर तहसीलदार स्वयं पैरवी के लिये उपस्थित न होकर नायब तहसीलदार या गिरदावर कानूनगो आदि को पैरवी करने के लिये भेजे।

( ) कानून के अनुसार तो तहसीलदार द्वारा अपील के समय बहस करने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उनका सम्मान रखने के कारण सरकार ने उनको जाने से मना कर दिया है।

(४) ऐसे केसेज जो उलझनपूर्ण हों या जिनमें कोई विशेष कानूनी योग्यता आवश्यक हो उनमें जिलाधीश को वकील नियुक्त किये जाने के अधिकार हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिन केसेज में तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ अपील हुई है उनमें बहस करने के लिये तहसीलदार खुद क्यों जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि कानून में रुकावट नहीं है, महज तहसीलदार का सम्मान कायम रखने को हमने कहा है कि वह नायब-तहसीलदार गिरदावर कानूनगो को भेज सकता है। कानूनी तौर पर तहसीलदार के स्वयं बहस करने में रुकावट नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो फैसला करता है उसके खिलाफ अपील होने पर वह स्वयं बहस करने जावे, क्या यह उचित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा अच्छा यह है कि कानूनी दृष्टि से खुद सोचें।

**श्री मंडन मिश्र के विरुद्ध शिकायतें**

**१९०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संस्कृत कॉलेज जयपुर के प्राध्यापक, श्री मदनलाल 'मंडन मिश्र" के विरुद्ध दिनांक १३ जुलाई, १९६० को कोई शिकायत आचरण सम्बन्धी संचालिका, महिला सदन, अजमेर जरिये समाज-कल्याण विभाग प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री मंडन मिश्र ने दिनांक १३-७-६० को संस्कृत कॉलेज में ६ बजकर ४५ मिनट पर हाजरी बना कर बिना अनुमति प्राप्त किए ही अजमेर प्रस्थान किया जिसकी शिकायत प्रिन्सिपल महोदय ने संचालक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को की ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) समाज-कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार दुराचरण की शिकायत किये जाने पर भी राज्य सरकार ने इन्हें मुअत्तिल क्यों नहीं किया और फौजदारी केस क्यों नहीं चलाया गया ?

(घ) क्या श्री मंडन मिश्र के इस सम्पूर्ण व्यवहार को सरकार उचित मानती है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

# Page No.8



उप-मन्त्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (१) हां संस्कृत कॉलेज, जयपुर के प्राध्यापक श्री मदनलाल शर्मा मंडन मिश्र के विरुद्ध शिकायत संचालिका, महिला सदन, अजमेर जरिये समाज-कल्याण विभाग प्राप्त हुई थी। उस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा जांच की गई थी, किन्तु श्री मिश्र पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(ख) यह सही है। श्री मिश्र को भविष्य में ऐसा न करने के आदेश दिये गये हैं तथा इसके लिये उन्हें हिदायत कर दी गई है।

(ग) समाज-कल्याण विभाग ने जो शिकायत की थी उसमें लिखा था कि श्री मिश्र को पुलिस में हैंड ओवर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे श्री मिश्र को मुअत्तिल करना उचित नहीं समझा गया। फौजदारी केस न चलाने का कारण यह है कि रिपोर्ट में लिखी गई इस बात की कि श्री मिश्र को पुलिस में हैंड ओवर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जा रहा है, पुष्टि पुलिस ने नहीं की, बल्कि पुलिस ने तारा सांखला द्वारा ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उसमें भी इन्कार किया है।

(घ) तत्सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट मय बयानात के सरकार को प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाकर यह तय किया गया है कि यह मुआमला दाखिल दफ्तर किया जावे। ऐसी दशा में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किसने की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अधिकारी का नाम मुझे मालूम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिसने जांच की, उसने संचालिका, समाज-कल्याण विभाग, अजमेर जिसने कि शिकायत की थी, उसके बयान नहीं लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके बयान नहीं हुए हैं, लेकिन उसने शिकायत की हो कि मेरा बयान नहीं लिया गया है या इसकी आवश्यकता थी, ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है। जब तारा सांखला से पूछा गया कि किसको गवाह में पेश करना चाहती हो तो उसने कहा कि कोई गवाह पेश करना नहीं चाहती, न गवाह मेरे पास है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिकायत संचालिका, समाज-कल्याण विभाग, अजमेर ने की थी, तो क्या जिसने शिकायत की थी उससे जांच करने की आवश्यकता नहीं थी और उसके बयान लेने की आवश्यकता भी नहीं थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अवाश्यकता थी या नहीं, यह तो केस की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी होती है तो उस हालत में जानकारी आवश्यक है। मान लीजिये तारा सांखला ने अर्जी दी और संचालिका, समाज-कल्याण विभाग ने फॉर्वर्ड किया था इसलिए उसकी गवाही जरूरी नहीं थी। इसके बावजूद भी यदि वह इसे जरूरी समझती थी तो तारा सांखला को अधिकार था कि वह बुलाने के लिये कहती, तो उनके बयान जरूर लेते।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

( श्री मोहरसिंह )

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

बीकानेर में बिजली के बिल

१६२. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर में बिजली के बिलों पर कन्ज्यूमर की क्लास और चार्ज की जाने वाली रोशनी की दर क्यों नहीं लिखी जाती ?

(ख) इस तरह की व्यवस्था से उपभोक्ता को कैसे पता चल सकता है कि उसको किस क्लास में रखा गया है और जो बिल बना है वह सही है अथवा गलत ?

विद्युत मन्त्री ( श्री हरिश्चन्द्र) : (क) बीकानेर में बिल उसी प्रकार से बनाये जाते हैं जैसे कि अन्य स्थानों पर। प्रायः बिलों में जितने यूनिट चार्ज किये जाते हैं और उनकी जो रकम बनती हैं वह दिखाते हैं। जब कभी दरों में रद्दोबदल होती है तब सब लोगों को सूचना दे दी जाती है।

(ख) कन्ज्यूमर की क्लास तो अर्जी में ही अंकित होती है और उसका फॉर्म उस ही प्रकार का संकेत करता है। उसमें रद्दोबदल भी बिना कन्ज्यूमर को जानकारी के नहीं की जाती।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने खास कर बीकानेर के बारे में कहा था, लेकिन आपने जनरल कह दिया कि सारे राजस्थान का इस प्रकार का है। बीकानेर के बिलों में न तो क्लास दर्ज है, न कन्ज्यूमर का कितना चार्ज है वह भी दर्ज नहीं रहता। इस प्रकार से वह नहीं है। यदि आपको सूचना दें तो क्या इस पर इन्क्वायरी करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि रेट बिल पर नहीं होती है, रेट अनाउन्स की जाती है, एडवर्टाइज की जाती है, पत्रों में पब्लिसिटी होती है, लेकिन जितने यूनिट कन्ज्यूम करते हैं वे दर्ज होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो क्लास होती है उसी रेट की सूचना सबको दी जाती है बीकानेर के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि न तो चार्ज मैन्शन होता है कि इस प्रकार का चार्ज है और आपको सूचना दी है तो क्या आप जानकारी करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : यदि क्लॉज मैन्शन्ड नहीं है तो जरूर की जानी चाहिये और जानकारी करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैन्शन नहीं होता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझे बताइये।

सिन्धी भाषा के स्कूलों में अध्यापक

१६३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा नगर में कितने सिन्धी भाषा के स्कूल्स हैं तथा प्रत्येक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन स्कूलों में अध्यापक नहीं होने से पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

बिश्नोई) : कोटा नगर में ७ सिन्धी स्कूलें हैं तथा प्रत्येक में निम्नलिखित विद्यार्थियों की संख्या है :

१. प्राईमरी पाठशाला सिन्धी वल्लभ-नगर कोलोनी, २२२ छात्र ।

२. प्राईमरी पाठशाला सिन्धी वल्लभ-नगर कोलोनी, ३३ छात्र ।

३. प्राईमरी पाठशाला सिन्धी सराय कायस्थान, २९५ छात्र ।

४. प्राईमरी पाठशाला सिन्धी सराय कायस्थान, ४२ छात्र ।

५. प्राईमरी पाठशाला सिन्धी श्रीपुरा २४५ छात्र ।

६. प्राइमरी पाठशाला सिन्धी श्रीपुरा, ३६ छात्र ।

७. प्राइमरी पाठशाला, सिन्धी रामपुरा ११५ छात्र

(२) आवश्यकतानुसार अध्यापक हैं तथा पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही है ।

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : उनको एज्यूकेशन कौन सी लिपि में दी जाती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है । अध्यापकों के बारे में पूछा था । कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है, यह नहीं पूछा था ।

**श्री अर्जुनदास** : यदि यह भी मालूम नहीं है तो आपको मालूम क्या है ? अध्यापकों की संख्या नहीं बताई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : २६

**श्री दयाकृष्ण विजय** : अध्यापकों की संख्या कम है, सिन्धी भाषा के अध्यापक नहीं मिलते हैं क्या इस कारण से कमी है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी नहीं ।

## देवस्थान की जागीरों के कर्मचारी

१६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व जागीरी कर्मचारियों को एब्जोर्ब करने के सरकार ने नियम बनाये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि देवस्थान की जागीरें खत्म की गई हैं, मगर उनके पुजारियों व कर्मचारियों को एब्जोर्ब करने का कोई नियम नहीं बनाया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार देवस्थान की जागीरों के कर्मचारियों को एब्जोर्ब करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जो नियम जागीरों के कर्मचारियों को एब्जोर्ब करने के लिये बनाये गये हैं वही नियम देवस्थान के जागीर के कर्मचारियों पर भी लागू हैं । धार्मिक जागीरें खालसा होने पर जागीर कमिश्नर कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई थी कि जो धार्मिक जागीर कर्मचारी राज्य सेवा में आने

# Page No.11



( श्री दामोदरलाल व्यास )

के इच्छुक हों वे अपने आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिलाधीश को दिनांक ३१–३–५६ तक प्रस्तुत कर दें।

(ग) धार्मिक जागीरों के वे कर्मचारी जिनकी सर्विसेज भूमि के इन्तजाम के सम्बन्ध में थीं उनको एब्जोर्व करने के लिये तो विज्ञप्ति निकाली हो गई थी। नहीं का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

## अध्यापकों की कमी-नीम का थाना

१६५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नीम का थाना (रुवाई रामगढ़) में मिडल स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या सिर्फ दो है, जब कि पास के स्कूल में संख्या ७ व ८ हैं ? यहां पर उस कमी का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह कमी शीघ्र पूरी की जायेगी ?

**उप-मन्त्री शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : इस समय नीम का थाना मिडल स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या ३ है। इस स्कूल में तीन और अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुई। इसलिए कमी की पूर्ति न हो सकी।

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

**प्रश्न संख्या १६६**

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थिति-कृपया आगे देखिये)

श्री रावतमल पारीख।

## नापासर कस्बे में पानी की असुविधा

१६७. **श्री रावतमल पारीख** (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर जिले के नापासर कस्बे के हरिजनों की पानी की असुविधा दूर करने के लिए उनके मोहल्ले में नल बिछाए हुए लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं, किन्तु अभी तक उनमें पानी नहीं दिया गया जब कि अन्य लोगों के लिए पब्लिक स्टेन्ड पोस्टों व घरों के नलों में बराबर पानी दिया जा रहा है ? इन नलों में पानी दिया जाना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

**समाज कल्याण मंत्री** ( श्री रिखबचन्द धारीवाल ) : जी हां, म्यूनीसिपैलिटी ने इस बस्ती में अपने कोष से नल बिछवाये थे, पर सम्बन्धित स्थानीय समिति ने उन नलों में कनेक्शन देना स्वीकार नहीं किया। समाज कल्याण विभाग के पास ऐसा प्रावधान नहीं है।

**श्री रावतमल पारीख** : नलों में पानी लेना स्वीकार किसने नहीं किया ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वहां पर एक समिति है, स्थानीय समिति, जिन्होंने वहां पर नलों की व्यवस्था की है, म्यूनिसिपैलिटी ने कहा, आप इसमें से नल में कनेक्शन करा दीजिये और पानी सप्लाई करने दीजिये।

# Page No.12



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

**श्री रावतमल पारीख** : यह गलत है । कई सालों से नल बिछे हैं, जनता वहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है । मैं चैलेंज करता हूँ, जो आपने कहा है । अब वहां पर पानी की क्या व्यवस्था हो सकती है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वैसे यह समाज कल्याण विभाग के विषयों में नहीं आता है । मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग बिजली और नल ऐसी बस्तियों में लगाने के लिए आधी रकम देता है और आधी रकम म्यूनीसिपैलिटी देती है । यह काम म्यूनीसिपैलिटी के अधिकार में है, उसे करना चाहिए । हम पैसा दे देते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए पैसा भी नहीं मांगा है, यह उनकी खुद की व्यवस्था है ।

**श्री रावतमल पारीख** : आप कहते हैं कि आप पैसा देते हैं । तो पैसा देने पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उनसे काम करवाये ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने कहा कि इस काम के लिए तो पैसा भी नहीं दिया गया समाज कल्याण विभाग की ओर से । यह तो म्यूनीसिपैलिटी ने अपने पैसे से वहां पर नल लगवाये थे । पानी की व्यवस्था उनको करनी चाहिए ।

**श्री रावतमल पारीख** : फिर आपने इसका जवाब देने की तकलीफ क्यों की ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वैसे यह म्यूनीसिपैलिटी विभाग में आता है, लेकिन आपने उत्तर मांगा, इसलिए मैंने दिया । मैंने उत्तर देने की तकलीफ इसीलिए की क्योंकि आपने तकलीफ का प्रश्न पूछने की ।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी)** : आपने कहा कि हरिजन बस्तियों के आधा रुपया समाज कल्याण विभाग देता है और आधा वहन म्यूनीसिपैलिटी स्फर करती है । तो क्या जहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पर दिया जा सकता है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : उस म्यूनीसिपैलिटी ने मांगा नहीं था । बिजली के लिए हमने दिया है, आधा उन्होंने लगाया और बिजली लगा दो ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आगे दे सकते हैं क्या ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आगे की बात है, उसके लिए अगर दरख्वास्त की जाये तो उस पर देखा जायगा ।

**श्री रामचन्द्र ( डग-सु० )** : मेरा एक प्रश्न है कि इस प्रकार के कितने मोहल्ले हैं, जहां पर इस प्रकार की टूटियां लगी हुई हैं, जहां इस प्रकार के लोग पानी भरते हैं । उनके लिए पैसा कौन देगा ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । किसी दूसरी जगह पर नल लगवाये हैं या नहीं, इससे सम्बन्धित सूचना भी नहीं है ।

**श्री रामचन्द्र** : इसका उत्तर कहां से मिल सकता है, आप बतला दीजिये ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनाराम ।

Page No.13



### ठेकेदार श्री बी. एस. जाखड़ के प्रार्थना पत्र

११८. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री बी. एस. जाखड़ ठेकेदार की करीब २१ एप्लीकेशन्स वास्ते एन्युअल माइनिंग लीजेज व रेन्ट कम रॉयल्टी लीजेज के लिए साल १९५९-६० में माइनिंग इन्जीनियर, जयपुर के दफ्तर में पेंडिंग पड़ी हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त दरख्वास्तों पर आज तक कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

(ख) क्या उक्त ठेकेदार ने माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की है ? यदि हां, तो कितनी व किन किन के खिलाफ ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार पर माइनिंग इन्जीनियर, जयपुर ने झूटा दोष लगा कर उसके ४८ प्रार्थना-पत्र नामन्जूर किये थे और ठेकेदार ने सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पेश की थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा और उस पर सरकार का क्या खर्चा हुआ ? खनिज एरिया पर स्टे लगाने से आमदनी का कितना नुकसान सरकार को हुआ है ?

खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां, केवल ११ प्रार्थनापत्र श्री जाखड़ का सही पता नहीं होने से तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन पर पुनः विचार करने के हेतु सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां। समस्त माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें की हैं।

(ग) नियमानुसार ३७ प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये। उस पर ठेकेदार ने हाई कोर्ट में रिट पेश की और हाई कोर्ट से इन प्रार्थना-पत्रों पर पुनः विचार करने का आदेश हुआ। हाई कोर्ट के खर्च का सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सरकार की तरफ से वहां एडवोकेट जनरल नियुक्त हैं जो सभी सरकारी मुकदमों की देख भाल करते हैं। स्टे लगाने पर ३-४ जगह काम बन्द रहा तथा अन्य स्थानों पर पहले से ही कोई काम नहीं हो रहा था। इस वजह से अनुमान रु० १५००), २०००) रु० वार्षिक आय के नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री किशनाराम : आपने फर्माया माइनिंग डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के खिलाफ कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और किन किन के खिलाफ शिकायतें सच्ची पाई गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : जो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें थीं, उनकी जांच कराई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच कराई और उनको निराधार पाया गया।

श्री किशनाराम : सब के सब को निराधार पाया गया ? जांच किसने की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच अलग अलग अधिकारियों ने की, जो उनके सुपीरियर्स थे उन्होंने की और जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनके सुपीरियर ऑफिसर्स ने की।

# Page No.14



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : क्या जांच करने वाले अधिकारियों ने उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये हैं जिन्होंने शिकायत की थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, जांच के अन्दर जो कार्यवाही होनी चाहिए वह होती है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

**श्री किशनाराम** : दो हजार रुपये सालाना का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को देखते हुए क्या सरकार ऐसा नहीं समझती कि सरकारी अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था ?

**श्री अध्यक्ष** : आप कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को ऐसा नही करना चाहिये, ऐसा करना ठीक है क्या, क्योंकि सरकार को नुकसान हुआ है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने अर्ज किया कि उनकी दरख्वास्तें हैं, उनको ध्यान से सुना और हाई कोर्ट ने जो आब्जेक्शन्स किये हैं उन पर सरकार विचार कर रही है । जो वाजिब होगा उन पर हुक्म दे दिया जायगा ।

**श्री किशनाराम** : हाई कोर्ट का फैसला किस तारीख का है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : इसकी सूचना नहीं है ।

**श्री किशनाराम** : यह केस किसके पास है, इसमें आगे क्या एक्शन होगा ? यह किस स्टेज पर है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह माइनिंग इन्जीनियर के दफ्तर के अन्दर है, जो प्रार्थना-पत्र दिये, उन पर वे फार्मलिटीज पूरी नहीं कीं जो माइनिंग रूल्स के अनुसार करनी चाहिए । उनको कह दिया गया है कि वे सही करके पेश करें । जो आवेदन-पत्र करने चाहिए, बहुत से आवेदन–पत्रों के अन्दर जो खामियां थीं, उनको बतलाया गया है ।

**श्री किशनाराम** : माइनिंग इन्जीनियर के ऑफिस में कितने दिनों से चल रहे हैं कागजात....

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

**श्री किशनाराम** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस तरह का है, इसका जवाब इस ढंग का है, और पूछने वाला इस ढंग का है कि दोनों तरफ से गड़बड़ी हो सकती हैं । इस ठेकेदार की फाइल है वह कितने दिनों से माइनिंग इन्जीनियर के दफ्तर में चल रही है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस शख्स के खिलाफ कई अनऑथोराइज्ड काम करने की शिकायतें हैं । इसके साथ ही जो सरकार का रुपया था वह पे नहीं किया गया है । उसके बावजूद भी माइनिंग डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों का सवाल है, उस सिलसिले में माइनिंग ऑफिसर्स और सब आदमियों के खिलाफ चार्जेज इसने लगाये, वे निर्दोष पाये गये । यह उस

Page No.15



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

शख्स की हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को देख कर सवाल पूछना चाहिए।

श्री किशनाराम : क्या यह नहीं है कि १६-६० को माइनिंग इन्जीनियर ने केस को फाइनल करके गवर्नमेन्ट के पास भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे है कि माइनिंग इन्जीनियर ने केस को फाइनल करके गवर्नमेन्ट के पास भेजा है १६६० में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी सूचना नहीं है।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ने उस फाइल को दुबारा इन्जीनियर के पास भेज दिया है ? पहिले वाला इन्जीयर तब्दील हो गया। इसलिए इस केस को दुबारा भेजा है कि जांच करके फाइनल रिपोर्ट दी जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किस केस के बारे में पूछ रहे हैं? किस आवेदन पत्र के बारे में पूछते हैं। आप जनरल बात पूछ रहे हैं। मैंने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया है।

श्री किशनाराम : मैं पूछ रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उसको माइनिंग इन्जीनियर के पास भेजा जाय और माइनिंग इन्जीनियर ने १६-१-६० को केस फाइनल करके वापिस डाइरेक्टर के पास भेजा। डाइरेक्टर ने उसको दबा कर रखा। जब मैंने प्रश्न पूछा तब दुबारा इन्जीनियर के पास भेजा है कि इसके अन्दर दुबारा जांच हो, इसकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

## नालों पर पुलिया

१६६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि टौंक से सवाई माधोपुर जो सड़क उनियारे तथा अलीगढ़ होकर जाती है उस पर ग्राम चंदलाई, तहसील टौंक खेलनिया, तहसील उनियारा के पास दो-तीन नाले ऐसे हैं जो वर्षा में ऐसे भर जाते हैं कि आवागमन को दो-दो-तीन तीन दिन बल्कि इससे ज्यादा अर्से तक बन्द कर देते हैं जिससे जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है ?

(२) क्या सरकार इन नालों पर पुलिया बनाने की स्वीकृति पहले दे चुकी है अथवा देने का विचार कर रही है ?

(३) अगर हां, तो अब तक इन नालों पर पुलिया क्यों नहीं बनाई गई ?

(४) अब कब तक पुलिया बनवा दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र ): (१) जी हां चंदलाई बंध की उपरा (वेस्ट वेअर) से अधिक पानी आने पर।

(२) जी नहीं। जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) अर्थाभाव के कारण कोई विचार नहीं है।

Page No.16



रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्री महोदय ने अर्थाभाव का कारण बताया, तो यह अर्थाभाव कहां कहां, किस किस जगह महसूस करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह इसलिये महसूस किया जाता है कि वहां कॉजवे ऑलरेडी बना हुआ है और उसको ऊंचा करने की जरूरत नहीं समझते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जरूरत होना दूसरी बात है, पर अर्थाभाव का कारण बताया गया, इसलिये मैं यह जानता हूँ कि अर्थाभाव कहां कहां महसूस करते हैं, सिर्फ टोंक डिस्ट्रिक्ट के लिये ही अर्थाभाव महसूस करते हैं या मालपुरा के लिये भी अर्थाभाव महसूस करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वहां कॉजवे बना हुआ है, इसलिये आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बना हुआ नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : कॉजवे लेवल बना हुआ है हाई वे नहीं बना हुआ है।

रावराजा श्री हरिश्चन्द्र बना हुआ है, पर इतना नीचा बना हुआ है कि इधर इन्जीनियर के पास शिकायत की थी, रिपोर्ट की थी पर अभी तक बना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने फरमाया उस जगह नहीं, पर उस सड़क पर तीन चार मेजर पुल बने हुए हैं और तीन छोटे पुल बने हुए हैं, उस पर कॉजवे बना हुआ है। इसलिए आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (चन्द-गढ़ी) : मैं, खेलानियों के पास नहीं बने हुए हैं, चाहे किसी को भेज कर जांच करवा लें।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है कि सब नहीं बने हुए हों पर कुछ बने हुए हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां बनाने थे वहां नहीं बनाये और जिस जगह नहीं बनाना चाहिये था वहां पर बनाये गये हैं और जहां नहीं बनाये गये हैं उनके लिये अर्थाभाव का कारण बताया जाता है, (राजस्व मन्त्री की ओर इंगित करते हुए) उधर तो अर्थाभाव नहीं होता, गांव भी बसाये जा रहे हैं: बृजनगर, दामोदरनगर बस गये है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने फरमाया कि जहां बनने चाहिये थे वहां तो बनाये नहीं और जहां नहीं बनाने चाहिये थे वहां पर बना दिये, तो यह तो मैटर ऑफ ओपीनियन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैटर ऑफ ओपीनियन है तो इसकी जांच तो करवा दें कि वास्तव में कहां बनने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

## रतनगढ़ ताल छापर सड़क

*००. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार रतनगढ़ से ताल छापर तक की सड़क पर जो कंकड़ (रोड़ी) की बहुत वर्षों से बनी हुई है और बहुत खराब हालत में है जल्दी ही डामर डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं। २६ मील में ८ मील डामर हो गया है। बाकी मीलों में जैसे जैसे फंड्स मिलते जायेंगे वैसे वैसे डामर होता जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रावतमल पारीक।

## लूणकरणसर में नमक उद्योग

२०१. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

क्या लूणकरणसर में नमक उद्योग की पुनः स्थापना की दिशा में सरकार कुछ कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

**खनिज मन्त्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : नहीं, क्योंकि लूणकरणसर में स्टेन्डर्ड क्वालिटी का नमक नहीं बनाया जा सकता और यह क्षेत्र सैलेनाइट खनिज के लिये राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को दिया जा चुका है।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि इसको सेलेनाइट पर्पज के लिये दिया गया है तो उसी तरह नमक के लिये भी दिया जा सकता था?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : सॉल्ट कमिश्नर ने इन्कार कर दिया, इसलिये सैलेनाइट के लिये दिया गया है। They refused.

**श्री भीमसेन** : क्या यह सही बात है कि लूणकरणसर पहले ७२५-१०० मन नमक एक साल में तैयार करता था?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनाराम।

## सड़कों के लिए भूमि की अवाप्ति

२०२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि फतेहपुर शेखावाटी से रतनगढ़, रतनगढ़ से राजलदेसर, श्री डूंगरपुर-बीकानेर, रतनगढ़ से चूरू जो वर्तमान सड़कें बन रही हैं उनमें आने वाले खेतों की खसरावाइज भूमि सरकार द्वारा अवाप्त नहीं की गई है?

(२) क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र में पड़ने वाले सब खसरों की भूमि को जल्दी ही अवाप्त करके किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(३) क्या सरकार को विदित है कि भूमि को अवाप्त करने की वजह से किसान अपने खेतों में से सड़कें न निकालने का अनुरोध करते हैं और ओवरसीयरर्स किसानों को तरह तरह की धमकियां देकर सड़क का निर्माण कर रहे हैं?

(४) क्या सरकार उपरोक्त सड़कों के अन्दर आने वाले सब खसरा नम्बरों की भूमि को अवाप्त कर लिये जाने तक सड़कों का कार्य बन्द रखने का विचार रखती है?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा

# Page No.18



(श्री हरिश्चन्द्र)

उचित कार्यवाही या जांच के बाद। प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही हाथ में है, काम बन्द करने से प्रगति में बाधा होगी।

**श्री किशनाराम :** बाधा तो होगी पर जिन किसानों के खातेदारी राइट्स हैं उनके खेतों में से जबरदस्ती सड़क निकालना अनुचित है और आप उस भूमि को एक्वायर नहीं करते हैं तो वहां लड़ाई-झगड़े होंगे तो उनके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** मैंने अर्ज किया कि एक्वीजीशन करने की कार्यवाही चल रही है, लैंड कम्पेन्सेशन भी मिल जायेगा।

**श्री किशनाराम :** क्या यह सही है कि ठेकेदार और ओवरसीयर किसानों को डरा धमका कर फसलें नष्ट करते हैं ?

प्रश्न संख्या २०३

**श्री अध्यक्ष :** श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

## चूरू जिले के जागीरदारों की जागीर खालसे का मुआवजा

२०४. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चूरू जिले के जागीरदारों को जागीर खालसा का मुआवजा सरकार द्वारा चुका दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो किस किस का कितना कितना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के जागीरदार ग्राम खोथड़ी व मैणासर, लोहा, सांगासर तथा कड़वारी के जागीरदारों को रोज रोज कुर्की व नोटिस देकर तंग किया जाता है जब कि उनमें कोई सरकारी रकम बकाया नहीं है ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदारों ने जागीर कलेक्टर, चूरू को बार बार दरख्वास्तें दीं और जागीरदार कलेक्टर ने तहसीलदारों को लिख भी दिया कि जागीरदारों की तहसीलों में जितनी भी रकम में वापिस की जाने योग्य है वह तुरन्त रिफन्ड कर दी जाय, मगर स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी ऐसा करने में लापरवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है ?

**राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):** (क) चूरू जिले में लगभग ९,२२२ जागीरों के दावे भरे गये उनमें से लगभग ८७०० जागीरदारान व गुजारेदारान को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष को मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) कुछ जागीरदारों के दाखिल खारिज के मामले फाइनल नहीं होने से दावे रुके हुए हैं। जब तक मृतक जागीरदारों के उत्तराधिकारी के नाम दाखिल खारिज सम्बन्धित पंचायतों द्वारा नहीं हो जावें तब तक प्रत्येक को दिये जाने वाली मुआवजे की रकम निर्धारित नहीं हो सकती और ऐसी सूरत में सूची

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तैयार होना संभव नहीं है।

(ग) जिन जागीरदारान माफीदारान को मुआवजा मिलता है उनमें कुटकाश्त लगान जो बकाया है वह वसूल की जाने कीकार्यवाही की जाती है।

(घ) प्रश्न (ग) में अङ्कित किन्हीं जागीरदारों को सरकार की ओर से कोई रकम रिफंड नहीं करना है क्योंकि उनकी जागीर फसली साल के प्रथम दिन यानी १-७-५८ को ही रिज्यूम की गई है; अतः रकम वापसी का प्रश्न ही नहीं है।

### प्रश्न संख्या २८५

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

### प्रश्न संख्या २०६

श्री भोगजीभाई।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

### पानी की दरें

२०७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Minister for Water Works Department be pleased to answer :—

1. What are the water rates payable in different cities of Rajasthan ?

2. Is the Goverment contemplating to have uniform rate for consumption of water throughout Rajasthan ? If so, when will this scheme be brought into force ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)** : 1. At present the water rates payable at different cities of Rajasthan are as per attached statement.

2. No. As the cost of production and distribution of water varies from place to place in Rajasthan, and as the water supply schemes are run as self-sufficient concerns, the rates of water charge cannot be the same everywhere.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : वाटर रेट्स के बारे में जब सारे शहरों में ऐशा नहीं होता है तो बीकानेर में वाटर रेट्स के अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्जेज लिये जाते हैं वे २५ प्रतिशत ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा लिये जाते हैं तो यह सिर्फ बीकानेर में ही ज्यादा क्यों रखा गया है ? १००) रुपये १ तारीख को देने में देर हो गई और बाद में दिया तो १००) रु० पर २५) रुपया ज्यादा लिया जाता है, तो यह बीकानेर के लिये ही क्यों रखा है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : सब जगह ही है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या २५ प्रतिशत ब्याज लिया जाना सरकार उचित समझती है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह ब्याज नहीं पेनल्टी है। जो पेमेन्ट डिफॉल्ट करता है उससे २५ प्रतिशत पेनल्टी का लिया जाता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : दूसरे महीने में देता है तो सिर्फ एक महीने के लिये २५

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रतिशत ज्यादा लेना कहां तक ठीक है ? कोई भी बनिया रुपया डेढ़ रुपया से ज्यादा १०० रुपये पर नहीं लेता, आपने २५ प्रतिशत क्यों लगा रखा है ? एक महीने में १०० रुपये का २५ रुपया ब्याज का ले लें, यह कहां तक ठीक है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : आपका क्या सुझाव है ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : एक रुपया सैकड़ा ले लें।

**श्री हरिश्चन्द्र** : ब्याज का सवाल थोड़े ही है, पेनल्टी है इस वास्ते ज्यादा है।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कोई डिफाल्ट करता है, एक महीने बाद पेमेंट करता है तो उससे २५ प्रतिशत ज्यादा लिया जाता है उसी तरह यदि कोई ४ महीने बाद पेमेंट करता है तो उससे कितना लेंगे ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : हर महीने पर २५ प्रतिशत।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इससे सारी जनता दुखी है, यह बहुत ज्यादा है, दूसरे महीने में देता है तो २५ प्रतिशत ज्यादा देना पड़े यह बहुत ज्यादा है।

**राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल-व्यास)**: ही इसका एक उपाय है कि पेमेंट जल्दी समय पर करना चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप १ तारीख को किसी की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, किसी को १० तारीख को और किसी को १५ तारीख को तनख्वाह मिलती है तो आप ठीक टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते, उसका तो कुछ नहीं देते फिर पानी का पेमेंट देर से तनख्वाह मिलने पर समय पर नहीं कर पाते हैं तो २५ प्रतिशत ज्यादा क्यों लेते हैं ?

**श्री रावतमल पारीख** (नौखा) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में नियम छपे हुए हैं ? किन नियमों के माफिक यह देते हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जी हां, छपे हुए नियम हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोई चार महीने बाद दे तो कितना लेते हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : आप नोटिस दें तो बता सकूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अभी आपने बताया कि २५ प्रतिशत वह....

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : जो इस प्रकार वाटर सप्लाई की स्कीम है, वह म्युनिसिपैलिटी को देते हैं तो वे भी यही वसूल करती हैं क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

**नगरों में बसनेवाले किसानों को तकावी तथा अन्य सहायता**

२०८. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले किसानों को बैल, बीज,

# Page No.21



(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कुए आदि के लिये तकावी या सहायता देती है ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायता ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति आदि के द्वारा दी जाती है ?

(२) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के अनेक नगरों में भी किसान रहते हैं और वे नागरिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही खेती करते हैं ? यदि हां, तो सरकार उन शहरों में रहनेवाले किसानों को उक्त प्रकार की सहायता, तकावी आदि किस संस्था के माध्यम से देती है ?

(३) यदि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था न हो, तो क्या भविष्य में सरकार उक्त कोटि के किसानों को उचित सहायता प्रदान करने को व्यवस्था करेगी ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। यह सहायता पंचायत समितियों द्वारा ही दी जाती है।

(२) ऐसे किसानों को फिलहाल ऐसी सहायता नहीं दी जा रही है।

(३) शहरों में रहनेवाले किसानों की संख्या बहुत थोड़ी है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : माननीय अध्यक्ष,....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Another question has been put now.

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आपने बताया कि शहरों में ऐसे किसानों की संख्या कम है इसलिये राहत नहीं दी जाती। जब किसान जो सहायता के अधिकारी हैं और उनके लिये नियम बने हुए हैं तो नियमानुसार उनको राहत देनी चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पंचायत समितियों के जरिये तकावी दी जाती है। जो लोग उनके एरिया से बाहर रहते हैं तो उनको नहीं दी जाती, जो लोग कस्बों या शहरों में रहते है, आबादी की सीमा समाप्त होने के बाद पंचायत समिति की सीमा हो जाती है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। वे नेग्लीजिबल तादाद में होंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं किसी आबादी के एरिया में काश्त की जमीन आ गई है तो पंचायत समिति तकावी नहीं दे रही है उसके लिये सरकार विचार कर रही है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि नगरों में और दूसरे शहरों में रहनेवाले किसानों को नहीं मिलती है। सरकार इस पर विचार कर रही है और कोई हल निकालेगी।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि भरतपुर शहर में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनके खेत हैं और जिनको राहत नहीं मिलती है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जब सैकड़ों किसानों के भरतपुर में खेत हैं तो भरतपुर की म्युनिसिपल सीमा को दुबारा देखना होगा। जहां सैकड़ों खेत लोगों के हों तो वह म्युनिसिपल एरिया नहीं हो सकता। मैं स्वायत शासन मंत्री से मिल कर इस बारे में विचार करूंगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : कोटा का प्रश्न है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Kota is a different problem. I am talking of

# Page No.22



(श्री दामोदरलाल व्यास)

Bharatpur at present.

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** भरतपुर में किसान खेती जिस जमीन पर करते रहे हैं उस एग्रीकल्चरल लैंड का क्या होगा ? उसका क्या बनेगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** कानून के माफिक जो बनाना चाहिये वही बनेगा।

**श्री अध्यक्ष :** Next. Shri Tansingh

**पुजारियों का बकाया वेतन**
**( तहसील आमेर )**

२०६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील आमेर के गांव महार कलां में मालेश्वरजी और रघुनाथजी के मंदिरों के पुजारियों को सरकार वेतन देती है ?

(२) यदि हां, तो उनका सरकार में कितने अर्से से वेतन बकाया है ?

(३) उन पुजारियों का वेतन क्या है ?

**राजस्व मंत्री ( श्री दामोदरलाल व्यास ) :** (१) तहसील आमेर के गांव महार कलां में श्री मालेश्वरजी और रघुनाथजी के पुजारियों को वेतन सरकार नहीं देती।

(२) जब इनको वेतन ही नहीं मिलता है तो सरकार में वेतन बकाया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) वेतन कुछ नहीं है।

**श्री तनसिंह :** वेतन नहीं मिलता है तो क्या मिलता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** सहायता मिलती है।

**श्री तनसिंह :** कितने अर्से से उनको सहायता नहीं दी गई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** ३१-१२-६० तक के दे दिये हैं और उसके बाद के लिये १५-६-६१ को देवस्थान कमीश्नर के दफ्तर को लिख दिया है और वह देवस्थान के दफ्तर में पहुंच गया होगा और उसको देने की कार्यवाही की जा रही है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २१०.

**कस्बा दौसा में बिजली.**

२१०. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या कस्बा दौसा में मोहल्ला खटीकान व बस्ती कोलियान में बिजली लगी हुई है ? अगर नहीं तो अब तक न लगाने का क्या कारण है जबकि आसपास के मोहल्लों में बिजली लग चुकी है ?

**विद्युत मंत्री ( श्री हरिश्चन्द्र ) :** खटीकान मोहल्ला दौसा में कोई भी विद्युत लाइन नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें बस्ती कोलियान में अवश्य हैं।

**श्री रामधन :** वहां बिजली कब तक दी जावेगी ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** सर्वे होने के बाद दिय लोड होगा तो लाइन खेंची जावेगी।

# Page No.23



**श्री रामचन्द्र** : इसमें भेद-भाव क्यों रखा गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : Next, श्री भीमसेन।

## भाखरा क्षेत्र में जागीरदारों तथा अन्य भूमिहीन काश्तकारों को भूमि देने में भेद-भाव

२११. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदारों को २५ बीघा जमीन एवं अन्य भूमिहीनों को केवल १५ बीघा जमीन भाखरा क्षेत्र में दी गई है ? अगर हां, तो यह भेद क्यों किया गया ?

(२) क्या राजस्थान नहर क्षेत्रों में भी यही नीति अपनाई जा रही है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

**श्री भीमसेन** : आपने १५ और २५ बीघा का भेद-भाव रखा है उसका जवाब नहीं आया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह भेद-भाव नहीं रखा है। जो भूमिहीन किसान नहीं हैं उनको १५ बीघा दी है। जो उदयपुरवाटी और नागौर डिस्ट्रिक्ट से वहां पर गये हैं उनको २५ बीघा जमीन दी गई है। भेद-भाव नहीं किया है ?

**श्री भीमसेन** : क्या यह सही है कि बीकानेर और गंगानगर के जागीरदारों को वहां जमीन नहीं दी जाती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके लिये नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार आते हैं उनको जमीन दी जाती है।

**श्री भीमसेन** : किसी आदमी को २५ बीघा जमीन दी जाती है और किसी को १५ बीघा, यह कहां तक उचित है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वहां पर भूमिहीन किसानों को भी २५ बीघा जमीन दी गई है, लेकिन बाद में जब लेनेवाले ज्यादा हो गये तो यह १५ बीघा करनी पड़ी। जहां तक जागीरदारों का और वहां के रहने वालों का प्रश्न है उनको एक मुरब्बा तक दी गई है। यह १५ बीघा जमीन तो लेने वाले लोग ज्यादा रह गये तब दी गई। यह १५ बीघा जमीन तीन आदमियों की फेमिली के लिये कम नहीं है। इसलिये भेदभाव की नीति नहीं है। अलग अलग समय पर सरकार को परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नीति चेन्ज करनी पड़ती है।

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : यह सर्कमस्टान्सेज अपने आप चेन्ज होते हैं या आप करते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : हां, मैं चेन्ज करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

## पटवारी के विरुद्ध शिकायतें

१८३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर**

# Page No.24



(श्रीजगदीशप्रसाद माथुर)

(नीकर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री बिहारीलाल पटवारी, हलका नं० ३३ नीमकाथाना ने अपने क्षेत्र के सभी किसानों से दो आने प्रति रुपया पटवार खाते के लिए वसूल किया ?

(२) क्या यह सही है कि उसने इस कार्य की कोई रसीद नहीं दी व रुपया स्वयं हड़प गया ?

(३) क्या उपरोक्त पटवारी के विरुद्ध किसानों में परस्पर फूट करवाने, मुकदमे बनवाने आदि की भी शिकायतें हुई हैं ?

**राजस्व मन्त्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : (१) इस पटवारी के खिलाफ ऐसी शिकायतें की गई हैं। इनकी प्रारम्भिक जांच हो रही है।

(२) सही स्थिति जांच पूरी होने के बाद मालूम हो सकेगी।

(३) जी हां। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन शिकायतों की भी प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : यह शिकायत कब प्राप्त हुई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तारीख तो मेरे पास नहीं है। ३० दिसम्बर, १९६० को सस्पैन्ड किया गया था।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लादूराम बुलाणिया।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

**श्री लक्ष्मीचन्द** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर दिलाया जावे।

### डिप्टी कलेक्टर, जागीर, जोधपुर के दौरे में बॉन्ड्स का वितरण

**१८७. श्री अनूपसिंह** ( बालोतरा ) : [श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) डिप्टी कलेक्टर जागीर, जोधपुर ने अपना कार्यभार संभाला उसके बाद तहसील शेरगढ़, फलोदी व बिलाड़ा के दौरे कब कब और कितने कितने दिन के किये व साथ में स्टाफ हर अलग दौरे पर कितना रहा और हर दौरे पर कुल टी. ए. व डी. ए. का कितना खर्च हुआ ?

(२) उपरोक्त तहसीलों के दौरे के समय हर बार कितनों के बोंड्स कितनी रकम के वितरित किये गये ? कुल कितने बोंड्स हर बार साथ लिये व कितने बांटे ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) डिप्टी कलेक्टर जागीर, जोधपुर अपना कार्यभार सम्भालने के बाद तहसील शेरगढ़ में २२-११-६० से २६-११-६० तक और १६-४-६१ से २५-४-६१ तक, फलोदी तहसील में ११-२-६१ से २८-२-६१ तक और बिलाड़ा तहसील में २३-२-६१ से २८-२-६१ तक दौरे पर रहे। स्टाफ और टी. ए. व डी. ए. के खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) बोंड्स के वितरण की सूचना की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजपाल ।

(अनुपस्थित)

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाए ।

**खेरली से नदबई सडक का निर्माण कार्य**

२०४. श्री **तेजपाल** ( वैर--सु० ) [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) भरतपुर जिले में खेरली से नदबई सड़क का निर्माण कार्य, जो श्रमदान से निर्मित की गई थी और राज्य सरकार द्वारा उसका निर्माण भी प्रारम्भ हो गया था, अब बन्द क्यों हो गया है ?

(२) यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) रेखण (alignment) परिवर्तन के कारण ।

(२) बरोली छार से कटार होते हुए सड़क के ऐस्टीमेट बनाये जा रहे हैं, उनकी स्वीकृति के बाद अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : एलाइनमेन्ट कहां से कहां पर हुआ है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : बरोली छार से होता हुआ जाता है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : पहले कहां होकर निकल रहे थे और दुबारा कहां होकर निकल रहे हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : आपने एलाइनमेन्ट का प्रश्न पूछा, वह बता दिया ।

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १६१ और १९६ के उत्तर भी दिला दिये जाएं ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या १६१, समाज कल्याण के कुछ हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे ।

**हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे की रकम**

१६१. श्री **मोहरसिंह** ( चूरू ) [श्री किशनाराम (रतनगढ़) द्वारा पूछा गया]: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चूरू तहसील में कुछ हरिजन लड़कों को पिछली साल से स्वीकृत वजीफों की रकम नहीं मिल सकी ?

(२) अगर हां, तो क्यों और अब कब तक मिल जावेगी ?

**समाज कल्याण मन्त्री** (श्री रिखबचन्द

# Page No.26



(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

धारीवाल) : (१) छात्र नन्दलाल मेहतर कक्षा ६ बागल हायर सैकन्ड्री स्कूल, चूरू जिसने नवम्बर में स्कूल छोड़ दिया था उसके अतिरिक्त गत वर्ष स्वीकृत वजीफे की रकम वितरित की जा चुकी है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री किशनाराम** : दुबारा फरमावें, ठीक तरह से सुना नहीं।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : (१) छात्र श्री नन्दलाल मेहतर कक्षा ६ बागल हायर सैकन्ड्री स्कूल, चूरू जिसने नवम्बर में स्कूल छोड़ दिया था, उसके अतिरिक्त गत वर्ष स्वीकृत वजीफे की रकम वितरित की जा चुकी है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री किशनाराम** : सिर्फ एक को ही नहीं मिला था ?

**श्री अध्यक्ष** : एक को नहीं मिला।

(विराम)

Next, 196.

## भाखरा एरिया में आबादी भूमि के पट्टे व लीज

**१९६. श्री मोहरसिंह ( चूरू )** [श्री किशनाराम (रतनगढ़) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही बात है कि जिला गंगानगर के भाखरा एरिया में कुछ वर्षों पहले सम्बन्धित म्युनिसिपैलिटीज व पंचायतों ने आबादी भूमि में काफी पट्टे व लीज पर भूमि दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि महकमा कोलोनाइजेशन अब उन समस्त पट्टों को व लीज को रद्द कर रहा है और उनमें बने हुए मकानों को फोड़ने का आदेश दे रहा है ?

**राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास)** : (१) जी हां, यह ठीक है कि भाखरा क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटीज व पंचायतों ने आबादी भूमि लीज पर कीमतन फरोख्त की है।

(२) यह ठीक नहीं है कि इस प्रकार की समस्त लीज तथा पट्टों को खारिज किया जाकर मकानों को फोड़ने के आदेश दिये जा रहे हैं बल्कि ऐसी ही जगह को खाली करने के लिए आदेश दिये गये हैं जो कि :

(क) किसी विकास कार्य के लिए आवश्यक प्रतीत हुई है और ऐसी लीजें भी उनके लीज पीरियड पूरा होने पर ही खारिज की जाती हैं।

(ख) जिनको कि म्युनिसिपैलिटीज अथवा पंचायतों द्वारा उनसे सरकार द्वारा लीज व बेचने के अधिकार लिये जाने पर भी आवंटन किया गया है उनकी लीज समाप्त की जा रही है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या इस सम्बन्ध में पंचायत समिति या पंचायतों ने कानून के खिलाफ अलॉटमेंट कर दिया। उनके लिए कोई कार्यवाही सरकार करेगी और क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार का कानून के खिलाफ अलॉटमेन्ट किया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पंचायत विभाग की जानकारी में है।

# Page No.27



श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट ने भी इस प्रकार का कानून के खिलाफ अलॉटमेन्ट किया है ? उसको सरकार या सम्बन्धित विभाग पहले केन्सल करे और जब नल एन्ड वॉइड डिक्लेयर हो जावे उसके बाद में कार्यवाही की जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सब कोलोनाइजेशन एक्ट में है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है । उसमें सारे प्रोसीजर हैं । उनको नये लीज और पट्टे करने का अधिकार है ।

(१२ म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों ने पट्टे और लीज के लिए म्युनिसिपैलिटी में, पंचायतों में रुपया जमा कराया तो उनको वापिस करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून बिल्कुल ठीक है कि यदि कन्सीडरेशन फेल हो जाय तो क्या हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल यह एक आदमी की ही प्रोब्लम नहीं है, यह तो एक आम प्रोब्लम है । मैंने इस सम्बन्ध में जब प्रश्न पूछा था तो पंचायत विभाग के मन्त्री कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके थे और यह कहा था कि जानकारी कर रहा हूँ । इस प्रकार के बीसियों केसेज हैं म्युनिसिपैलिटी में और पंचायतों में, जहां पर लोगों ने रकमें जमा करा दीं, भूमि का लीज और उनको उनके द्वारा पट्टे जारी कर दिये गये । सरकार की आज्ञा के बावजूद भी उन स्वायत्त शासन संस्थाओं ने वसूल किया । पंचायतों के सरपंचों ने अपने पास रखा, अकाउन्ट्स जब मांगे गये तो उन्होंने अकाउन्ट्स पंचायतों को पेश नहीं किये । यह एक जनरल प्रोब्लम है और उसमें कानून का सिद्धान्त लगाना उचित नहीं है क्यों कि स्वयं स्वायत्त शासन संस्थाओं ने रकम वसूल की है और पट्टे दिये हैं इसलिए इसकी जांच करवा कर जितनी रकम लोगों ने पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में जमा कराई है वह उनको वापिस मिलनी चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह जनरल प्रोब्लम है, लेकिन यह जनरल प्रोब्लम नहीं है । बहुत-सी पंचायतों ने और म्युनिसिपैलिटियों ने यदि लीज दिये, पट्टे दिये तो पट्टों का पैसा वापिस उनको रिफन्ड करना लाजमी है और पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटियों को ऐसा करना चाहिये । लेकिन जहां तक लीज का सवाल है, यदि एन्जोय किया है तो उसके पाने के मुश्तहक नहीं हैं । यदि किसी ने प्रीमियम का पेमेन्ट कर दिया तो कानून न उसको वापस मिलना चाहिये ।

श्री किशनाराम : आपका जो लम्बा-चौड़ा ज्युरिस्डिक्शन है उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री किशनाराम : मैंने उसको आपकी सद्भावना के ऊपर छोड़ रखा है कि आप पंचायतों को बतायें ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजीभाई ।

(अनुपस्थित)

श्री हीरभाई (कुशलगढ़) : इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय ।

Page No.28



## बांसवाड़ा जिले में भूमि वितरण कार्य

२०६. श्री भोगजी भाई ( बांसवाड़ा ) [ श्री हीराभाई ( कुशलगढ़ ) द्वारा पूछा गया ] : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाड़ा जिले में सन् ५८-५६, ५६-६० तथा ६०-६१ तक काश्तकारों को कुल कितनी भूमि राज्य सरकार ने अलॉट की है ? यदि नहीं की है. तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि गत दो वर्ष मे बांसवाड़ा तहसील में भूमि वितरण के कार्य पर सरकार ने रोक लगा दी है? यदि हां, तो क्यों ?

(३) भूमिहीन परिवारों के तथा अन्य खेती पर निर्वाह करने वाले लोगों के ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि गत तीन तीन वर्षों से जिन जिन काश्तकारों ने अपनी खुद की भूमि के अभाव में सरकारी जमीन आबाद करके नाज का उत्पादन बढ़ाया है, उन्हें सरकार की तरफ से उचित रियायतें दी जावेंगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसका जवाब नहीं आ सकता है क्योंकि सब कॉम्युनिकेशन्स, पोस्टल आदि बन्द हो चुके हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर सिटी ) : बीस दिन पहले जो मैंने प्रश्न दिये उनका तो जवाब मिलना चाहिये । आज तक एक का भी जवाब नहीं मिला । इस प्रकार जवाब नहीं देते ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ये किसके जवाब मिल रहे हैं ? मैंने जवाब दिये है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें पेचीदगी क्या है ? १५ दिन पहले जो प्रश्न भेजे थे असेम्बली शुरू होने से पहले उनका भी अभी तक जवाब नहीं मिला । ६-८ महीनों वालों का तो नहीं मिलता । मैंने जितने क्वेश्चन्स भेजे १५ दिन पहले असेम्बली शुरू होने के भेजे लेकिन आज तक एक का भी जवाब नहीं मिला । १५ दिन पहले उनको जब मिल जाते हैं तो जवाब तो कम से कम मिलना चाहिये । न जाने क्या टालने की प्रवृत्ति हो गई है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने मजबूरी बता दी ।

( १२. २. म. प. )

## पुरः स्थापित विधेयक

## राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

**श्री अध्यक्ष** : राजस्व मंत्री ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपैलटीज अमेन्डमेन्ट बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय मैं इस बिल को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डिनेन्स जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : I wouid repuest the Chair to make available to all the Members a copy of statement made by the Government. It has been made available in the past and this should be made available this time also.

If this is distributed amongst the Hon' ble members this will facliitate the members.

**श्री अध्यक्ष** : मामनीय मंत्री महोदय कृपया पढ़ दें। छोटा सा स्टेटमेन्ट है।

(सदन में विवरण न पढ़ सकने के कारण)

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने गलत बातें कही हैं कि मैं सदन की टेबल पर रखता हूं, जब कि इनके पास विवरण तक नहीं है। सदन में इस प्रकार की गलत बातें, माननीय मंत्री महोदय कहने के आदी हो गये हैं।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

जबरदस्ती कह देते हैं कि टेबल पर रखता हूं। माननीय मंत्री महोदय की गलत बाते कहने की आदत हो गई है. सदन को ब्लफ करने की आदत पड़ गई है........

(शोरगुल, व्यवधान)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I take a serious objection to it.

**श्री भैरोंसिंह** : I take objection There is no copy on the table of the H use.

**श्री अध्यक्ष** : Order ! order please !! ब्लफ का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(शोर गुल, एवं व्यवधान)

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : If the Honble member feels that there has been a serious breach of privilage he may brihg separately a motion of privileye.

**श्री भैरोंसिंह** : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो सकता है। मैं हाउस से निवेदन कर सकता हूं कि this is a breach of privilegelt और निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि श्री दामोदरलालजी व्यास ने जो गलत बातें कह कर सदन को ब्लफ करने की कोशिश की, सदन की टेबल पर रखना चाहिये था जब कि उन्होंने नहीं रखा और कहा कि मैं सदन की टेबल पर रखता हूं. उनके पास कारणों का विवरण भी नहीं था। This is a breach of privilege.

**श्री श्रीभानसिंह** : Then he should bring a privilege motion separa tely...

# Page No.30



**श्री भैरोंसिंह :** These is a breach of privilege and action can be taken without any sort of motion.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** If somebody is caught red handed, immediate action can be taken against him. He has been caught red-handed.

**श्री अध्यक्ष :** ordar Please ! माननीय मंत्री महोदय कृपया पढ़े ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** "By Section 71 A of the Rajasthan Panchayat Samitis and zila Parishads Act, 1959 the provisions of section 13 of the said act relating to petitions calling question the election of a Pradhan or a Pramukh were extended to cc.ption of.........

(शोरगुल)

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर-पश्चिम) : भोलों पानी ।

**श्री दामोदरलाल व्यास:** I am sorry, Sir this was not that......

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : अच्छा आपको माफ किया जाता है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** "It was considered expedient very urgently to make amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 1959, so as to provide for the appointment of Administrator in certain contingencies, for the initiation of inquiries against.."

**श्री श्रीभानसिंह :** On a point of order, Sir, it is a sort of contempt of the House that when the Hon' ble Ministe incharge for the Municipalities is present in the House he is not reading the statement. Either he should not have come in the House or should have read the statement before the House.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** Since I had started the statement, he could not......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ThiS is unauthorised assumption of powers.

(शोरगुल एवं व्यवधान)

**रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा):** इन सब मिनिस्टरों को हटा दीजिये और इन्हीं को रहने दीजिये ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अभी तो है, फिक्र मत करो ।

**श्री श्रीभानसिंह :** When the Hon-' ble Minister for Local Self is present in the House I will request the Chair that he should read the statement.

**श्री अध्यक्ष :** जब राजस्व मन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट को पढ़ रहे थे उस वक्त तक तो माननीय स्वायत शासन मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं थे । अगर उनके द्वारा यह स्टेटमेन्ट पढ़ा जाता तो इससे अच्छी बात और नहीं होती । चूंकि राजस्व मंत्री महोदय ने वह प्रस्तुत कर दिया है इसलिए इनके पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्री श्रीभानसिंह :** अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व मन्त्री महोदय द्वारा पढ़ा गया

(श्री श्री मानसिंह)

उसमें किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन जब राजस्व मन्त्री महोदय उसको पढ़ रहे थे और स्वायत्त शासन मन्त्री यहां उपस्थित थे; यदि वे देखते कि स्टेटमेन्ट हो रहा है या तो वे उसके समाप्त होने के बाद आते, मगर बीच में आकर सदन की कार्यवाही में भाग लेना, मैं समझता हूं, I certainlp take it as a contempt of the House.

**श्री अध्यक्ष**: I am in general agreement with what the Hon ble member has said and normally this procedure should be followed.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री): It was considered expedient very urgently to make amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 1959, so as to provide for the appointment of Administrator in certain contingencies, for the initiation of inquiries against Chairman, vice-chairman and members of defunct boards, for the extension of the period of supersession of boards and for the constitution of notified areas and to validate the appointment of administrator in certain municipalities. Since the Rajasthan Legislative Assembly was not then in session, the Rajasthan Municipalities ( Amendment ) Ordinance, 1961 was promulgated by the Governor.

## (ख) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक १९६१

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** ( पंचायत मन्त्री ) : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, १९६१ पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ ।

## (ग) राजस्थान गोदाम ( संशोधन ) विधेयक १९६१

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक १९६१ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

## राजस्थान विनियोग ( संख्या ४ ) विधेयक १९६१

(विचार-विमर्श एवं पारित)

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ राजस्थान विनियोग ( संख्या ४ ) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय द्वारा राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल (नं० ४) जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल जिस समय दुर्भिक्ष के मामले में चर्चा की जा रही थी उस समय इस बात की ओर सदन बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि जैसलमेर जिले में बाढ़ के कारण जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति के लिए अथवा जो बाढ़पीड़ित लोग हैं उनको सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई। यह कहना चाहिये, कल माननीय राजस्व मन्त्री महोदय के प्रयत्न से इस मांग के ऊपर अलग से चर्चा नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में मैं सदन के सामने कुछ समय में जैसलमेर की बाढ़ की स्थिति को रखने की चेष्टा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसलमेर का इलाका है जिसमें सात इन्च एवरेज रेन से ज्यादा बरसात आज तक नहीं हुई। अभी पिछले दिनों में २३ से २६ जून के बीच इस जैसलमेर तहसील में १२ इन्च, मोहनगढ़ में १८ इन्च और फतहगढ़ इलाके में २१ इन्च के करीब वर्षा हुई है जिस समय बरसात हुई थी उस समय शायद राजस्थान की जनता को इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि यह बरसात जैसलमेर जिले के लिए अभिशाप के रूप में प्रकट होगी। बरसात के दिनों में जिस समय भूख के कारण जानवर पानी पीते थे और पानी पीने के बाद ठंडी हवा चली उस ठंडी हवा से, अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़े उठा कर देखे जायं तो लगभग १ लाख ७० हजार जानवर मारे गये और पंचायत समिति के आंकड़े देखे जायं तो २ लाख १३ हजार कुल मवेशी मारे गये और गो-सेवा संघ के आंकड़े देखे जायं तो तीन लाख के करीब वहां मवेशी मारे गये। इस सारी स्थिति में, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, जैसलमेर के लोग पशुपालक हैं उनका प्रमुख धंधा पशुपालन है, खेती नहीं किसी व्यक्ति के पास ५०० मवेशी हैं तो किसी के पास ३००, किसी के पास ४०० और किसी के पास पचास होंगे। जिस समय बरसात के कारण जैसलमेर के लोगों ने अपने हजारों मवेशियों को मरे हुए ढेर के अन्दर देखा तो आप यह अन्दाज लगाकर चलिये कि एक व्यक्ति जिसका पांच रुपये का भी नुकसान हो जाता है उसके इतने से नुकसान के कारण कैसी हालत होती है ? एक मालिक के सामने अगर उसकी पाच सौ गायें एक स्थान पर मरी हुई नजर आती हों, दो हजार भेड़ बकरियां एक स्थान पर मरी हुई नजर आती हों, आप अन्दाज लगाइये उन्होंने अपने हृदय को, अपने कलेजे को किस प्रकार से पत्थर मानकर भारी मुसीबतों को आंखों से देखा और उसको सहने के लिये साहस बटोरा और अब तक सहते आ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ हमारी सरकार शायद यह कहेगी कि जो सरकारी स्तर पर आंकड़े इकट्ठे किये गये उसके अनुसार करीब १ करोड़ १३ लाख का नुकसान हुआ है। पंचायत समिति के आंकड़े देखे जायं तो २ करोड़ का नुकसान हुआ प्रतीत होता है। अध्यक्ष

# Page No.33



(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, मैं उन आंकड़ों के बारे में पूरा समय हो तो हर पंचायत समिति के आंकड़े और सरकारी आंकड़ों में कितना फर्क है, यह बता सकता हूँ। लेकिन इतना सब न कहते हुए उदाहरण के तौर पर जैसलमेर की पंचायत समिति के आंकड़ों को, जिन सरपंचों को हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की रीढ़ समझते हैं उनके आंकड़ों में और सरकारी आंकड़ों में कितना अन्तर है, यह बताना चाहूँगा। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति के आंकड़ों के अनुसार कितनी गायें मर गईं उनकी संख्या २७,६६७ है और सरकार कहती है कि सिर्फ बीस हजार ही मरी हैं। पंचायत समिति के अनुसार १५,११६ भेड़ें मारी गईं सरकार कहती है ११,३७३ मारी गईं, बकरियां पंचायत समिति के अनुसार १४,४५८ मारी गईं; वहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार १६,७०० मारी गईं।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): भारी गईं या मर गईं।

**श्री भैरोंसिंह** : जैसा भी आप अन्दाज लगा लें। ऐसी स्थिति में गधों की संख्या में भी अन्तर रखा गया है। पंचायत समिति के अनुसार २२४ गधे मर गये वहां सरकारी आंकड़ों में १२५ ही मारे गये। ११४४ वहां मकान टूट गये, सरकार के अनुसार १ हजार ५४ मकान टूटे हैं। पंचायत समिति के अनुसार ३६८ खड़ीन टूटीं लेकिन सरकार कहती है ६० खड़ीन टूटी हैं।

इसी प्रकार से सरकार के आंकड़ों में, पंचायत समिति के आंकड़ों में और गौ सेवा संघ के आंकड़ों में, तीनों में बहुत बड़ा अन्तर नजर आता है। पर उस सारे अन्तर के बारे में सदन में कुछ निवेदन मुझे अधिक नहीं करना है। यह तो सरकार की मशीनरी है जिस पर हमारे माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बहुत अभिमान है और जिसके कारण वे कह जाते हैं कि पटवारी तहसीलदार और कलेक्टर जिस प्रकार की भी मुझे कोई सूचना दें उसके आधार पर इस सदन में वे सूचना देने की तैयारी करते हैं। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने जब वहां के अधिकारियों से पूछा कि आपने ये आंकड़े कैसे इकट्ठे किये तो पता चला कि जैसलमेर के सेन्ट्रल पूल में तीन जीपें हैं। एक पर्मानेन्टली खराब रहती है, एक आधे समय के लिए खराब रहती है और एक हमेशा के लिए तैयार रहती है। जैसलमेर का इतना विस्तृत इलाका है और वहां केवल एक जीप कलेक्टर के पास है। अगर वह मौके पर जाना चाहे तो पहले तो बरसात के कारण रुकावट हो गई थी, फिर सवारियां न होने के कारण मौके पर नहीं पहुँच पाये। जहां इमीजिएट रिलीफ वर्क देना चाहिये था वहां सरकार की ओर से किसी प्रकार का उस समय रिलीफ नहीं दिया जा सका। मोहनगढ़ क्षेत्र में तो परिस्थिति यहां तक आई कि वहां के थाने के वेन्टीलेटर्स के ऊपर तक पानी पहुँच गया। थाने के लोग रात भर तक छत पर खड़े रहे और जब वेन्टीलेटर्स से पानी आने लगा तो घबराने लगे; सोचने लगे कि मौत के सामने खड़ी है, पर कुदरत ऐसी हुई, धीरे धीरे पानी कम होता गया और डेढ़ दिन के बाद वे छत से नीचे उतर पाये। पर मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ जिनके बारे में राजस्व मन्त्रीजी ने बतलाया था कि जैसलमेर के इलाके में जितने इतने काम किये हैं और यहां तक कहा गया कि वहां की जनसंख्या जो १०८ हजार व्यक्तियों की है उसमें से ६० हजार को काम पर लगा दिया। यह ऐसा

# Page No.34



(श्री भैरोंसिंह)

बड़ा कार्य है कि जिसकी एवज में भारत सरकार को चाहिए कि वह इन्हें अपने प्लानिंग कमीशन का मेम्बर बना दे। जो आदमी १०८ हजार की पॉपुलेशन में से ६० हजार को एंगेज कर ले उसे मेम्बर बना कर बहुत लाभ उठाया जा सकता है। मामूली से मसले को लेकर आप किस प्रकार से इस बात का समर्थन करते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) I can say if he is allowed free speaking like so many things and if I don't get protection of your Honour and get all these things...

**श्री भैरोंसिंह** : This is a direct reflection on the Chair.

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : Not that. The House will seek the protection of the Chair...

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के राजस्व मन्त्री चेयर से यह कहें कि आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की बातें चलती रहेंगी। तो इसका यह अर्थ मानकर चलना चाहिये कि प्रोटेक्शन आपकी ओर से उनको नहीं मिला। तो ऐसी भाषा का प्रयोग उनको जरा सोच-समझ कर करना चाहिये। आप यह सब मुझे नहीं कह रहे हैं, अध्यक्ष के लिये कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी सावधानी से शब्द निकालने चाहिये।

**श्री श्रीभानसिंह** : आप डिस्टोर्ट कर रहे है.......

**श्री भैरोंसिंह** : मैं डिस्टोर्ट करता हूं या नहीं;पर आप तो अपने टिकट की कार्यवाही जरूर करते हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदारशहर) : क्या प्रोटेक्शन चेयर का ठीक नहीं कर सकते ?

**श्री भैरोंसिंह** : आप अगर इसलिये यह सोच कर डिस्टर्ब करते हों कि आपके डिस्टर्बेन्स से कोई रौब में आ जावे तो यह नहीं होने का।

**श्री श्रीभानसिंन** : आप रौब में मत आइये।

( विराम )

On a Point of Order, Sir, according to the Rules of Procedure the Hon'ble member had raised a cut motion on famine, and now is it open to the Hon'ble member to raise the same issue on the Appropriation Bill ? According to the Rules of procedure only those general things which could not have been raised previously can be raised. Now he is raisng this again and then any member can seek protection of the Chair.

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी का इसे अभाव समझता हूं। जिस मसले पर कल चर्चा हुई वह दुर्भिक्ष था। मैं अर्ज कर रहा हूं, आज जिस पर चर्चा हो रही है वह सरकार के द्वारा दिया हुआ अग्रिम है जिसमें फ्लड रिलीफ आता है।

# Page No.35



**श्री श्रीमानसिंह** : Famine figures This is not famine. The Hon'ble member is speaking about famine figures.

**श्री भैरोंसिंह** : I am quoting the flood figures. The Hon'ble member should know there is a difference between flood and famine.

**श्री श्रीमानसिंह** : You don't know what you speak. Look at the proceedings of the House.

**श्री भैरोंसिंह** : समझ कर नहीं बोलते हैं, तभी आपको छोड़े देता हूँ ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि अभी सदन में ऐसी स्थिति में सरकार ने जो सहायता है काम गिनाये, राजस्व मन्त्रीजी ने बताये, पांच हजार की तकावी बांटी और पांच हजार का रिलीफ वर्क दिया गया. अध्यक्ष महोदय, अन्दाज लगाइये इसी बात से....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have never said that five thousand was given. This is most incorrect Sir.

**श्री भैरोंसिंह** : You have given this reply in connection with a question of Shri Anoop Singh.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is not so...

(बाधाएं)

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : Let him repeat then what he said ?

**श्री अध्यक्ष** : Order please ! order !! order !!

**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में यदि हम यह अन्दाज लगाकर चलें कि जिस क्षेत्र में दो करोड़ का नुकसान हो जावे और दो करोड़ का नुकसान भी अध्यक्ष महोदय, इस तरह कि जिन लोगों ने वर्षों तक मेहनत करके अपनी सम्पत्ति इकट्ठी कर रखी थी, मवेशियों का धन इकट्ठा कर रखा था, वर्षों से मकान बना कर छोड़े थे, उस तरह का दो करोड़ का नुकसान उठाने के बाद वे बिल्कुल गरीब हो गये; उस जनता को राजस्थान की यह सरकार कहती है कि रिलीफ वर्क के निमित्त उसके पास केवल पांच हजार रुपये हैं। उससे अधिक छः हजार भी नहीं हो सकते और यदि यह मसला जिस तरह से एक सदस्य जो अजमेर जिले से आये हैं वे सदस्य कल जिस समय भाषण दे रहे थे उसी के आंकड़े देखें तो वहां राजस्थान का सरकार २७॥ को जनसंख्या पर लाख रुपया खर्च कर देती है। उस एक लाख के खर्च की उनको चिन्ता नहीं होती। उनको चिन्ता है तो केवल जैसलमेर के लोगों की कि जिनके लिए पांच हजार से ५। हजार भी नहीं देना चाहिये। और यही मेरी शिकायत है।

राजस्व मन्त्रीजी कहने लगे, मैं गलत बात कह गया कि वे वहां नहीं गये। मैं आज भी उसी बातको दावे के साथ कहता हूँ कि वे फ्लड के मामले में जैसलमेर नहीं गये और इस स्थिति में वे हों कि वे यह कह सकें कि वे गए तो कह दें गए। गए होंगे इलाके में। जाने का उनका कर्तव्य है, राजस्व मंत्री हैं। जाते आते रहते हैं। पर मुसीबत के वक्त गये हों तो जिक्र कर दें कि वे मुसीबत के वक्त जैसलमेर गए थे। कहने लगे, मैं और मुख्य मंत्री जी गये थे; वहां कई निर्णय लिए—ट्रान्सफर

(श्री भैरोंसिंह)

किए । आप वहां कॉबिनेट की मीटिंग करने गए थे, यह मुझे भी मालूम है । पर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है, २३ से २६ तारीख तक इतना नुकसान यहां हुआ है तो यह रिलीफ देनी चाहिए तो आप मुझे बता दें । दूसरे महीने तक भी कह सकता हूं राजस्व मन्त्रीजी वहां नहीं गए । राजस्व सचिव को भले ही उन्होंने भेजा हो । राजस्व सचिव गए थे, पर राजस्व मन्त्री नहीं गए । और कहा जावे तुरन्त कार्यवाही चालू कर दी । मैं यह दावे के साथ कहता हूं, किसी भी प्रकार की कोई तुरन्त कार्यवाही चालू नहीं की । पन्द्रह दिन पहले तक लोगों को शिकायत थी कि रुपया आया, पर देने में कानूनी बाधा उपस्थित की जाती है । कहा गया कि इस कानूनी बाधा को दूर करने के बाद सारा पैसा मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, करीब आठ हजार के मकान गिर गए । राजस्थान सरकार ने वहां कोई टिन नहीं भेजे । सहायता के लिए पांच हजार रुपया दिया गया । उसमें से तीन हजार जैसलमेर शहर में और बाकी का सारी जनसंख्या जो १,३० हजार की है उस १,३० हजार की जनसंख्या में राजस्थान की सरकार ने २ हजार रुपया सहायता के रूप में दिया । बड़ी कृपा करके आपने दो हजार रुपया उनको दिया है और उन दो हजार रुपयों में राजस्थान की सरकार ने वहां के ९० हजार लोगों को बांट दे दिया । इस प्रकार की बातें, जो सही नहीं हो सकतीं, सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । आप स्वयं वहां जाते, लोगों की आवश्यकताओं को महसूस करते और इसके बाद जिस तरह निर्णय लेना होता लेते । मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, आप इस अकाल की बात कर रहे हैं ।

इस फ्लड के कारण आज जो नुकसान हो गया सो हो गया, पर आगे की फसल का भी नुकसान हो गया है । ६ हजार की संख्या में खडीनें टूट गई हैं । उनके अभाव में आगे की फसलें हो नहीं सकेंगी, तो आप अब आगे के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मैं ऐसा समझता हूँ राजस्थान की यह सरकार आज जैसलमेर जिले को एक अण्डमान समझ कर चलती है, कालापानी समझ कर उसके साथ व्यवहार करती है । उस पानी को शुद्ध करने की उसको परवाह नहीं है । लोगों को वास्तव में सहायता मिले, ऐसा नहीं चाहती । राजस्व मन्त्रीजी कहने लगे, जनमत मेरे पीछे बैठा है इस्तीफा लेने वाला तो । आपका जनमत आपसे इस्तीफा ले या नहीं ले, पर आपकी कार्यवाहियां इस प्रकार की हो रही हैं कि आपसे इस्तीफा लेना आवश्यक हो गया है । आपने जिस तरह की कार्यवाहियां की हैं वे इस बात का तकाजा करती हैं कि अब राजस्व मन्त्री के अपने पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

( करतल-ध्वनि के कारण ) ।

अपने चारों ओर दो-चार समर्थकों को बिठा कर तालियां बजा दें और कहें कि इस्तीफे की चिन्ता नहीं, आप इस्तीफे की चिन्ता नहीं करते । ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े उतावले होते हैं, शायद ज्यादा वे सुनते तो उनको पता लगता कि क्या बात सही है, क्या नहीं है । शायद जिस समय कोई बात सही आपको अच्छी नहीं लगती उस समय आप लोग बीच बीच में तालियां बजाते हैं,

# Page No.37



(श्री भैरोंसिंह)

उसका मुझे एतराज नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जरा राजस्व मन्त्रीजी जैसलमेर को भी मालपुरे का इलाका समझ कर चलें। अगर उस क्षेत्र में जरा सा भी नुकसान होता है तो राजस्थान के कन्सोलीडेटेड फण्ड में से कन्जूसी करके जैसलमेर के लिए रुपया भेजने की व्यवस्था करें तो ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि मेरे साथ साथियों का साथ है और मुझे उनका सहयोग मिला हुआ है; मैं उनकी बातों को याद दिलाता हूँ, इस सदन को याद दिलाता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी की ऐसी कार्यवाहियां थीं कि जिसके कारण से राजस्थान के तीन किसान मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। आज राजस्थान के किसान राजस्व मंत्री जी से पीड़ित हैं। वे ऐसा समझते हैं कि जैसे पहले राजपूतों के लिए परशुराम पैदा हुए थे आज किसानों के लिए आप परशुराम पैदा हुए हैं। आज गंगानगर का इलाका देखिये, दूसरा इलाका देखिए; कहीं लगान के नाम से किसान तबाह हो रहे हैं, कहीं लैण्ड के अलॉटमेंट के मामले में किसान तबाह हो रहे हैं, कहीं अकाल के मामले को लेकर किसान तबाह हो रहे हैं। आज हमारे राजस्व मन्त्री जी ने तो किसानों की चिन्ता करना ही छोड़ दिया है बल्कि उनके दिमाग में यह पैदा हो गया कि किसानों को समाप्त करना है और जब तक किसान समाप्त नहीं हो जायेंगे तब तक मैं यहां बना नहीं रह सकता। मैं उनकी भावना, यदि सदन में रखूं सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मंत्रि मण्डल के इस्तीफे के समय पर आपके खिलाफ किस प्रकार के चार्जेज लगाए गए थे। यह अच्छा हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्रीजी ने राजस्थान के मुख्य सचिव को फैसला कराने के लिए भेज दिया हालांकि आज तक…

**श्री अध्यक्ष** : क्या आप ये सारी बातें बहस में लाना उचित समझते हैं?

**श्री भैरोंसिंह** : This is very relevent, Sir. हमारे राजस्व मन्त्रीजी का जो रुख है उसके कारण से मन्त्रि मण्डल में यह परिस्थिति पैदा हुई और वह परिस्थिति अब तक बनी हुई रहती और वह भेद अब तक बना रहता यदि मुख्य सचिव बीच में हस्तक्षेप न करते। इस तरह से इस प्रकार की परिस्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए एक सरकारी अधिकारी नियुक्त करवाने की परम्परा अच्छी नहीं है और यह अच्छी परम्परा का निर्माण नहीं किया गया। मैं ऐसा मानकर नहीं चलता…

**श्री चन्दनमल बैद** (सरदारशहर) : आप सुनी-सुनाई बात कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरे में तो अकिल है, यदि आप सुनी-सुनाई बात कहते हैं तो अकिल नहीं है।

मैं यह अर्ज कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी परिस्थिति में यदि सारे राजस्थान के एप्रोप्रियेशन बिल को देखा जाये तो कई ऐसे मसले आते हैं कि जिन मामलों के बारे में कोई भी व्यक्ति यह मानकर चल सकता है कि हमारी सरकार जिस गति से इस समय चल रही है वह गति राजस्थान के विकास में बहुत बाधक है। मैं रेफरेन्स के रूप में राजस्व मन्त्रीजी से कहना चाहूँगा कि अभी जो फाइनेन्स कमीशन आया और उसके सामने

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार ने जो मेमोरेन्डम पेश किया, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको खुद को नफरत पैदा हो जायेगी। उस फाइनेन्शयल मेमोरेंडम के पढ़ने के बाद यह मालूम होगा कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के सामने दिवालिया बनकर हाथ जोड़ रही है कि हम मर रहे हैं, हमें पैसे दो। जब कि दूसरे राज्यों के फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पढ़ने से मालूम होगा कि जिस प्रकार के तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने अधिकार के आधार पर भारत सरकार से पैसे मांगने का अधिकार समझा है, जब कि राजस्थान सरकार ने उसको भीख समझा है। मैं इस समय उसका जिक्र नहीं करता कि भारत सरकार ने उसको भीख समझा है या नहीं समझा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र आया उसके अन्दर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और स्टैनो की बढ़ाने की आवश्यकता हुई, लेकिन पिछले दिनों में राजस्थान में ५ हजार जो फोर्थ क्लास सर्वेन्टस को निकालने की सरकार ने कार्यवाही कर दी; वह क्यों कर दी, उसके लिए कहा है कि हमें कमिश्नरीज को डिज़ोल्व करना है। पर आप देखेंगे कि कमिश्नरों को इधर उधर लगा दिया, लेकिन जिस चपरासी को ५० रुपये मासिक मिलते थे उन तीन हजार आदमियों को नोटिस दे दिया कि तुमको राज्य-सेवा से निकाला जायेगा....

श्री दामोदरलाल व्यास: This is also not relevant.

श्री भैरोंसिंह : This is all relevant. तो ऐसी स्थिति में....

श्री दामोदरलाल व्यास: This is for the Speaker to decide whether this is all relevant.

श्री भैरोंसिंह : I am always relevant and my talks are always relevant.

तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर सरकार ने उनकी यूनियन से डरकर ३ में से २ हजार के नोटिसेज वापिस ले लिये, लेकिन फिर भी ७०० कर्मचारियों को तो सरप्लस घोषित कर दिया। अब म्युनिसिपैलिटी के चुनावों का जिक्र आ गया और उन कर्मचारियों ने सोचा कि सरकार हमें सरप्लस मानकर चल रही है। यदि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन सरकार जीत गई तो सरकार समझेगी कि इन्हें हटा दिया जाये। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने जिस फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम में कहा कि भारत सरकार से १। करोड़ रुपये की सहायता मासिक मिलती है और उसके अनुसार ५ रुपये की तनख्वाह बढ़ी। अब हमें पैसा नहीं मिलता है इसलिए हम पांच रुपये की सहायता अल्पवैतनिक कर्मचारियों को कैसे देंगे ? राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी भाषण देते हैं तो पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं। तो जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि यहां के कर्मचारियों को बाकी के राज्यों के कर्मचारियों से ज्यादा मिलते हैं। इस फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि जो नोर्दर्न जोन की स्टेट्स हैं उनके मुकाबिले में राजस्थान के कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती है। जितने भी राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में आप मौन हैं, मौन ही नहीं बल्कि आपने संकेत किया है कि भारत सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार से ५ करोड़ रुपया नहीं मिला तो ५ रुपये का जो हम अलाउन्स देने जा रहे हैं वह भी समाप्त हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, बाहर जाकर देखें; जैसे शिक्षा विभाग है, पंचायत का विभाग है, पंचायत की मांगें हैं उसको लाखों रुपया दिये जाने की व्यवस्था है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अपने सारे मत सदन के सामने प्रस्तुत करें । आज जो अध्यापक पंचायतों के अण्डर में दे दिये गए हैं उनकी हालत खराब थी । वे आज राजनिति के शिकार बन रहे हैं । आपने उनकी हालत देखी है ? क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में अध्यापकों के एरियर्स लाखों रुपये के पड़े हुए हैं, प्रमोशन्स के मामले कई दिनों से पड़े हैं? क्या आपको मालूम है कि पंचायतों के अन्दर किस तरह से हस्तान्तरण किये जाते हैं ? उस सारे सम्बन्ध में हमारी सरकार मौन है और ऐसा समझती हैं कि अध्यापकों की हत्या करना सरकार का काम है । मैं समझता हूँ कि बंगाल के अध्यापकों ने परसों के दिन ही सरकार को नोटिस दिया है ।

**श्री हरिदेव जोशी** (घाटोल): On a Point of order, Sir, मैं आपका ध्यान बिजनेस रूल्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में जिन आइटम्स में सप्लीमेन्टरी ग्राण्ट्स हैं उन्हीं तक कन्फाइन रहने का प्रावधान है जबकि माननीय सदस्य उससे काफी आगे और काफी दूसरे पोलीटिकल ग्राउन्ड्स पर भी जा रहे हैं तब इसका अर्थ यह होगा कि उसका जवाब देने के लिए काफी समय की जरूरत होगी । इसके लिए मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ ।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने जो कहा है वह तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के ऊपर लागू होता है, मैं अध्यापकों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ । पंचायतों को देखिये कि आप उनको कितनी राशि दे रहे हैं । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ....

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ ।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो बिलकुल सिद्धान्त है कि केवल उन्हीं मामलों पर बोल सकते हैं जिनका जिक्र एप्रोप्रियेशन बिल में किया गया है ।

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कई पोइन्ट्स रेज करते जा रहे है, उनके बारे में क्या होगा ?

**श्री भैरोंसिंह** : पोइन्ट्स नये हैं, लेकिन मामले तो पुराने हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : उन प्वोइन्ट्स पर, जिन पर कटमोशन्स के द्वारा बहस नहीं की गई है मामले एप्रोप्रियेशन बिल के समय उठाये जा सकते हैं ।

**श्री हरिदेव जोशी** : मगर वे पोइन्ट्स जिनका किसी भी सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट से सम्बन्ध नहीं हो उनके बारे में क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : ऐसे मामले नहीं उठाये जा सकते हैं ।

**श्री हरिदेव जोशी** : वही माननीय सदस्य रख रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : जिनके बारे में सप्लीमेन्ट्री

Page No.40



(श्री अध्यक्ष)

ग्रान्ट्स नहीं हों, जिस विभाग के विषय में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट का जिक्र नहीं हो उनके बारे में इस समय बहस नहीं हो सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या यह समझा जाये कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह खाली भाषण ही है।

श्री भैरोंसिंह : वह अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि गलत नहीं है। आप स्वयं कागज देख लें कि जितना बोल रहा हूं उनका रेफरेन्स आया है, उन पर ही बोल रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप स्वयं ही समझदार है। सदन के और लोगो में भी अकिल है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य जब यहां बंगाल का उदाहरण दे रहे थे तो माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Information, Sir, there are two demands one is with regard to Pilot Projects and water supply scheme and the other is about P.Loan and Advances of about 3. 62 lacs for cattle breeding aud a sum of Rs 60 thousand for flood sufferers. There is no item regarding these teachers in this grant and as such there oannot by any reference about them.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को जो सारी धनराशि दी जा रही है वह पंचायत समिति को दी जा रही है....

श्री पी. के. चौधरी : But the grants, which are now being given to Panchayat Samitis are inot.........

श्री हरिदेव जोशी : As a matter of fact, he has misused the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : You are doing the same.

श्री पी. के. चौधरी : The first is regarding pilot projects, the other is loans for Cattle breeding and the third there is no item, Sir.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अध्यापकों के बारे में चिन्तित नहीं हैं....

श्री पी. के. चौधरी : We are seeking the protection of the Chair. Sir. He is giving his speech out of the rules. It is not in order. when I pointed out to him about it, the Hon'ble member wants to make implicatons about this. It is not desirable,whetrer somebody is anxious about ths teachers or not, This is not the Question. He is utilising this with a political angle.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि पंचायत समितियों को जो धनराशि दी जा रही है.......

# Page No.41



**श्री अध्यक्ष :** और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिए आप संक्षेप में बोलें और जल्दी ही भाषण समाप्त कर दें।

**श्री भैरोंसिंह :** मैं माननीय सदस्यों का संदेह निवारण कर दूं कि पंचायत समितियों के लिए सरकार ने ऐसे रूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि धनराशि जिस नाम से उनको एलॉट की जाती है वह पंचायत समिति अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे हैड्स में ट्रान्सफर कर सकती है।

**श्री पी. के. चोधरी :** Not from one sector.

**श्री अध्यक्ष :** Let him have his say, don't disturb him.

**श्री भैरोंसिंह :** ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि सरकार ने अध्यापकों के साथ जिस प्रकार का रवैया अख्त्यार किया था....

**श्री पी. के. चौधरी :** On a Point of Order, Sir, even if it be taken that panchayat Samitis can re-allocate funds within that Section but it cannot be...

**श्री भैरोंसिंह :** It may go to the education sector. He should first see Government circulars and then say.

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य कृपया बहुत जल्दी ही समाप्त करें। और भी कई सदस्य हैं जो कि बोलना चाहेंगे।

**श्री भैरोंसिंह :** ऐसी स्थिति के अन्दर जिस प्रकार का हाल पंचायत समितियों के अध्यापकों का बता रहा था उसी प्रकार का हाल वहां के वैद्यों का है। वैद्यों को तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। खैर, उन चीजों के बारे में माननीय सदस्यों को एतराज है इसलिए मैं निवेदन करना नहीं चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष इलेक्शन का वर्ष है। १९६२ के अन्दर आम चुनाव होंगे। पिछली बार....

**श्री श्रीमानसिंह (बयाना) :** इसलिए थोड़ी सी रियायत दे दी जाये आपको बोलने की यहां पर।

**श्री भैरोंसिंह :** मैं रियायत नहीं चाहता, लेकिन आप सुनें।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि १९५२ और १९५७ में जिस समय चुनाव हुए थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश निकाला था। उस आदेश के द्वारा सरकार को यह हिदायत की थी कि चुनाव के ६ माह पूर्व सरकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाये। लेकिन आज बदकिस्मती ऐसी है कि राजस्थान में आज भी अधिकारियों का स्थानान्तरण केवल राजनैतिक आधार पर किया जाता है। यह कहा जाय कि फण्ड्स के मामले को लेकर यदि सरकारी अधिकारी के पास कोई एप्रोच करे तो माननीय सदस्य कहते हैं कि फण्ड्स के मामले पर कोई बात कही जा सकती है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि फेमिन के मामले में बात कही जा सकती है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चाहे राजस्व मन्त्रीजी यह कहते हों कि सरकारी अधिकारियों की मार्फत आंकड़े

(श्री भैरोंसिंह)

दिये हैं, उनके मार्फत जांच करवाई है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सीकर जिले के बारे में एसोसियेशन से पूछिये कि उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया है: तो सीकर जिले के बार एसोसियेशन एक प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्रीजी के सामने प्रस्तुत करेंगे कि वहां पर एस. डी. ओ. है वह ५ वर्ष तक मालपुरा में बी. डी. ओ, एस. डी. ओ. और तहसीलदार रह कर आया है, वह आपका कृपा-पात्र होने के कारण किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो शिकायत कोई नहीं सुनता है। बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया है उनके खिलाफ तो राजस्व मंत्रीजी चिढ़ गये और बनिस्बत इसके कि उस एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करते उनके बड़े भाई को वहां पर ए. डी. एम. बनाकर भेज दिया। सीकर जिले पर इतनी कृपा क्यों?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): क्योंकि आप रहते है।

**श्री भैरोंसिंह**: यदि मेरे कारण...

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदारशहर): आप तो सीकर जिले के एक कोने में रहते हैं।

**श्री भैरोंसिंह**: मेरे कारण से सीकर जिले पर इतनी कृपा नहीं करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के हित में, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के हित में कि जिन लोगों को ५ वर्ष या २ वर्ष मालपुरा में ट्रेनिंग दे दी उनको कम से कम दूसरी जगह नहीं भेजें, क्योंकि मालपुरा के ट्रेन्ड अधिकारी दुनिया को आपके रूप में परेशान करते हैं और दुनिया को परेशानी से बचाने के लिए उस मालपुरा के ट्रेनिंग सेन्टर को बन्द करदें। मालपुरा की जनता उस ट्रेनिंग सेन्टर के कारण दबी हुई हैं। उनको मुक्त कर दें। सन् १९४७ के अन्दर सारा देश आजाद हुआ, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह मालपुरे का इलाका आजाद नहीं हुआ। कोई सरकारी अधिकारी माननीय राजस्व मंत्रीजी की इच्छा के बिना वहां रह नहीं सकता। वह रह कर स्वतन्त्र काम करना चाहे तो वह स्वच्छन्दता से काम नहीं कर सकता है। आज वह हाल मालपुरे के और लोगों का हो रहा है। वह राजस्व मंत्री के कारण से गुलाम हैं। होना तो यह चाहिए था कि राजस्व मंत्रीजी के रहने के कारण वे आजादी के सुख का अनुभव करते, लेकिन बदकिस्मती हैं मालपुरे के लोगों की कि राजस्व मंत्री के रहने के कारण गुलामी उठा रहे हैं। इसलिए राजस्व मंत्री से कहूँगा और सदन से कहूँगा कि सदन सहानुभूति बताये मालपुरा के लोगों के साथ। राजस्व मन्त्री के दबाव के कारण वहां पर कोई भी अधिकारी बिना उनकी इच्छा के ज्यादा दिन नहीं टिकने पाता है....

**श्री हरिदेव जोशी**: तो मालपुरा पर कटमोशन मूव किया होता।

**श्री भैरोंसिंह**: फेमीन और फ्लड रिलीफ पर मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली):

(श्री जनार्दनराय नागर)

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जिस प्रकार, जिस जोश से और जिस तबियत से सदन में रिएप्रोप्रियेशन बिल पर अपना भाषण दिया है, मैं समझता हूँ सदन की जो हमारी परम्परा है उसके बहुत विरुद्ध हो जाता है। इनके सारे भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना और इस बात की मैंने कोशिश की कि जो मसला रीएप्रोप्रियेशन के हमारे सामने है उनमें उनका भाषण कहां तक फिट-इन होता है। लेकिन इस सदन में कई माननीय मित्रों ने बार बार इस बात की ओर संकेत किया कि इनका भाषण विषय से बहुत दूर चला गया है और यह बहुत स्वाभाविक है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे माननीय मित्र इस सम्बन्ध के विषय से दूर जाकर भी उनमें जो उद्गार भरे हुए हैं वे उद्गार इस सदन के अन्दर व्यक्त करेंगे, और बड़े आश्चर्य से मैंने देखा कि उनके सारे उद्गारों के आक्रमण के केन्द्र बिन्दु हमारे माननीय राजस्व मंत्री है।

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :** मैं भूल गया। अगर मुझे फिर चान्स दें तो मैं आपको भी शामिल कर लूँ।

**श्री जनार्दनराय नागर :** वे किस बात से राजस्व मंत्रीजी से नाराज हो गये कि उद्गारों के आक्रमण का केन्द्र बिन्दु उन्हें बनाया। लेकिन शायद वे भूलते हैं जैसे मेरे वे अच्छे मित्र हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से अपना आक्रमण जारी किया है कि उस व्यक्ति के प्रति किया हुआ वह उनका आक्रमण विफल होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं और इस बिल के बायस लेकर उठाई है; इसलिये हम भी अपना अधिकार समझते हैं कि हम उन बातों का निराकरण करें।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस तरफ से जैसी भाषा में, जिस तरीके से, जिस तौर से, बातें उठाई हैं उस भाषा में, उस तरीके से और उस तौर से हम जवाब देने वाले नहीं हैं क्योंकि उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन पर तो केवल एक ही जिम्मेदारी है कि छोटे-मोटे तथ्यों को लाया जाय, उनको तोड़ा जाय, उनको मरोड़ा जाय और उनकी मिट्टी-पलीद की जाय और सदन में रखा जाय और उसका प्रभाव पैदा किया जाय। आज जो हुकूमत हम चला रहे हैं उसके जरिये कोई अच्छा काम नहीं होता है। जैसलमेर में बाढ़ आती है या बाड़मेर में बाढ़ आती है या अकाल होता है, तो यहां यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि यह हुकूमत के लोग है, जैसलमेर के बाढ़पीड़ितों के प्रति कोई उसको सहानुभति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से राजस्थान बना तब से बाढ़ और अकाल राजस्थान के बुरे दोस्त हैं, लेकिन हमदर्द दोस्त रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है, हर साल अकाल पड़ता है और हर साल हुकूमत रिलीफ का भारी काम करती है, भारी काम हुए हैं। आज तो आपने रिलीफ के काम को भी छोड़ दिया है। मैं नहीं समझता कि किसी की भी सरकार हो, जब बाढ़ आती है या अकाल पड़ता है, हिन्दुस्तान में कोई भी सरकार हो, वह इस ओर ध्यान न दे, यह मानने में और सोचने में नहीं आता है। सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। आप पड़ौसी लोग हैं, आसाम में बाढ़ आती है या बिहार और बंगाल में बाढ़ आती है तो सारे हिन्दुस्तान के लोग बाढ़पीड़ितों की मदद करते हैं, इधर के लोग भी उनकी मदद करते हैं; तब यह बात कहना कि इतने साहस और हौसले की बात है कि जैसलमेर-बाड़मेर

(श्री जनार्दनराय नागर)

में बाढ़ आई या अकाल पड़ा तो सरकार ने सहायता नहीं दी, यह बात समझ में नहीं आती। मैं मान सकता हूँ कि कुछ कमी रह सकती है, औपचारिक ढंग से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने उनकी इमदाद न की हो यह सही नहीं है। कोई सरकार मानवोचित रूप से भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में यदि खुदा के फजल से उनकी हुकूमत आई तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभियोग ये लगा रहे हैं वह उनके ऊपर भी लग सकता है। राजनैतिक हित करना है तो उसका दायरा अलग है। यदि इस तरह से यहां शब्द कहे जाएंगे तो वे वापिस रिकोइल करेंगे जब जिम्मेदारी उन पर आयेगी तब। लेकिन ईश्वर का कुफ्र है कि उन पर जिम्मेदारी नहीं है।

आपने जो बहुत सी बातें कहीं वे इस बात का सुबूत है कि जिम्मेदारी के बिना कही हैं। आपने कहा कि इस सरकार को अध्यापकों की चिंता नहीं है, आपने कहा कि सरकार को वैद्यों की चिन्ता नहीं है, आपने कहा कि सरकारको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की चिन्ता नहीं है। आपने ऐसी बातें कहीं कि किसी की चिन्ता हुकूमत को नहीं है और यहां इस स्थान पर बैठे उनके आक्रमण को बरदाश्त करते हैं। हुकूमत को काम करना पड़ता है, नहीं तो वह एक दिन भी नहीं रह सकती। इसलिये जो राजनैतिक दृष्टि से यह प्रहार किया है मैं उसको व्यर्थ मानता हूँ और यदि सदन के बाहर चैलेंज है तो वे इतने योग्य हैं कि उनके चैलेंज को मंजूर करते हैं। लेकिन सदन इसके लिये क्षेत्र नहीं है। यदि चैलेंज करना हैं और टक्कर लेना है तो वे दिन आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि वे बड़े जोश से बोले हैं, वे अरमानों से लबरेज हैं, टक्कर लेना चाहते हैं। मैं उन्हें सद्‌भावना के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि साम्प्रदायिक तत्वों के साथ प्रतिक्रियावादी तत्वों का गठबन्धन हो रहा है और कांग्रेस प्रगतिशील ढंग को साथ में लेकर उनका मुकाबला करेगी, इसमें कोई शक नहीं है।

मिनिस्टरों के त्यागपत्र देने की बात करते हैं, मिनिस्टर आपने नहीं बनाये, हुकूमत आपने नहीं बनाई, इस पार्टी में बैठने वाले कुछ कहें: लेकिन राजस्थान की जनता ने जो जिम्मेदारी गुजरे पांच सालों में सरकार को दी है उसको बखूबी सहर्ष निभाया है। चाहे आप माने न मानें, पर सारा हिन्दुस्तान मानता है कि राजस्थान की हुकूमत ने गौरवशाली कदम उठाया है, उसने राजस्थान के गौरव का हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में बढ़ाया है।

आप छोटे छोटे छिद्र राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उस दृष्टि से आप बात कह रहे हैं, यह आपके लाभ की बात है। यह तो देखने का सवाल है। टीन की जैसी तलवार है वैसा ही विज्ञापन होता है। तो आपके राजनैतिक विज्ञापन के बारे में हमको खूब मालूम है।

मैं अदब से कहना चाहता हूँ मित्रों को कि इस बात की चर्चा है कि राजनैतिक विरोध होते हुए भी आचार संहिता होनी चाहिए। राजनैतिक पार्टियों का प्लेटफॉर्म दूसरी बात है, आचार संहिता उनके लिए है लेकिन इस सदन की बनाई परम्परा

# Page No.45



(श्री जनार्दनराय नागर)

दूसरी बात है। मैं मानता हूँ कि हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। बाहर की बातों के लिये बहुत खुला क्षेत्र है. अभी से बेताब होने की बात नहीं है, जोश से कहने और बार बार उठने की बात नहीं है, समय आ रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं। राजनैतिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, टक्कर लेनी है, वह आज यहां पर इस तरह से टिन की तलवार को सदन में घुमाने से नहीं हो सकती। फैसला राजनैतिक बुनियाद पर सही पद्धति से होने वाला है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता किसको हुकूमत के योग्य समझती है यह देखने का समय आ रहा है, जिन परम्पराओं को बढ़ावा देने में आपने और हमने योग दिया है....

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : On a point of order, Sir,...

**श्री जनार्दनराय नागर** : मुझे इतना ही कहना है कि सदन के लिये कांग्रेस दल और हुकूमत इस सदन के इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं ...

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : On a point of order Sir,...

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा औचित्य प्रश्न उठाने से व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : Order Please! Order !! Order !!

**श्री तनसिंह** : यदि यह हमारी परम्परा है कि एक सदस्य पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठावे और दूसरे बोलने वाले सदस्य इस बात में अपनी शान समझते हैं कि बोलते चले जावें और पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को सुनने नहीं दें तो यह उचित नहीं है। हम मानते हैं कि उनमें विद्वता है, लेकिन इस तरह से बोलते जाने में वे समझते होंगे कि बहादुरी है, लेकिन मैं इसे बहादुरी नहीं समझता हूँ। When Shri Arjan Das had raised a point of order he should have sit down.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : When during his speech a point of order was raised he did not take his seat and, therefore another point of order was raised tha he should sit down.

**श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Probably the Hon'ble member did not hear the point of Order.

**श्री अध्यक्ष**: He did...

**श्री जनार्दनराय नागर** : I didn't know that, Sir.

**श्री अध्यक्ष** : I wish, you had known it.

**श्री जनार्दनराय नागर** : May I continue, Sir ?

**श्री अध्यक्ष** : Let him have his say first.

(विराम)

Shri Arjan Das i

**श्री अर्जुनदास** : My point of order is that the Hon'ble member is comparing our speeches to 'Tin-ki-Talwar'.

(श्री अर्जुनदास)

This is a contempt of the House, Sir. His speech can be that but not ours. Truth is truth'.

I will request the Chair to ask the Hon'ble member to withdraw his words

एक माननीय सदस्य : There is nothing in that.

**श्री चन्दनमल बैद** ( सरदारशहर ) : काट की तलवार कह दीजिये।

**श्री जनार्दनराय नागर** : आपको नाराज़गी है तो मैं इसको वापिस लेता हूँ, और इसके बजाय टिन गॉड कह दीजिये। You are one of the 'tin-gods'.

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि राजस्व मन्त्रीजी को अपने कारनामों से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके कारनामे बहुत अच्छे हैं। किसानों के डिलीवरेन्स के लिये इन्होंने इतना प्रगतिशील रेवेन्यू कानून बनाया है वह राजस्थान में ही नहीं, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में एक उदाहरण है।

( १.०८ म० प० )

ऐसी अवस्था में आप नहीं कह सकते कि उन्हें उनके कारनामों की वजह से त्याग-पत्र देना पड़ेगा। अगर त्याग-पत्र देना पड़ेगा तो वह हमारी वजह से देना पड़ेगा। हमारे राजस्व मंत्री हमारी इच्छा और विश्वास से राजस्व मंत्री हैं और उनका काम सुन्दर है। इसी तरह हर मंत्री के लिए कह सकता हूँ और हुकूमत के लिए और पार्टी के लिए कह सकता हूँ। इसलिए अन्त में मैं बैठते हुए इतना कहना चाहता हूँ अपने मित्रों से कि बड़े प्रेम से चुनाव के मैदान में आयेंगे आमने-सामने, बड़े प्रेम से चुनाव लड़ेंगे जनतंत्रीय ढंग से, डेमोक्रेटिक ढंग से। फिर दिल को जलाने से क्या मतलब है; जैसे एक पनिहारी पनघट पर घड़ा फोड़ती है...

**श्री भैरोंसिंह** : पहले जैसे आपको टिकट नहीं मिला था और मुख्य मंत्री को धमकी देकर लिया था, वैसी ही हालत न हो जाय।

**श्री जनार्दनराय नागर** : टिकट काम से मिलता है। फिर भी कांग्रेस का टिकट न मिले तो उसकी चिन्ता नहीं।

एक माननीय सदस्य : बदकिस्मती यह है कि ऐसे लोगों को टिकट मिलता है।

**श्री अध्यक्ष** : वित्त मंत्री।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन में विचारार्थ है, मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। गत बजट के समय बहुत से ऐसे विचार आये थे कि जिनमें यह कहा गया था कि राजस्थान का जो प्रशासन और दूसरे मदों पर खर्चा है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है और खास करके वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में इस प्रकार का उल्लेख किया था कि वित्त आयोग ने इस प्रकार बढ़ते हुए खर्च के सम्बन्ध में बड़ा भारी दुःख प्रकट किया है। इसी सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय ने यह बात रखी थी कि आगे आने वाले समय के

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्तर्गत हम हमारे खर्चे के अन्दर कुछ कटौती करेंगे। इस कटौती के साथ साथ उस बजट के समय इस प्रकार की चर्चा आई थी कि उस कटौती के समय इस बात का ख्याल रखा जायगा कि अगर कोई नई पोस्ट क्रियेट होती है तो उसे नहीं होने देंगे और जिस प्रकार जो अभी काम करने वाले हैं, उनको आपस में एडजस्ट करेंगे। परन्तु अभी जो एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत हुआ है, इसके अन्दर ऐसी कई नई पोस्ट के लिए, जो प्रशासन में होंगी, १८ हजार रुपया रखा गया है और नई पोस्ट क्रियेट हुई हैं। इसके अलावा और भी मदें हैं जिनके अन्दर अधिक खर्च को बात कही गई है। मैं यह समझता हूँ कि एक ओर तो हमने इस प्रकार का वायदा किया था कि आगे हम किसी प्रकार खर्च के अन्दर कटौती करेंगे और हम जो भी खर्चा इस समय कर रहे हैं, उसमें एडजस्ट करेंगे, वहां दूसरी ओर हम नई पोस्ट्स क्रियेट कर रहे हैं। इसके साथ ही यह सवाल आया था इस सदन के अन्दर, मैंने खुद ने उठाया था, कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी की जायगी। तो उस समय मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि किसी प्रकार किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी और नये कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही है कि किसी डिपार्टमेंट में कमी है और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्यादा है तो इधर-उधर उनको एडजस्ट कर दिया जायगा। यह जवाब दिया गया था। मैं खुद देख रहा हूँ कि इसके बाद में खास करके जो छटनी की तलवार उठी, तो वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर उठी। हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो चार साल से, छः साल से काम कर रहे थे, उनकी सर्विस से एकाएक टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया और उसमें लिखा गया कि क्योंकि सरकार छंटनी कर रही है, इसलिए तुम्हारी सर्विस की छटनी की जाती है। उस समय एक नीति के रूप में सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि छटनी किसी हालत में नहीं होने देंगे; और मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार की बात कही थी कि किसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी नहीं होने देंगे। इसलिए जिन डिपार्टमेंट्स ने छंटनी की है, वह समझता हूँ कि अनुपयुक्त है क्योंकि खास करके उन लोगों को छंटनी के अन्तर्गत लिया गया है जो आठ साल से, दस साल से काम कर रहे थे और अब किसी दूसरे विभाग में काम करने जा नहीं सकते क्योंकि उनकी इतने वर्ष की नौकरियां हो चुकी हैं। ऐसे लोगों की छंटनी की गई। मैं यह अनुचित समझता हूँ। इसलिए खास करके मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने और आपने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के विरुद्ध कार्यवाही कैसे कर सकते हैं? अब आप इसका निराकरण किस तरह कर सकते हैं?

दूसरे, मैं यह समझता हूँ कि इसमें एक प्रकार से खर्च बढ़ाने की मांग है। मैंने देखा है कि राजभवन की साज-सज्जा के लिए एक और कुछ हजार रुपये की मांग रखी है। हम एक ओर साज-सज्जा और दूसरे कामों के लिए लाखों रुपये खर्च करें, वहां दूसरी ओर जैसे आज एक सवाल आया था कि आप जो वाटर चार्जेज के ऊपर २५ परसेन्ट पैनल्टी वसूल करते हैं, वह बहुत ज्यादा है, चाहे वह पेनल्टी के रूप में है, चाहे किसी

(श्री मुरलीधर व्यास)

रूप में है, वह आप एक साधारण कन्ज्यूमर और एक साधारण नागरिक से लेते हैं। वह ज्यादा है इसलिए वह कम होनी चाहिए। तो दूसरी ओर आप पेनल्टी के नाम को लेकर इस प्रकार की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मानें या न मानें, यह जो इस प्रकार की व्यवस्था की है, वह आज से काफी वर्ष पूर्व की जो सामन्तवादी परम्परा थी, उससे भी आगे निकल गई है। जैसा हरिश्चन्द्रजी ने फर्माया, मैं कहता हूँ कि राजा महाराजाओं को आप बदनाम न करें। जो राजा महाराजा आज के नये हैं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है इतिहास में पहली बार कि २५ परसेन्ट पेनल्टी के रूप में वसूल करेंगे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो समान्तवादी व्यवस्था थी, उसको आपने आज के जमाने में बदनाम कर दिया। मैं इसको अनुचित समझता हूँ, यह ठीक नहीं है क्योंकि कहीं भी इस प्रकार से नहीं हुआ। इसके विपरीत जिन लोगों में सरकार का बहुत सा रुपया बकाया पड़ा हुआ है, हाउसिंग लोन दिया है, उसमें बकाया है, बिजली और पानी का राजा-महाराजाओं में कितना ही रुपया बकाया है। हम अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें उससे मालूम होता है कि लाखों-करोड़ों रुपये की वसूलात होती नहीं है और उसके बारे में जवाब देते हैं कि इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। इसके बारे में अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि इसके बारे में सरकार ने लापरवाही की है....

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहां लिखा है यह ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह पब्लिक कमेटी का नवां प्रतिवेदन है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है, राजस्थान का निर्माण सन् १९४९ में हुआ किन्तु इन नरेशों को निःशुल्क दिये जाने वाले पानी और बिजली की सीमा निर्धारित करने में सरकार को ७ वर्ष लग गए जब कि जन-लेखा समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया था। भारत सरकार के राज्य मन्त्रालय से आदेश प्राप्त करने में यदि जल्दी की जाती तो सम्भवतः सरकार को इतनी हानि नहीं उठानी पड़ती। इसकी चर्चा इसके अन्दर है, इसमें साफ लिखा है कि सरकार ने लापरवाही की है, यह आपकी रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि लाखों और करोड़ों रुपये की वसूलात, पानी और बिजली के लाखों रुपयों की वसूलात नहीं होतीं और दूसरी तरफ जो साधारण आदमी हैं, कन्ज्यूमर हैं, साधारण नागरिक है....

श्री हरिदेव जोशी : करोड़ों रुपये की टोटल ड्यूज नहीं हैं; do not confuse the matter.

श्री मुरलीधर व्यास : लाखों तो हैं। मैं कहता हूँ कि हर किसी की तरफ एक लाख, दो लाख, किसी की तरफ चार लाख, किसी की तरफ पांच लाख की रकम बकाया है। मैंने टोटल नहीं लगाया है। रिपोर्ट पढ़ी थी, उससे मैं अन्दाज लगाता हूँ कि करीब दस लाख, बीस लाख बाकी है। मैं मानता हूँ कि राजा-महाराजाओं को इस प्रकार छुट्टी दे देते हैं और वसूलात में लापरवाही करते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा है कि सरकार इस प्रकार से लापरवाही करती है, वहां एक सामान्य नागरिक से, जिससे एक महीने का बिल चुकाने में चार दिन की देर हो जाती है,

( श्री मुरलीधर व्यास )

तो उससे २५ परसेन्ट पैनल्टी के हिसाब से वसूल करते हैं। क्या यह डेमोक्रेसी है ? क्या यह जनतंत्र है ? क्या यह समाजवाद है ? इसे कौन स्वीकार करेगा ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जवाब कुछ भी दे दीजिये, लेकिन २५ परसेन्ट पैनल्टी की इस प्रकार वसूली करना आज के युग में किसी प्रकार भी ठीक नहीं है और एक साधारण कन्ज्यूमर से, जिसमें मजदूर भी शामिल हैं, जो नल लेते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं, २५ परसेन्ट पैनल्टी वसूल करना इस युग में अन्याय दिखाई देता है। आप किसी को भी कर्जा देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, दूसरे लोन देते हैं तो कस हिसाब से उसमें लाखों रुपये बकाया आये, किस हिसाब से आपने उसे वसूल किया. क्यों आपने इस प्रकार की पैनल्टी उस पर लगाई ? जो लोग पानी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनसे इतनी पैनेल्टी वसूल करते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि मन्त्रि मंडल इस पर विचार करे कि १०० रुपया पर २५ रुपया पैनल्टी रखी है वह बहुत अधिक है। कभी कभी इस प्रकार की चीजें जिनसे जनता पर अत्यधिक भार पड़ता है, उन मुद्दों पर आपको विचार करना चाहिए और इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि गत बजट सेशन के समय भी एक प्रश्न के दौरान में कहा गया था कि साधारण कर्मचारियों के साथ में पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिये ...

**श्री हरिदेव जोशी** (धाटोल) : On a Point of order, Sir अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत मुश्किल हो जायेगा यदि सप्लीमेंटरी ग्रान्टस और ओरीजिनल बजट में भेद करके नहीं चलेंगे तो सदन की कार्यवाही चलना बहुत मुश्किल हो जायेगा। हमारे लिये भी मुश्किल हो जायगा।

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : बहस नहीं करेंगे तो एप्रोप्रियेशन बिल मिसएप्रोप्रियेशन बिल बन जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : शुरूआत ही ऐसी हो गई है आज। इसको कैसे रोकी जाय, आप सब सहयोग दें तो रोक सकते हैं।

**श्री हरिदेव जोशी** : आप जो चाहें वह सहयोग हम देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : सदन के दोनों ओर से सहयोग मिलना चाहिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार जयपुर) : जब मावली से आने वाले माननीय सदस्य का राजनैतिक भाषण हुआ था तब मुख्य सचेतक साहब कहां सो रहे थे ?

**श्री हरिदेव जोशी** : वे राजनैतिक भाषण का राजनैतिक जवाब दे रहे थे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो ठीक है, यह राजनैतिक जवाब का राजनैतिक जवाब है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो सम्बन्धित बातें हैं वही मैं अर्ज कर रहा हूँ।

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन, इस पुस्तिका के पृष्ठ ३१ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है :

Page No.50



( श्री हरिदेव जोशी )

"मैं इस स्थिति को और स्पष्ट कर दूँ। इस बिल के ऊपर सदन के प्रत्येक सदस्य को तो नहीं किन्तु सदन को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है, मैं इस बात को मानता हूँ लेकिन देखना यह है कि सदन इसके साधारण बहस के समय इस चीज को पेश कर सका वह स्टेज थी वोटिंग ओन डिमान्ड की। उसके बाद में एप्रोप्रियेशन बिल का प्रश्न आता है तो ऐसी परिस्थिति साधारणतया उत्पन्न नहीं होती। इसके आंकड़े बदल कर ऐसी स्थिति लाई जाय जिस पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़े, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा।

तो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस भी की जा सकती है या नहीं, इस पर अध्यक्ष महोदय रूलिंग दे चुके हैं कि नहीं हो सकती।

**श्री भैरोंसिंह ( श्रीमाधोपुर )**: इस रूलिंग का यह अर्थ नहीं है।

**श्री हरिदेव जोशी** : इस बहस को अत्यधिक लम्बा करना है तो सारी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। आज ही अगर इसे खत्म करना है तो नए पोइन्ट्स नहीं उठाए जायं ताकि बहस अत्यधिक लम्बी न हो।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह नहीं है कि बहस लम्बी हो या छोटी। प्रश्न अभी हमारे सामने यह है कि किन मुद्दों पर बहस हो, तो इस संबन्ध में तो मैं कह चुका हूँ वह स्पष्ट है। पर मैं यह भी कह चुका हूँ कि सदन के चारों ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों का सहयोग हो तो उसको रोका जा सकता है।

**श्री हरिदेव जोशी** : We will certainly give you co-operation.

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि रूल्स के अन्तर्गत बोल सकते हैं। इस परिधि में बोलें ताकि इस बहस को समाप्त किया जा सके।

(विराम)

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

**श्री मुरलीधर व्यास** : माननीय अध्यक्ष, जिस बात को मैं कह रहा था उसे तो पूरा कह दूँ।

अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा था माननीय सदस्य ने इस तरह ऑब्जेक्ट किया, पर मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि डिमान्ड के अन्तर्गत परस्पर सम्बन्धित बातें हैं उन्हीं को लेकर चर्चा करूं, दूसरी बातें मैंने उठाई थीं सब इसके अन्तर्गत थीं। पंचायत समितियों को सहायता दी जाय, पर जो इस तरह से सहायता दी जाती है उस सहायता का पंचायत समितियों द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग होता है, गड़बड़ियां होती हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। खास कर बीकानेर समिति का छोटा सा उदाहरण लेकर बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहां महीनों से बी. डी. ओ. नहीं है और बी. डी. ओ. के साइन होने पर ही पैसा मिल सकता है। वह पैसा नहीं मिल रहा है, जो काम चलने चाहिए वे ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि बी. डी. ओ. के साइन नहीं होते तब तक पैसा भी नहीं लिया जा सकता। कई शिक्षकों को महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिलती। तो एक विकास के अन्तर्गत इस तरह का प्रावधान करते हैं तो

Page No.51



( श्री मुरलीधर व्यास )

एक ब्लॉक में आवश्यक है कि एक बी. डी. ओ. होना चाहिए। वह नहीं होने से गड़बड़ होती है। आज मनमाने ढंग से लोग मोटरों का दुरुपयोग करते हैं, ४००० माइल एक मोटर चल जाती है और साधारण तौर पर हिसाब रखा जाना चाहिये वह नहीं रखा जाता और दूसरी ओर जो इस प्रकार रुपया दिया जाता है उसका सही रूप से लोगों को लाभ नहीं पहुँच पाता। रिडमलसर की पंचायत को १० हजार रुपया दिया गया। मैंने सवाल उठाया कि महीनों से यह रुपया दिया हुआ है चाहे कुए के नाम से या और किसी नाम से दिया गया हो, सात आठ महीने से हिसाब तक नहीं दिया गया है और नया रुपया देते चले आ रहे हैं। इसकी खिलाफत होती है तो बी. डी. ओ. भी खिलाफत करता है, बी. डी. ओ. के खिलाफत करने पर लोग यहां तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस बी. डी. ओ. को हटाओ और इस पर बी. डी. ओ. को हटा दिया जाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है। इसको रोकना आवश्यक है। आज इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि सीमेंट और टिन दी जाती हैं इनमें भ्रष्टाचार किया जाता है, जितनी सीमेंट या टिन आया; सब सीमेंट की बोरियां और टिन एक ही को दे दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार फैलता है और लोग ब्लैक मार्केट करते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि वहां इतने गबन और घोटाले हैं कि किसी निष्पक्ष आदमी को मन्त्री महोदय, मेरी बात पर विश्वास कर भेजें तो पता चल जाएगा कि पांच छः महीनों से वहां कोई हिसाब ही नहीं है। दो लाख रुपया देते हैं उसमें से डेढ़ लाख रुपया तो प्रशासन पर ही खर्च हो जाता है तो फिर ऐसी दशा में विकास पर क्या खर्च होगा। अन्त में यही कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर की बाढ़ के समय मन्त्री महोदय ने पांच लाख रुपया भेजा था, मैंने तो विज्ञप्ति पढ़ी थी। रुपया पहुंचा कि नहीं, मुझे पता नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर जैसे इलाके में जिस समय इस प्रकार की वर्षा हो और ५ दिनों तक वहां पर यह वस्तुस्थिति रहे कि जैसलमेर से सारे कनेक्शन्स बन्द रहें, वायरलैस से खबर तक न पहुंचे, पाकिस्तान जैसलमेर की सीमा से लगा हुआ है ऐसे इलाके के कनेक्शन्स टूट जाएं; जैसलमेर से किसी प्रकार के कनेक्शन्स नहीं रहें, राजस्थान को इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो यह राजस्थान सरकार की बड़ी भारी कमजोरी है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यों चार दिन बिना खबर के कैसे रह सके, वायरलैस वगैरह के लिए सुविधा थी वह क्यों नहीं रख सके? जैसलमेर जिस में प्रकार से पशुधन का विनाश हुआ, बीस पच्चीस लाख पशु मर गए। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने आदमी के मरने की बात कही, हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी इस प्रकार की लापरवाही से इस प्रकार की घटना नहीं हुई जैसी कि जैसलमेर में हुई है। इस पर यदि पहले दिन से राजस्थान सरकार जागरूक होती तो राहत पहुँच सकती थी और पशुओं को बचा सकती थी। हिन्दुस्तान में यह घटना बहुत बुरी है। ट्रेन की दुर्घटना से आदमी

( श्री मुरलीधर व्यास )

मर गए थे तो रेल्वे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दिया था। यहां इतनी बड़ी हानि होने पर भी आपको त्यागपत्र देने की बात करते हैं तो भी आप त्यागपत्र नहीं देते। इसी प्रकार से जैसलमेर में पशुधन की उपेक्षा की गई। राजस्थान सरकार चार-पांच दिन तक उनको कोई राहत नहीं पहुंचा सकी और लाखों गायें मर चुकी हैं। इसलिये राजस्थान के माननीय मंत्री को, नैतिकता के नाते, अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये। यह नैतिकता का तकाजा है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी भारी भूल है कि समय पर उनको राहत नहीं दी जाए। इसको छोटी नहीं समझना चाहिए। इस बात पर पूरी जानकारी रखनी चाहिये कि कितनी लापरवाही से ये जानवर मरे। किन किन लोगों ने बहुत कोशिश करके उनको बचाने का कदम उठाया? मैं यह कह सकता हूँ कि चार दिन तक अफसर लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे। उन्होंने वहां पर जाकर देखा तक नहीं कि क्या हो रहा है। यहां तक लापरवाही बरती गई है। इसके अलावा मैं यह कह सकता हूं कि जैसलमेर के सारे अधिकारी बाहर रहते हैं। कई लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। मुझे कलेक्टर से मिलने पर मालूम हुआ कि उनको इलाज नहीं मिलने से उनकी मृत्यु हुई। अधिकारी बाहर रहते हैं इस कारण से अधिकारी मिले नहीं। अगर वस्तुस्थिति यही है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल पर इतनी बहस हुई, ऐसा यह बिल नहीं है। यह बिल तो एक करोड़ ३५ लाख की एप्रोप्रिएशन का है इसमें लगभग ५० लाख रुपये पंचायत समितियों को मार्फत बांटे गये हैं। २६ लाख पंचायतों के काम के लिए और वाटर सप्लाई के लिए है जो गांवों के विकास के काम में आते हैं। दूसरे २८ लाख रुपया फैमिन रिलीफ के लिए दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर किसी भी माननीय सदस्य को विरोध नहीं करना चाहिए। इसमें २८ लाख कल्टीवेटरों को लोन के रूप में पंचायत समितियों को देने का है। इस तरह से यह रुपया गांवों में पंचायतों द्वारा खर्च होता है। इसलिये जो लोग राजस्थान का विकास चाहते हैं और जो किसानों को राहत देने की बात कहते हैं और यह कहते हैं कि इस मद पर जो खर्च होना चाहिये, नहीं होता और यह . एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये गैर जिम्मेदारी से खर्च किया जाता है; जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं; ऐसी बात नहीं है। जो रुपया फैमिन रिलीफ के लिए कल्टीवेटरों को दिया गया वह उनको तकावी के रूप में दिया गया, वह पंचायत समितियों द्वारा दिया गया, वाटर सप्लाई आदि के लिये भी जो रुपया दिया गया वह पंचायत समिति के जरिये से खर्च हो रहा है। फिर मैं नहीं समझता हूं कि किस प्रकार से यह रुपया गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है।

दूसरा लगभग २३ लाख रुपया है जो वेलफेअर स्कीम का शिडयूल्ड ट्राइब्स एरिया के लिये है। इस प्रकार १ करोड़ ३५ लाखमें से काफी रुपया इसमें आ जाता है। जो लोग

# Page No.53



( श्री पी० के० चौधरी )

चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, राजस्थान के विकास के बारे में कहते हैं और हर पोइन्ट पर उनका विरोध कर सकते हैं। बाकी रहा ३५ लाख जो चार्ज में आता है। इसमें से कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मद पर आता है। इसलिये यह कहा जा रहा है कि यह एप्रोप्रिएशन बिल है जिससे गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह रुपया फिजूल खर्च कर रही है या इन रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप इस ग्रान्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह सारा रुपया पंचायत समिति द्वारा खर्च हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ग्रान्ट की तरफ आकार्षित करता हूं इसमें लिखा है :

" 47- Miscellaneous Rs. 23, 76,000/- for defraying additional expenditure in connection with the implementation of centrally sponsored scheme for the welfare of scheduled castes and the scheme for the development of tribal areas and for the implementation of the State scheme for construction and repairs of tanks and dams."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसको तो हमने भी पढ़ लिया है।

श्री पी. के. चौधरी: इस प्रकार से एक करोड़ रुपया तो ऐसा आता है जिसके लिये कोई भी यह नहीं कह सकता कि इस ग्रान्ट को पास नहीं करना चाहिये और सरकार फिजूल-खर्चा कर रही है।

दूसरी बात कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्व मंत्री के लिए पोलिटिकज......

श्री अर्जुनदास ( अजमेर पश्चिम ) : आपको टिकट सिक्योर करना है।

श्री पी. के. चौधरी : हमारा टिकट सिक्योर्ड है। आप अपने टिकट सिक्योर करने का ध्यान रखें !

श्री अर्जुनदास : हमको अपने टिकट की परवाह नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : एक बात कही गई कि राजस्व मंत्री के जरिये किसानों को दबाया जा रहा है। किसानों को दबाने की वजह से किसान उनके विपरीत हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से राजस्व मंत्री के जरिये गवर्नमेंट पर एटेक करना है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का असेम्बली में भाषण होना ही नहीं चाहिये। मैं यह कहूँगा कि आज कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी किसान से जाकर पूछ सकता है कि इस सरकार के बनने के बाद उनको कुछ फायदा हुआ या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे ख्याल से सब यही कहेंगे कि उनको फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से आज भूमिसुधार के कानून जितने यहां राजस्थान में बने किसी भी और स्टेट में नहीं बने। हमारा राजस्थान इस मामले में आगे है। कोई यह नहीं कह सकता कि हमने जागीरदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमने राजा-महाराजाओं को और बिश्वेदारों को खतम नहीं किया है मीडिएटर को खतम

( श्री पी० के० चौधरी )

नहीं किया। सब टीनेन्ट को १६५६ तक खत्म करने का था उसको भी खत्म किया है। जो आदमी सन् ५५ तक शिकमी काश्तकार था वह आज शिकमी काश्तकार नहीं रहेगा। उसको भी आज खातेदारी के हकूक दे दिये गये है। मेरे ख्याल से भूमि सुधार की जहा तक बात है उसमें राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज किसानों को जितना रुपया लोन के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत तकावी लोन के रूप में मिलता है वह मेरे ख्याल से जब उन लोगों का राज्य था तो इस प्रकार से उनको लोन या तकावी नहीं मिलती थी। ५ करोड़ रुपया किसानों को लोन दिया गया है।

इस तरह से अध्यक्ष महोदय एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बात फाइनेन्स कमीशन के बारे में कहा गई कि राजस्थान सरकार फाइनेन्स कमीशन से भीख मांगती है। मैं इस बात को कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने फाइनेन्स कमीशन से भीख मांगी है या जो कुछ भी किया है वह सब राजस्थान सरकार ने राजस्थान के विकास के लिये किया है। यह कहा जाता है कि राजस्थान सरकार फाइनेन्स कमीशन से ज्यादा पैसा न मांगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब फाइनेन्स कमीशन यहां आया तो राजस्थान सरकार ने मेमोरेंडम पेश किया और जो तरीका है उसके अनुसार एम. एल. ए. के पास क्वेश्चनर भेजा और यह रिक्वेस्ट की कि कोई भी सदस्य चाहे तो उससे मिलकर अपना व्यू रख सकते है। यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार फाइनेन्स कमीशन से भीख मांगती है। अभी फाइनेन्स कमीशन चार या पांच रोज पहले भी यहां था। उसके सामने जाकर किसी ने कुछ नहीं कहा।

रहा यह कि वे दूसरी स्टेटों के बारे में; जैसे बम्बई, मद्रास आदि के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ से सेन्ट्रल टैक्सेज कलेक्ट होते हैं, इन्कम टैक्स कलेक्ट होता है, तो हमको उस हिसाब से मिलना चाहिये, कोई कहता है कि हमको पोपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिये। तो जिस प्रकार माननीय सदस्य ने बताया, उस हिसाब के फाइनेन्स कमिशन के सामने जाते हैं तो आज जो हिस्सा मिलता है उसका १।३ हिस्सा भी नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से कहना एक तरह से लोगों को गुमराह करने की बात है। सेन्ट्रल पूल से अधिक पैसा मिले और विकास के लिए मिल रहा हो तो उसके लिए कहना कि भीख मांग रहे हो वह एक मेलिशियस वे ऑफ पुटिंग थिंग्स है। पब्लिक को गुमराह करने की बात है जो कन्विक्शन्स माननीय सदस्य के थे, उन्हें अपनी दलील के हिसाब से फाइनेन्स कमिशन के सामने रखना चाहिये था। फाइनेन्स कमीशन के सामने जो सरकार ने मैमोरेन्डम पेश किया था वह इतना पूरा था और अच्छा था कि मैंने अपने आपको उनके सामने जाने के लिए सक्षम नहीं समझा कि जिससे फाइनेन्स कमीशन के सामने जाकर मैं कुछ कह सकूं। राजस्थान सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा है। वहां तो कुछ नही कहा लेकिन आज सदन में आकर माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं। फेमिन एरिया में जब दौरा किया गया तो वहां बातें नही की और आज सदन में माननीय सदस्य आकर बातें कर रहे हैं

( श्री पी० के० चौधरी )

जब कि रिलीफ का पैसा बांट दिया गया। लेकिन जहां पर जल्दी और किसी प्रकार का रिलीफ पहुंचना चाहिये था उसके लिए उस समय ही सरकार से कहना चाहिये था। After the horse is stolen, अब दरवाजे पर डूब डूब बजाते हो, यह केवल पब्लिक सिम्पेथी गेन करने की बात है। इलेक्शन का वातावरण बन जाता है। मैं समझता हूँ कि आज-कल इलेक्टोरेट भी काफी एनलाइटेन्ड हैं और माननीय सदस्य के भाषणों से उन पर अब असर नहीं पड़ने वाला है। आदमी को, केन्डीडेट को और उनके प्रोग्राम को पहचान कर ही लोग वोट करते हैं। इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री [illegible]नदास ( अजमेर पश्चिम ) : Here is a Bill from the Hon'ble Minister for alloting him funds to run a democratic Government in Rajasthan; but what we find in Rajasthan today, we cannot possibly call it a democratic Government and, as such, I am of the view that a Bill like this should not be passed at all. The Government should not be given any money to run a Government, which is not democratic at all but running a sort of dictatorship. I will only draw attention of the Government to the conditions prevailing in Ajmer. What do you find ? All the Government power is being consolidated in one man and whenever powers are consolidated in one man, you can never call it demoratic. It is nothing sort of dictatorship. The District Magistrate is there. He is also the Collector, the Revenue Head He is also the Chairman of the Improvement Trust, he is also the Administrator of the Municipality he is also the appellate authority for the municipal affairs. When you consolidate all these powers, the man becomes so haughty that he feels that nobody can touch him and we cannot expect any justice from him. I cannot understand why Government is always anxious to keep all powers in one man Possibly they want to utilise those powers for the coming elections. Therefore, they want to have these consolidated powers in one man. I will expect the Government to please explain to us that for so many years Government has been saying that they well separate judiciary from the executive but so far nothing has been done.

Very recently, some political workers and other citizens in Ajmer had to be run down under Section 107 by the Government. The District Magistrate spoke to the City Migistrate and to the Tehsildar and issued instructions to see that their bail bonds are not verified by the Tehsildar. I can say with the biggest sorrow on my lips that even the Tehsildar had run away from his Tehsil to see that the surety bond given by me personally is not verified by him. You cannot expect greater dishonest intentions than that. I myself wanted to stand

( श्री अर्जुनदास )

surety for Advocate, Secretary, Bharatiya Jan Singh, at Ajmer; but the Tehsildar was asked to run away from the Tehsil and when I spoke to the Additional Tehsildar, he said, 'Sorry' I canno do anything. I have instructions not to touch these papers from today. Specific instructions were issued to the Additional Tehsildar that day that he should not verify these bonds. Anyway that is the tendency of the Government; but the facts are facts. You cannot possibly deny that.

I also find that the same man, who is working as Improvement Trust Chairman has unfortunately taken upon himself the entire du y of uprooting the displaced persons from the City of Ajmer. This unfortunate men is the greatest misfortune for all displaced persons in Ajmer and he has tried his best to uproot them from Ajmer, to see that they leave Ajmer. The cabins on rent in the city of Ajmer were given much before this man came, when power of collecting rent of those cabins was vested in the Improvement Trust, but came the order from the Chairman that the rents shall be doubled or trebled even. I do not know whether it is treble, but it is certainly more than double. It is very unfortunate that there is not a single displaced person on the Improvement Trust, Ajmer. You have taken 'yes-men' there, who cannot possibly talk or even raise a finger, and the whole mischief is being done by the Chairman, Improvement Trust. Apart from that he says," I shall be selling away the plots of the cabins. I shall sell those plots by public auction or to those persons who are already keeping their cabins. But at what rate? A fanciful price of Rs. 180/—per square yard. A shameful thing, which nobody can possibly imagine—Rs. 180/—per square yard. I do not know whether he thinks this is Chicago or Timbaktoo, but certainly it is only Ajmer. One cannot imagine Rs. 180/—per square yard. I know the pucca buildings in the best corners of the city of Ajmer. Even they cannot be sold a Rs. 180/—per sq. yard— two storeyed or three storeyed, but this young man says " I shall sell them to these Sindhis at Rs. 180/- per square yard " Why so? Because their only misfortune is that they had to pay the price of Partition of India, they had to pay price for the Independence of India and they have come down here and because they could not get pucca shops they had to settle on cabins. Now he says that he will sell them only at Rs. 180/- per square yard. I think, no man of any sense can suggest like that.

I request the Government to be careful and see that nothing untoward happens before you say that you did not know a thing like that. Nobody can possibly bear a thing like that—Rs. 180/- per square yard? particularly because their only misfortune is that they paid price for the indepen-

Page No.57



( श्री अर्जुनदास )

dence of India, which you are enjoying at our cost.

Unfortunately he also happens to be the Administrator of Municipality. On that part of his life also let us look at his activity, which is nothing sort of crime, i. e, to uproot the displaced Persons-Sindhi and Panjabi cabin-holders. They are keeping cabins, because they cannot afford to have Pucca shops and now whatever he (called or) says is law of the Municipality. They pay rent for the Plot to the Municipality and have kept costing temporary structure about Rs. 200/- to Rs. 300/- and now comes the Administrator saying I will charge house tax on these cabins also ond that also at a very fanciful rate. How can there be house-tax on a cabin, the plot whereof is already the property of the Municipality for which the person is paying rent to the municipality. His structure worth hardly Rs. 200/- to Rs. 300/-.

Therefore, I will expect the Hon'ble Minister—in-charge of Local Self Government to please look into this aspect of the case also and see whether the Administrator has issued notices to the cabin-holders asking them to pay house-tax, otherwise it will be recoverd.

I will now say about 'Thelawalas' who cannot do any thing. They have to keep running in the rain and sun He says he will increase tax on 'thelas' also and double it or treble it. I do not know why ? Whatever he thinks of, the whole nazla falls on displaced persons. When somebody speaks to him he gives out 'Your M L A told me why you are crushing Sindhis and why not Marwaris ?' I have not seen a greater liar than him. I only told him why do you see that Sindhis leave Ajmer A shameful thing ( एक माननीय सदस्य से ) We paid the price of Independence, which you are enjoying only at our cost and, therefore, you are only laughing. Anybody who laughs at a thing like this, has no business and can never call himself Indian even.

So far as the Education Department is concerned, I will speak for a few minutes only, Sir, on the present tendency of the Government, I find so far as Sindhis are concerned our primary schools are teaching our boys Sindhi, but to our greatest surprise, we find that Sindhi is being taught to them not in Sindhi lipi, not in Sindhi script but Devnagri script. Why so ? What is this Devnagri script, we cannot understand. There are many letters in Sindhi language, which cannot be written in Devnagri. It is no language at all which has no script of its own. Therefore I request the Government to please consider and give our boys primary education in Sindhi script and not in Devnagri script. Besides the funniest part of it is that for teaching the boys Sindhi language, non-Sindhi teachers are employed ! How, can a teacher, who does not know Sindhi language speak to the kiddies aged six or seven years in Sindhi language. I know there are a number of teachers in Ajmer in Sindhi primary schools who, by themselves do not know Sindhi language at all For the whole day they have to go on yawning.

I also went to many schools. There was no furniture. The poor boys had to sit on floor; still the Government says, they are spending so much on education. I will expect the Government to see that furniture is also provided there.

Besides this retired Government primary teachers are still on 'Dharna' at Ajmer Yet their pension papers are not being finalised They retired from Government service a number of years back; may be six or ten years back, but their pension papers

# Page No.58



( श्री अर्जुनदास )

are not being finalised Let the Government imagine that these poor people have not been living on simple water and air only I will expect the Government to see that pension papers of these teachers are quickly finalised and pension is paid to them.

Apart from this, I have only to state that the Government has order of increase in dearness allowance of Rs 5/- to all Government servants who carry emoluments upto Rs 100/-. But I do not know why this rule is not being applied to Ajmer Some of the employers of Ajmer, who were transfered from Ajmer to other districts, are being given the increment of Rs. 5/ if they are drawing less than Rs 100/- out those persons who continue to remain in Ajmer or who are sent back to Ajmer, in their case, this additional D. A of Rs. 5/- is denied.

I cannot understand the whole psychology behind it. I will expect the Hon'ble Finance Minister to tell us why he does not give them this increase of D A. of Rs 5.00? He will tell us that he is looking into the papers. but that is his usual mode of saying He continues to look into the papers till the whole thing is over. I will request him to be quick and see that this increment of D. A of Rs. 5/- is paid to all the Government servants of Ajmer also.

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ( नसीराबाद ) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस कुछ इस तरीके से शुरू हुई जिसमें मुझे दो बहरों का किस्सा याद आ गया ·······

**श्री अर्जुनदास ( अजमेर पश्चिम ) :** उनमें से एक तो आप हैं ही और दूसरा मैं हूं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** उनमें आप अपने को शामिल कर सकते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं हू।

अध्यक्ष महोदय दो बहरे थे। एक ने कहा 'नमस्ते' तो दूसरे ने जवाब दिया 'बैंगन लाया हूँ।' 'आप कैसे हैं' तो उसने जवाब दिया 'मैं भुड़ता बनाकर खाऊंगा।' सवाल यह है कि आज जो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही थी वह इसी प्रकार की हो रही थी। शुरू से इस बहस को राजनैतिक कलर दे दिया गया। मैं इस मसले के ऊपर समझता हूँ कल जिस प्रकार की तकरीर हुई उस तकरीर में और आज की तकरीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं था जहां तक व्यक्तिगत हमले का सवाल था। अध्यक्ष महोदय इससे पहले कि मैं उन बातों में जाऊं मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूं। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मेरा सपोर्ट है लेकिन इससे भी अगर ज्यादा रकम रखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता जिसमें सर्विसेज के साथ न्याय होता। मैं बहुत विनम्रता के साथ सरकार को उस मसले की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें हमारे वित्तमन्त्री और चीफ मिनिस्टर महोदय दोनों के सामने हमने न्यायपूर्ण मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। पुराना राजस्थान और अजमेर दोनों मिले। खुशकिस्मत से हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर और हमारे सुखाड़ियाजी और हमारे अजमेर के चीफ मिनिस्टर दोनों सरकार में आये हैं और जो अन्य मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं वे मेरी कमजोर आवाज उन तक पहुंचायेंगे।

जब अजमेर के लोग राजस्थान मे आये, उनके इन्टीग्रेशन के लिये कानून बनाया राज्य सरकार ने। उसकी स्वीकृति भारत सरकार

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

मे ले ली। इन्टीग्रेशन के एक्ट के अन्दर जिस प्रकार अंग्रेजों के बाद आई. सी. एस. ऑफिसरों को जो सुविधायें और जो फेसिलिटीज उनके समय में थीं, आजादी के बाद भी उनको वे ही सुविधाएं देने का हमने उनको एक्ट में वचन दिया था। इसी प्रकार अब जबकि दो सरकारें एक साथ मिलीं उसी तरह एक्ट के मातहत सर्विसेज को प्रोटेक्शन दिया गया।

मैं आपको बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि खुद मिनिस्टर साहब की पॉलिसी यह है कि न्याय हो। अब यह ह्यूमन नुक्स है कि उसी को बिगाड़ कर वह चौपट कर देती है। आज पांच साल बाद, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बनने के बाद; उसकी तहत में एक दावा कम नहीं हुआ है। मैं अपील करूंगा मिनिस्टर साहब से कि इस इन्टीग्रेशन के मसले को अपोइन्टमेंट से निकाल कर अपने हाथों में ले लें। मैं कई फैसलों की तरफ भी इशारा कर चुका हूं। सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि रूल्स और रेगुलेशन के तहत में सब काम होगा। हर काम उल्टा होता है। रामशरण हेडकान्स्टेबल हाई कोर्ट में जाता है। कोर्ट फैसला देती है कि जहां है वहीं रखा जावे पर नहीं रखा जाता। गलत हो या सही, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपील कर रखी है। सरकार उसकी दुर्बलता से फायदा उठाना चाहती है। वह जानती है यह सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकेगा, वहां तक लड़ नहीं सकेगा। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार सेन्टर से लाखों रुपये लाई है, दो-चार लाख रुपये अगर ऐसों को और राहत देने के लिये जरूरी हो तो वह भी लावे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसके लिये तैयार है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिनके पीछे बड़े-बड़े आदमी हैं उनका काम हो जाता है पर जिनके कोई नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये बातें कहूँ, इसकी जरूरत नहीं है, आपसे छिपी नहीं हैं। मुझसे नाम लेने की जरूरत नहीं। वे सब समझते हैं। तो मैं इन चीजों को रोकने की अपील करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में आपकी अपीलें जाती हैं। वह कहती है, नहीं उनको कोई नहीं छू सकता। उनकी जो सर्विस कन्डीशन्स तय हुई हैं वे ही रहेंगी। यह नहीं कि तुम एक साल, कभी दो साल या तीन साल की पीरियड लगा दो। कई लोगों को आपने इधर से उधर निकाल दिया। मुझे जवाब दें फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने जो कहा कि जो यह हुआ वह सब गलत हुआ है और उनकी सर्विसेज की पुरानी पोजीशन में कोई फर्क पुलिस मेडिकल आदि में नहीं पड़ना चाहिये। उसकी एक नकल आप सदन की मेज पर रखें। आप कहते हैं फाइनेन्स पर इससे बर्डन पड़ेगा अगर इसे हम मानेंगे तो; तो इसकी आपको क्या चिन्ता? भारत सरकार ने कह रखा है वह सारा खर्चा उठावेगी। गुजरात वाले और दूसरे प्रान्त वाले जिनसे भारत सरकार ने इसी तरह के वादे किये, काफी रुपया ले गये फिर आप क्यों इस तरह से सोचते हैं। सेन्ट्रल के इमोल्युमेन्ट्स ज्यादा थे। फोर्थ क्लास सर्विस वाले को आपके यहां मिलते हैं ५१--५५। टेम्परेरी के लिये भी निकालने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपना इन्टरप्रिटेशन करते हैं पर वह इन्टीग्रेट होकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में

# Page No.60



( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

आया है। अपनी आशाएं लेकर वह आया है। टेम्परेरी कहकर उसे अलग नहीं हटाया जा सकता। यह उस फैसले के अन्दर भी है।

मैं आपके अपोइन्टमेन्ट विभाग की और बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहाँ यह होता है कि अगर पुलिस का कोई मामला है तो इसकी उनके पास तीन लिस्टें हैं ए. बी. सी.। और अब आर. पी. एस. के लिए अगर किसी को लेना होता है तो डिपार्टमेन्ट सी. को ए. में ले लेता है, बी. को सी. में चला देता है; जैसा मन आता है इधर उधर कर देता है। कहती यह है ए. में से तरक्की होगी; अगर कहीं तरक्की देना है तो वह करती इस तरह से है। अजमेर वालों को भी कई बार ए. में कई बार ए. से बी. में और सी. से बी. और ए. में; इस तरह उथल-पुथल करते रहते हैं। तो इस मसले को भी मिनिस्टर महोदय अपने हाथों में ले लें।

दूसरी तरफ अजमेर के मिलने से आप पर बर्डन पड़ा है तो इसके लिये आपको अधिकार प्राप्त है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया लें, वह इसके लिये कमिटेड भी है। उस कमिटेड में से आपने कितना लिया? आपने इन गरीबों की तरफ कितना ध्यान दिया? इस पर आप सोचें। वे सौ तो ये हजार थे। उनको उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया। इस मैटर को दो तीन मिनिस्टर बैठ कर हल करें। वे जवाब दें कि जब भारत सरकार कहती है कि इनको आप टच नहीं कर सकते तो फिर आपने किस कारण से फोर्थ क्लास वालों को पांच रुपये नहीं दिये? सबके भी बच्चे हैं, सब के माँ-बहिनें हैं उनके घर के अन्दर भी वैसा ही होता है जैसा औरों के। मैं पूछना चाहता हूं अजमेर वालों की तरफ से भी कि आप चाहे जहां से मिलें, पांच रुपये लो और अजमेर वालों को अधिक मिलता है और यहां वालों को कम मिलता है; तो भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तो आप लो जो कमिटेड हैं इसके लिये। फिर भले ही उसे फोर्थ क्लास सर्विस में बांट दिया जावे। पर जो मिलता है वह उनका हक का भी मिलना चाहिये।

दूसरी बात कहना चाहूंगा सरकार चाहती है पर अपोइन्टमेन्ट विभाग के लोग जो प्रोह्यूमन है उनके राइट में कहीं न कहीं दखलअन्दाजी होती है और जिस तरह से वे एक्ट को इन्टरप्रेट करते हैं उनके ही मन में यह दस्तन्दाजी होती है कि इस से तो यह सीनियर हो जावेगा; यह ऊपर चला जावेगा तो इस लिये उनसे न्याय नहीं मिल सकता। पुलिस, मेडिकल वगैरह सभी विभागों में इसीलिये इस तरह की चीजें हुई हैं। मैं समझता हूं कि मूल में एक या दो को मनचाहा न्याय मिला है इस विभाग से अजमेर वालों को, वर्ना तो सब इधर से उधर हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं और सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा ऐसा कभी दृष्टिकोण नहीं रहा है कि राजस्थान में आते ही दा साहब तो सारे राजस्थान के बन गये, पर मैं भी जहां तक मेरे विचारों का सवाल है राजस्थान को मानता हूं। पर साथ ही यह भी कहना चाहता हूं वित्तमन्त्री जी को और सुखाड़ियाजी को आपके जरिये कि राजस्थान में ही अजमेर है। अगर हम अजमेर के हैं तो राजस्थान के ही हैं। पर आज जिस छोटे तबके के साथ गुजर रही है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और हाई कोर्ट तक जाने की नौबत आई है और लेटेस्ट बात यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने भी ताईद की है और फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स के लिये अपने ऊपर जिम्मा लिया है तो आप उसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रखिये। अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप ठीक कर दें। जो सरकार को मिलने वाला है रुपया सेन्टर से उसका सरकार को उपयोग करना चाहिये। फिर चाहे वह किन्हीं के घर जावें। वह पैसा सर्विस वालों का है। उसके बीच में आप बैठ कर या विभाग वाले बैठकर अपने स्वार्थ को उसकी आड़ में नहीं आने दें। उनको न्याय मिलना चाहिये।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कांग्रेसी तो न्याय करते हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। हम एक एक को विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। तुमने जो राजनैतिक वातावरण बनाया है उसका मैं थोड़ी देर के अन्दर विरोध करने आ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर काफी बहस हो गई है। इसके अलावा भी एक और एप्रोप्रियेशन बिल आने वाला है। तो इसके बाद और किसी का भाषण नहीं होगा, सरकार की ओर से जवाब ही होगा। इसलिये आप संक्षेप में ही बोलें।

( २.०० म. प. )

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूगा। मैं इस मसले पर अजमेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो कुछ मुद्दे उठाये मैं पहले प्रोटेस्ट करता हूं और कहता हूं कि हमारे यहां अजमेर में सिन्धी और मारवाड़ी का कतई सवाल नहीं है....

**श्री अर्जनदास :** हां है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां चतुर्वेदी जी कलेक्टर हैं। वहां पिछले दिनों एक समस्या पैदा हो गई, जैसी कि अभी कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा में हुई थी। इस तरह की अफवाह उड़ाई गई कि मन्दिर में मूर्तियां तोड़ी गईं। उस समस्या को संभालने में जो १०७ का नाम लिया गया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां के कलेक्टर जिनकी कि Law and peace की जम्मेदारी है यहां इस तरह से इश्तिहार देकर झूठा प्रचार किया जाये अगर ऐसे मसले को कोई मुट्ठी से रोक देता है तो मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गयी। इसके लिए जिन्होंने तार दिया उनको झूठा पाया गया और जिन्होंने तार दिया वे पकड़े भी गये। जब कि वहां पर कलेक्टर की लॉ एण्ड पीस की जिम्मेदारी है तो उनको सब बातें करनी पड़ती हैं। मैं कहता हूं कि आपने जो भीलवाड़ा में देखा था उस भीलवाड़ा का सार वहां लाने की चेष्टा की गयी थी उसको सख्ती से रोकने की चेष्टा की गयी थी।

मैं यह इत्मिनान दिलाता हूं कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वह मुमकिन है, वह सही तरह से नहीं कर सकते हों वह जो कि नीचे के अधिकारी हैं। पर

# Page No.62



( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

हमारा फर्ज है कि उन चीजों को नोटिस में लायें। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी, उनकी सहानुभूति थी. वहां के पुरुषार्थी भाइयों से कहा था। वह मेरे साथ चलें, जीजनेबिल ढंग से उन बातों को तय करने के लिये तैयार हूं। इसके अलावा और बातें कही हैं पर समय नहीं होने की वजह से उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकूंगा लेकिन अजमेर के वातावरण में हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक ढंग से काम करना पड़ेगा कि सिन्धी मारवाड़ी का सवाल हम वहां नहीं होने दें। देश के अन्दर और भी बहुत सी निकृष्ट भावनाएं चल रही हैं, वे गलत भावनाएं हैं हम दोनों यह जाकर कहें। मैं कहता हूँ कि वहां पर मारवाड़ियों का भी नुकसान हुआ। गरीब न सिन्धी हैं और न मारवाड़ी हैं। गरीब तो गरीब है। मैं इसके साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : Hon 'ble minster'

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, आज इन एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर जिस तरह से कल फेमीन की डिमाण्ड के ऊपर बहस हुई थी और बहस के दौरान में मैंने जवाब में कुछ मुद्दे सदन के सामने पेश किये थे और उसमें मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि

(२.०३ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर ही नहीं बल्कि बेबुनियादी बातें सदन के अन्दर कही थीं। मैंने कल ही उनके सामने फैक्ट्स एन्ड फिगर्स के साथ जवाब दे दिया था और जो भी उन्होंने कहा वह निराधार था। जिस समय मैंने कल जवाब दिया था तो फैक्ट्स एन्ड फिगर्स न केवल जैसलमेर के बारे में बल्कि दूसरी जगहों के बारे में भी फैक्ट्स दिये थे और बताया था कि कहां कहां रिलीफ की जरूरत थी और वहां रिलीफ के कार्य किये हैं। इसके साथ ही मैंने अपील की थी कि जहां बाढ़ आ जाये, जहां अकाल पड़ जायें वहां उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी नहीं विचारना चाहिए। मानवता की दृष्टि से विचार करके सरकार को सहयोग देना चाहिए। सरकार को जिस तरह की राहत पहुंचानी है उसमें सरकार की मदद करनी चाहिए। मुझे आशा थी कि जिस समय मैंने कहा उस समय समझ रहा था कि जिन लोगों का इरादा गरीबों को राहत देने का नहीं है उन पर इस अपील का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महीने दो गुजर जायें और वह उनकी किसी तरह की परवाह न करें और जो वाकयात उनके ध्यान में आये वह सरकार के ध्यान में न लायें तो यह सब सिद्ध करता है कि उनका इरादा है कि जो लोग पीड़ित हैं वे पीड़ित ही रहें और इसके साथ ही साथ केवल एक इरादा यह है कि जनता को सरकार के खिलाफ किस तरह से भड़काया जाये और यह बताया जाये कि दरअसल में सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि यह वे स्वयं कहते हैं। आम चुनाव आ रहे हैं और उनका यह तौर-तरीका और भी बढ़ता जायेगा। यह तो आज नहीं, कल परसों और बढ़ता जायेगा क्योंकि ये तो अपने अपने अलग तरीके होते हैं। पर इन

( श्री दामोदरलाल व्यास )

तरीका हमेशा नाकामयाब रहा है। जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं कि ये तरीके कामयाब नहीं रहे हैं। पहले दो जनरल चुनाव हो गये, लेकिन वे दोनों बार ही नाकामयाब रहे। आइन्दा भी हम और आप सब मजबूती के साथ रहेंगे तो इतना नम्बर भी आगे आने वाला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।

(विराम)

कुछ मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो यहां खास तौर से जैसलमेर को लेकर बहस करने की कोशिश की है कि दरअसल में जैसलमेर के अन्दर जितना भी फ्लड आया और सरकार की तरफ से राहत नहीं पहुंचाई गई, यह बात उन्होंने कल भी कही और आज भी कही, लेकिन तथ्य में कुछ नहीं कहा। फिर यह कहा गया कि जो ५ लाख रुपये दिये गये वे नाकाफी हैं, ठीक है. हम लोग यह नहीं कहते कि ५ लाख रुपये इतने बड़े नुकसान के लिए काफी हैं। यह बात उपाध्यक्ष महोदय, सही है कि २४, २५ और २६ जून को बहुत जोर की बारिश आई और इतनी बाढ़ आई कि जैसलमेर के इतिहास में कभी नहीं आई और उससे पशुधन को काफी क्षति पहूँची, लेकिन यह कहना कि सरकार की मशीनरी कलेक्टर या और कोई उन्होंने समय के ऊपर सावधानी नहीं बर्ती, समय पर राहत नहीं पहुंचाई, यह बिलकुल गलत बात है। बल्कि यह कहना चाहिए जैसा कि मैंने कल कहा था, माननीय सदस्यने कहा कि जो भी वहां अधिकारी थे उन्होंने मुस्तैदी से काम नहीं किया है, यह बिल्कुल गलत है। जहां तक कलेक्टर का सम्बन्ध है या जो अन्य अधिकारी जैसलमेर हैं वे चाहे कोई भी हों उन्होंने निहायत मुस्तैदी के साथ बाढ़पीड़ितों की सहायता रात और दिन एक करके बराबर काम किया है और समय पर राहत पहुंचाई है।....

श्री **भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी थे ही नहीं। यह गलत स्टेटमेन्ट है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अगर कहीं ईश्वर के कोप से बारिश आ जाती है तो उसके लिए आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, सो ठीक नहीं है। अगर कहीं नेचर से कोई बहुत भारी हानि हो जाये तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब देना भी मेरे लिए मुश्किल हो जायेगा। कहीं हवा ज्यादा चली, पानी ज्यादा आया, मवेशी मर गई तो उसमें सरकार के ऊपर दोष लगा। कहां तक ठीक है? अलबत्ता उसके बाद में कोई गफलत राहत कार्य में रही हो तो मैं मानूंगा कि सरकार के ऊपर दोष देना वाजिब है, लेकिन मैं दावे के साथ कहूँगा कि तुरन्त राहत दी गई और एक बात और कहता हूँ कि कलेक्टर इस बात के मोहताज नहीं हैं कि सरकार के पास से स्वीकृति जाये राहत पहुंचाने के लिए। कोई इमर्जेन्सी में चाहे फ्लड हो चाहे फायर हो कलेक्टर को पूरा अधिकार है कि समय के ऊपर जनता की मदद करे। इसलिए वे इस बात के मोहताज नहीं हैं कि अगर कॉम्युनिकेशन टूट गया, सड़क का बीच हो गया या तार के जरिये भी नहीं रहे तो वह काम ही नहीं कर सकते। उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है। दूसरे यह कहना कि वायरलैस फेल हो गया, पर मैं आपको बताऊं कि बराबर हमारे पास मैसेज आता रहा है और उसके

लिए बराबर समय समय पर इन्सट्रक्शन्स दे रहे हैं। इसलिए जिस समय यह बाढ़ आयी, मवेशी इतने मरे, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को काफी हानि हुई है। पर कलेक्टर और दूसरे अधिकारी बराबर दौरे पर पहुंचे हैं। जो मवेशी मरे थे, उसके लिए बीमारी न फैल जाये उसको रोकने का भी पूरा प्रबन्ध किया गया और इसके साथ हो साथ इसका भी प्रबन्ध किया कि जितने भी टीन के शैड्स अवेलेबल थे वे पहुंचाये। गुड़ का, आटे का और दूसरी चीजों का भी सब इन्तजाम किया और उसमें कोई कमी नहीं रखी। तुरन्त ही जहां उनकी इत्तिला यह आई तो ५ लाख को तकावी फौरन ही उनको मन्जूर कर दी गई, और मन्जूर करके उनके डिस्पोजल पर रख दी गई है।

अब रहा सवाल इस बात का कि माननीय सदस्य यह कहेंगे कि तकावी का समय पर वितरण नहीं हुआ तो अभी कुछ दिन पहले शायद मेरे पिछले टर्न पर एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि ५ लाख की तकावी दी गई है तो माननीय सदस्य ने कहा, विरोधी दल में से किसी ने कहा कि तकावी का वितरण हुआ या नहीं; तो मैंने कहा कि पंचायत समितियों के डिस्पोजल पर तकावी रख दी गई है और पंचायत समितियों ने पंचायतों के जरिये वितरित किया है। आज सुबह ही मैंने वायरलेस मैसेज पर कलेक्टर से सारे रिलीफ जितने हैं वे मंगवाये हैं। इसलिए मंगवाये हैं कि मैं जानता था कि माननीय सदस्य मानेंगे नहीं। वह तो सवाल यह है कि जिन लोगों का इरादा दूसरा है, वे जिस बात में लगे हुए हैं उनके ध्यान में राहत दी गई है या यहीं, इस बात की जरूरत नहीं है उनकी तो और बात है। पंचायत समितियों ने पंचायतों के जरिये तकावी का वितरण कर दिया। चैलेन्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। चैलेन्ज करने का आपका अधिकार है....

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक इनफोमेशन माननीय राजस्व मंत्रीजी देंगे कि यह २२, २३, २४, २५ और २६ जून को....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I don't want to be disturbed.

**श्री भैरोंसिंह** : यह रकम कौन सी तारीख को दी है वह बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : Will not interrupt Please.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके अलावा वहां जैसलमेर में क्या रिलीफ दिया? ५ लाख तो पहले भेजा हुआ है। तो ५ लाख की रकम जैसलमेर में फ्लड की वजह से दिया है। कल मैंने जैसलमेर के अन्दर फेमिन की वजह से दिया है, उसकी विस्तृत जानकारी दे दी है। फ्लड की वजह से जो जैसलमेर में रिलीफ दिये गये है तो पंचायत समिति जैसलमेर और पंचायत समिति सांकड़ा इनके जरिये से तकावी का वितरण हुआ है। इसके साथ साथ जितने रिलीफ मिलने चाहिए शहर के अन्दर और बाहर के वे सब मिले हैं।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता था कि १० लाख तकावी के लिए, मवेशी पर्चेज करने के लिए गौ-संवर्द्धन सेवा संघ को दिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

वह तकावी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है जिसके जरिये से वह डिस्ट्रीब्यूट की जाय ।

इसके अलावा इन्हीं के जरिये २५ सांड अच्छी नस्ल के दिये गये हैं । इन्हीं के जरिये एक हजार हरियाना नस्ल की गायों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत समितियों के डिस्पोजल पर रख दिया गया है । पंचायत समिति के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को बुलाया है । हरियाना सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ...

**श्री भैरोंसिंह :** वह तो गौ सेवा संघ की है राजस्थान सरकार की नहीं है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** कोई सी भी हो । असिस्टेन्स है It is a relief given by the Government. तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक हजार गायें हरियाना नस्ल की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काऊ ब्रीडर्स में पंचायत समितियों को दे दी गई हैं और वे गायें पसन्द करने के लिए, बुल्स को पसन्द करने के लिए उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज दिल्ली गये हैं ।

इसके अलावा मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि ५,७१६ बैग्स यानी १४,२६० मन सस्ता गेहूँ फ्लड एफेक्टेड एरिया के अन्दर तुरन्त पहुंच गया है और लोगों को दिया गया है । इसी प्रकार से २५० बेग्स यानी ६२५ मन मिला । यह भी फ्लड एफेक्टेड एरिया को दिया गया है । जिसके अलावा....

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि.....

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसके अलावा दो हजार के करीब सीमेंट के बेग्स फ्लड एफेक्टेड एरिया के अन्दर तुरन्त पहुंचाये गये हैं....

**श्री भैरोंसिंह :** मैं चाहूँगा कि आप इन सब की तारीख भी बताते जायं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** But I will not relish the idea of interrupting the debate.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** I don't want to be disturbed in the delatc.

**श्री उपाध्यक्ष :** The Hon'ble Member will not interrupt the debate.

**श्री भैरोंसिंह :** माननीय मंत्रीजी से इनफोमेंशन चाहते हैं । यह इन्टरप्शन नहीं है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा....,

( शोरगुल और व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष :** Yes. Will proceed please.

**श्री भैरोंसिंह :** मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह गलत है....

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please !

**श्री भैरोंसिंह :** तारीख नहीं बताते हैं..

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने जैसा कहा....

( श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष :** Clarifications may be

# Page No.66



(श्री उपाध्यक्ष)

sought after the conclusion of the dabate if at all it is allowed by the Chair.

श्री श्रीभानसिंह ( बयाना ) : The House is interested in the amount given and not in the dates.

श्री भैरोंसिंह : He should give the dates on which the amount has been allotted to the Panchayat Samitis.

श्री उपाध्यक्ष : I expect the cooperation of the Hon'ble members and would like that they will not interrupt the debate. if there are any clarification to be sought they may be sought at the conclusion of the debate.

श्री अर्जुनदास ( अजमेर पश्चिम ) : मरने के बाद देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा में अर्ज कर रहा था कि २ हजार बैग्स सीमेंट के और १०० टन्स टीन जो उस वक्त वहां पर एवेलेबल थे वे तमाम के तमाम फ्लड एफेक्टेड एरियाज में उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह बतलाया है कि रिलीफ के मेजर्स जो लिये गये हैं गवर्नमेंट की तरफ वे यह हैं। इनके अलावा प्राइवेट डोनेशन्स भी बहुत से आये हैं। १०,०००) का एक जगह से आया है। उनकी तफसील यहां देने की जरूरत नहीं है। उसको भी कमेटी के डिस्पोजल पर रख दिया गया है। कमेटी बराबर उसका डिस्ट्रि- जल करेगी।

जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं वह कहें। जो कुछ भी पूछना है वह पूछें, मेरे पास सूचना होगी तो दूँगा। लेकिन भाषण जो दिया है वह आज की तारीख में दिया है....

श्री भैरोंसिंह : दो महीने पहले सहायता दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आज आपने भाषण दिया है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पब्लिक को रिलीफ मिल चुका है। अब नहीं मिल रहा है। आधा घन्टे की देरी कुछ होती है।

(श्री भैरोंसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर राज्यपक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Why the Hon'ble member is so sensitive. I expect him to hear the debate and then seek the clarifications if at all he requires them.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा मैंने अर्ज किया कि इतने मवेशी मरे थे इसलिए बीमारी फैलने का अन्देशा था, तो मलेरिया युनिट्स, मेडीकल युनिट्स और वेटरिनरी युनिट्स भेज दी गई। इसके अलावा वहां पर जितना भी पानी था उसको डिस-इन्फेक्टेड किया गया। उसमें २२६ मन ब्लीचिंग पाउडर खर्च किया गया और ३ पौंड पोटेशियमपरमेंगनेट खर्च किया गया है।

इसके अलावा एनीमल एहस्बेन्ड्री की तरफ से लोन दे रहे हैं मवेशी पर्चेज करने के

# Page No.67



(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिए, और उन्होंने तमाम लिस्ट मांग ली है। केटल ब्रीडर्स की लिस्ट आयेगी तो एनीमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पर्चेज करने के लिए लोन्स देगा।

इसके साथ में आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन ऑफिसर बीकानेर ने भी मवेशियों के लिए शेड्स बनाने के लिए करीब ६० हजार का एक अलग प्रोवीजन किया है। मवेशी के लिए शेड्स बना दें कि आयन्दा इमर्जेन्सी के अन्दर इस तरह का मौका नहीं आने पाये।

तो मैं अर्ज करूंगा कि इसी तरह से ४२२४ पौंड पाउडर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनको जिस एरिया के अन्दर फ्लड आया था।

इसके साथ साथ मैं आप से कहूँ कि इमीजियेटली फ्लड के फौरन ही बाद जो कुछ राहत इमीजियेटली खाने-पीने, कपड़े की जरूरत थी वह कलेक्टर ने फौरन पहुंचाई है। पिसा हुआ आटा भेजा है। टिन शेड्स जो कुछ भी ऐवेलेबल थे उनको दिये हैं और मौके पर रात-दिन कलेक्टर और उनके अधिकारी और एनीमल हस्बेन्ड्री के लोग, मलेरिया युनिट्स के लोग सब के सब बराबर घूमते रहे हैं। इसलिए यह कहना कि राहत नहीं मिली; यह केवल पोलिटिकल स्टन्ट है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है।

जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिगर्स दिये हैं तो फिगर्स के लिए माननीय सदस्य जो कि श्री माधोपुर से आये हैं वे बराबर एक बात को लेकर आये हैं कि ५ लाख रुपये दिये हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया है। उनको हर वक्त एक बात का ख्वाब रहता है कि जनरल इलेक्शन नजदीक आ रहा है। कभी किसान की बात करते हैं, कभी किसान मंत्री की बात करते हैं। उनको ख्वाब में हमेशा मालपुरा रहता है कि मालपुरा को राहत दे दी गई। फिर यह कहते हैं कि मालपुरा के किसानों को राहत नहीं मिली। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किसानों को सरकार से कितनी राहत मिली है. उसका नतीजा तो पिछले चुनावों ने आपको बता दिया और आयन्दा चुनाव भी आपको बता देगा कि बेन्चेज आधी रह जायं तो कोई ताज्जुब नहीं....

( व्यवधान )

**श्री भैरोंसिंह** : यह आपका ख्वाब है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ( जारी ) मुझे इस बात का पूरा इत्मिनान है कि आप किसानों में जाकर पूछिये, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि किसानों में खड़े हों, किसानों से बात करें।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी स्थिति....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज !!

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं जानता हूं इस बात को कि आप कैसे किसानों से मिलेंगे। आप मिलेंगे प्रतिक्रियावादी तत्वों से, आप मिलेंगे साम्प्रदायिक तत्वों से, आप मिलेंगे उनसे जो तोड़-मरोड़ करके लड़ाई कराना चाहते है, आप दूसरों के पास नहीं जा सकते। मैं जानता हूं कि आप किसानों के नाम से एक्सप्लोइट करना चाहें, आप

# Page No.68



(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसानों के लिए जोर दें लेकिन किसान आपके बहकावे में आनेवाले नहीं हैं और अगर वे आपके बहकावे में आ गये तो मैं समझूंगा कि वे जितने आगे बढ़े हैं उतने ही पीछे हटेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है, उनके जवाब में मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने उनका जवाब काफी मात्रा में दे दिया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिये सरकार ने क्या किया, क्या न किया, उनको राहत पहुंची या नहीं यह किसानों को पूछिये। इसके बारे में उधर बैठे प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक तत्वों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जहनियत को सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं।

एक माननीय सदस्य अजमेर से आये हैं उनको ख्वाब आता है यहां के कलेक्टर का, इसलिये कि वह ईमानदारी से और मजबूती और मुस्तैदी से अपना काम करता है इसलिये उनको ख्वाब आता है। आपको यह परम्परा बनानी चाहिये कि जो सरकारी ऑफिसर यहां मौजूद नहीं है उस पर यहां पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिये। इसके लिये मन्त्रि-मंडल के सदस्य हैं, आपकी बात सुनने के लिये हम हैं, लेकिन गलत कार्यवाही कराना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। यह नहीं हो सकता कि कलेक्टर आपका हुक्म माने। वह लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है। जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले होते हैं उनमें उसको सख्त कदम लेना होगा, आप यदि उसमें दखल देंगे तो उसको कानूनी कार्यवाही काम में लेने का अख्त्यार है। इसलिये हर वक्त उसको लेकर कहना कि वह आदमी खराब है उसको बदल दिया जाय, उचित नहीं है। यह सदन की परम्परा के प्रतिकूल है कि जो ऑफिसर यहां जवाब नहीं दे सकता उसके लिये यहां पर इस प्रकार की भावना व्यक्त करें। किसी को एक्सपार्टी कंडेम करना ठीक नहीं है, आप यहां पर चार्जेज लगाते हैं तो ठीक नहीं है। उस कलेक्टर ने निहायत अच्छा काम किया है और उसका काम सराहनीय है।

इसके अलावा श्रीमाधोपुर के माननीय सदस्य ने एक जोर की बात कही कि एस. डी. ओ. सीकर के खिलाफ वहां के बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया है। मैं अदब के साथ कहूंगा कि यह परम्परा और तरीका गलत है, एक बार एसोसिएशन प्रस्ताव पास करके एस. डी. ओ. के खिलाफ भेजे, शिकायत करनी चाहिये तो उसको सब्सटेन्शियेट भी करना चाहिये। प्रस्ताव पास करने का भी एक कारण है, बार एसोसियेशन में कुछ जनसंघ के सदस्य हैं. ....

**श्री भैरोंसिंह** : खुशी की बात है कि इस बार एसोसियेशन के अधिकांश सदस्य जनसंघी हैं....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये....

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : order Please ?

**श्री भैरोंसिंह** : On a point of osder....

( शोरगुल एवं व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! of will call the House to order.

श्री भैरोंसिंह : point of order, Sir......

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member has been called to order. He must resume his seat.

श्री भैरोंसिंह : I have raised a point of order and I have been allowed to put that point of order by the Chair.

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई विरोधी दल का सदस्य बोले तो सदन की यदि यह इच्छा हो कि तालियां पीट कर हूट डाउन किया जाय तो इस लिबर्टी को हम भी काम में ला सकते हैं। इसको यदि डिस्करेज नहीं किया गया तो यह लिबर्टी इस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I understand the issue. It is only a question of order and not a point of order. I will see that the Hon'ble members cooperate with the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

( व्यवधान )

श्री भैरोंसिंह : On a point of persona lexplanation...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I have pointed out more than once that if there are points of clarification to be sought from the Minister-in-charge they may be sought at the conclusion of the debate.

श्री भैरोंसिंह : On a point of personal explanation, Sir

श्री उपाध्यक्ष : And at the same time I will request the Hon'ble Member not to interrupt debate and not to raise any points of clarification or points of explanation in between the debate. That has been the tradition of this House. points of clarification have not been allowed in between the debate and that tradition must be maintained by the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मैं यहां उस बार एसोसियेशन के रिजोल्यूशन की बात कहना चाहता हूं, जहां से उस एस. डी. ओ. के तबादले के लिये प्रस्ताव आया। मैं उसको गलत तरीका मानता हूं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग बार एसोसियेशन के किसी ऑफिसर के खिलाफ होकर इस बात का प्रस्ताव पास कर दें कि उसका तबादला कर दें, मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता। यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा ज्यादा लोग मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा है....

श्री भैरोंसिंह : Absolutely ciCoroect सफेद झूठ है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please मैं फिर निवेदन करूंगा कि वह सफेद झूठ है या काला झूठ है It is a question of clarification and that should be sought at the end of the debate. I have invited the attention of the House to it and it should be adhered to.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके अलावा मैं अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को बार बार ख्वाब में मालपुरा बहुत नजर आता है, मालपुरा के किसानों से बहुत हमदर्दी है। मैं आह्वान करता हूं कि आयन्दा चुनाव में वे मालपुरा से खड़े हों .....

**श्री भैरोंसिंह** : मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं बशर्ते कि राजस्व मंत्रीजी पहले त्याग पत्र दें।.....

**श्री उपाध्यक्ष** : I fail to understand why the Hon'ble members have become so sensitve. I expect all the cooperation from the Hon'ble member and as he happens to be leader of a party we would expect more responsibility from him.

**श्री भैरोंसिंह** : It should be more expected from the Minister.

**श्री हरिदेव जोशी** (घाटोल) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो श्रीमाधोपुर से पधारे हैं उन्होंने माननीय राजस्व मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बारे में कहा है कि झूठ है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक समय पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने "झूठ" शब्द को अनपार्लियामेन्टरी बताया है........

**श्री भैरोंसिंह** : यह "झूठ" शब्द किस बारे में यूज किया गया था जिसको हटाया है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : There is no controversy about the word itself. It is unparliamentary. But it has to be seen in what context it has been used. If the context is a favourable one the word losses its importance. So far as the word itself is concerned, it is unparliamentary. I know it.

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : The word is not such that it should be used by Hon'ble leader of the Jana Sangha. It is not degnified.

**श्री भैरोंसिंह**: The statement made by the Hon'ble Minister is not dignified. It is not according to conventions of the House,

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया, एक सदस्य.......

**श्री हरिदेव जोशी** : आप किस पर बोल रहे हैं ? यह 'झूठ' शब्द अनपार्लियामेन्टरी है या नहीं; इस पर पहले व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी है।

**श्री तनसिंह** : परसों आपने व्यवस्था दी थी कि 'झूठ' और 'घिस्सा' दोनों ही शब्द अनपार्लियामेन्टरी नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! I under stand the issue. 'घिस्सा' as used in the common language is 'गप्प'; nothing more than that. So there is no question for any decision over the word. It has to be looked with referance to the context in which it has been used.

# Page No.71



**श्री तनसिंह :** यह कहना कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं इसके बजाय यह कहना चाहिए कि रेवेन्यु मिनिस्टर घिस्से दे रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** It depends upon you how you at maintain your degnity.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसी तरह बीकानेर....

**श्री भैरोंसिंह :** अब आपके घिस्से चलने दो।

**श्री उपाध्यक्ष :** I have given my observation about the word being not unparliamentary, but I must point out to the House that its constant use may make it unparliamentary.

**श्री भैरोंसिंह :** How, Sir ?

**श्री उपाध्यक्ष :** If you use it constantly with some intention it may become unparliamentary.

**श्री तनसिंह :** I cannot understand Mr. Deputy Speaker, that when a word is parliamentary, how can it become unparliamentary if it is repeated. It can be repeated 100 times.

**श्री उपाध्यक्ष :** It is for the Hon,-ble member......

**श्री भैरोंसिंह :** आपके घिस्से शुरू कर दो।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बीकानेर से........

**श्री भैरोंसिंह :** आप घिस्से लगाओ।

**श्री उपाध्यक्ष :** I would like to point out to the Hon'ble members that the House has its negnity and of we go on in this ma-ner it does damage the degnity of the House. The word may be parliamentary or unparliamentary, but it should not be mischievously used in a way which may convert its sense.

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह समझा जाय कि किसी शब्द का एक बार का यूज पार्लियामेन्टरी है और उसी शब्द का दो-तीन बार यूज करना अनपार्लियामेन्टरी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** There can be no fair line of distinction. It depends upon the Hon'ble members's intention how he uses it. Yes.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ बातें जैसलमेर के सम्बन्ध में बताई। मैं समझता हूँ कि उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वहां के मैंने जो फिगर्स बताये, उनसे उनका जवाब कवर हो जाता है, जैसा उनका ख्याल था कि बहुत से पशु मारे गये, उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि इस पर काफी रोशनी डाली गई है कि फौरन उसके सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है और यह ठीक है कि अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां राहत कार्य के लिए पांच हजार रुपये खर्च किये। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पांच हजार फ्लड रिलीफ कार्य के लिये नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बताए। जो राहत कार्य के लिये दिये गए धन के फिगर्स हैं वे मुझे याद नहीं और आज मैं उन्हें लाया नहीं। जो रुपया फेमिन रिलीफ के लिये दिया गया वह मैंने आपको कल बताया था कि कितना-कितना किस-किस काम के लिए दिया गया था। इसके अलावा जो जैसलमेर और बाड़मेर और जैसलमेर और पोकरण की सड़क के अन्दर बीच हो गया था, दस मील तक, उसको रेस्टोर किया गया है। पी. डब्ल्यू. डो. ने रिसोर्सेज लगा करके, उस बीच को रेस्टोर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो सहायता हो सकती है, वह जैसलमेर में रहने वालों को दी है। यह सच नहीं है कि उनको राहत नहीं मिली, कर्जा नहीं मिला, मवेशियों का ख्याल नहीं रखा है। बाड़मेर के लिए मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बाड़मेर में जितने राहत कार्य की जरूरत थी वह दी गई।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एडीशनल कलेक्टर का ट्रान्सफर किया तो वहां उनके भाई चले गये हैं। यह ठीक है, उनका ट्रान्सफर हो गया और इतिफाक की बात है कि उनके भाई को वहां रख दिया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को मालूम हो गया कि वह उनका भाई है उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया। आज नहीं, चार दिन पहले उसका ट्रान्सफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया है। वह वहां पहुंचा नहीं था, पहले ही ट्रान्सफर कर दिया, यह उनको ख्याल नहीं। मैं समझता हूँ कि एडीशनल कलेक्टर, पटवारी के कहने की आवश्यकता नहीं, जनता उनसे अपने आप जवाब तलब कर लेगी। मुझे उम्मीद है कि इस बात के लिए मुझे या और किसी को कहने की आवश्यता नहीं। जनता हरएक के काम को और करतब को, मैं उनके शब्दों में नहीं कहना चाहता, सबके कामों को जानती है। कांग्रेस ने क्या किया, उसको जानती है। जनसंघ कब पनपा, कब आया, यह भी जनता जानती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इन बातों को कहने से कोई असर नहीं होने वाला है, चाहे चुनाव १६६२ का हो, चाहे १६६७ या १६६८ का चुनाव हो, किसी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार बदस्तूर कहता रहा हूँ कि देश के अन्दर, जैसा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने भी कहा है, इस प्रकार के तत्व पनपने वाले नहीं हैं, जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, जैसी आपकी आज्ञा भी थी एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ और कुछ ज्यादा नहीं। मैं डेफीनिट यह जानना चाहता हूँ कि २४, २५ और २६ को जो बरसात हुई और एक महीने तक केवल पांच हजार रुपये की जो सहायता दी गई उनके अलावा और पैसा नहीं दिया गया। माननीय मंत्रीजी ने फिगर्स दिये हैं. माननीय मंत्रीजी यदि सही थे, उनके फिगर्स सही थे तो यह बतावें कि किस-किस पंचायत समिति को कितना-कितना रुपया अलाट किया गया और किस-किस तारीख को?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तारीख मुझे मालूम नहीं है, चार-पांच तारीखें हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : There was only the charge of delay and there has been delay.

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please!

# Page No.73



**श्री दामोदरलाल व्यास** : चार-पांच जुलाई को रेवेन्यु सेक्रेटरी वहां गये थे और आन दी स्पॉट पांच लाख रुपये की मंजूरी करके आये थे।

**श्री भैरोंसिंह** : देने का सवाल है, कब दिया ?

**श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार-जयपुर) : एक्सग्रेशिया कब दिया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एक्सग्रेशिया सैकड़ों आदमियों को दिया गया है, तारीख मुझे याद नहीं है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु.) कामों की जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपमें सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, that will do. प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल····

**श्री भैरोंसिंह** : अभी वित्त मंत्री जी भी तो जवाब देंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार-जयपुर) : दो-चार मिनट बोल लें, ज्यादा नहीं।

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर-पश्चिम) : अजमेर की बात बतलाई, उसका जवाब नहीं दिया कि दुरुस्त है या गलत है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब पौने तीन घंटे हो गये, इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होते हुए। मैं मन में यह सोच रहा था कि कुछ एक करोड़ ३५ लाख···

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार जयपुर) : इस इन्तजार में थे कि पांच बज जायं।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मांग थी जिसमें ५० लाख फेमिन का है। फेमिन के बारे में आप आलोचना कर सकते हैं और की भी है। लेकिन इस रुपए की व्यवस्था की मांग के बारे में चर्चा हो, वह आउट ऑफ प्रपोर्शन है। दूसरा है सेन्ट्रल असिस्टेन्स, ३४ लाख की रकम मांग में मिला रखी है, वह सेन्ट्रल असिस्टेन्स से आने वाली है। अब बाकी रहती है ३५ लाख की रकम जो आपके खजाने से खर्च हो चुकी है या मार्च तक खर्च हो जाएगी। अब कुल ३५ लाख के लिए ढाई-तीन घन्टे तक लम्बी चौड़ी बहस हो, तो मुझे ऐसा लम्बा समय आउट ऑफ प्रोपोर्शन सा लगता है। क्यों है ? होना तो नहीं चाहिए, होने से और जो बहस हुई उससे ऐसा लगता है कि जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, उसका असर सारे वातावरण पर है। मेरी सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप विचार करें; आलोचना जरूर कीजिए, आप चर्चा कीजिए, लेकिन दूसरे प्रभावों से अलग रह कर मेरिट पर चर्चा कीजिए जिससे थोड़े वक्त में ज्यादा काम हो जाय। चुनाव के प्रचार के लिए तो इतना लम्बा चौड़ा बाहर मैदान पड़ा हुआ है। यहां उससे प्रभावित होकर चर्चा करते हैं तो उससे कितना असर, कितना प्रभाव चुनाव पर हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी है, वह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किये

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है कि किसी एक ही मंत्री को गवर्नमेंट के किसी काम के लिए जिम्मेदार बनाया जाय। उसको जिम्मेदार भले ही बनाया जाय, लेकिन उसको आक्रमण का बिन्दु बनाया जाय, तो मैं समझता हूँ यह और सब माननीय सदस्यों के, उपाध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है। आलोचना की जाय, लेकिन मैं मानता हूँ कि आक्रमण करने की प्रवृति है वह रहन के पर्पज के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी पक्ष के लिए, जो इस प्रकार के आक्रमण और प्रत्याक्रमण करते हैं, मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा लाभ होता हो। मेरा निवेदन है कि आलोचना का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है, किसी दृष्टिकोण से किया हो, लेकिन इस प्रकार आक्रमण करने की प्रवृति ठीक नहीं है और वह भी जब किसी एक पर्टीक्यूलर मिनिस्टर को लक्ष्य करके आक्रमण किया जाय…

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : किस पर आक्रमण किया है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : राजस्व मंत्रीजी का सवाल है। वे क्रियाशील मन्त्री हैं, योग्य मन्त्री हैं। मैंने देखा है जब कभी भी सवाल आता है, किसानों को राहत देने, उनके विभाग का, तो उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति संसार में ऐसा पैदा हुआ हो, जो सारी बातों में, सब तरह से हमेशा होशियार हो, सब बातों पर ध्यान देते हों, जिससे कहीं भूल नहीं होती हो। इस तरह की गवर्नमेंट भी पैदा नहीं हुई, इसलिए ही आलोचना की गुंजाइश रखी गई है। राजस्व मन्त्री ने जैसा कहा कि हमारे सामने समय पर अगर दिक्कत लाई जाती है; तो गवर्नमेंट को मौका मिलता है उन्हें ठीक करने का। लेकिन जब मौका निकल जाता है, उसके बाद उसके बारे में यहां या और कहीं कोई बात कही जाती है, तो उससे कोई पर्पज सिद्ध हो नहीं सकता और आप राहत दिलाना चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता।

अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने त्यागपत्र का जिक्र किया कि रेल्वे मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने रेल्वे का एक्सीडेन्ट हुआ तो त्यागपत्र दे दिया। एक्सीडेन्ट रेल्वे का गलती से हो सकता है और गलती से एक्सीडेन्ट हुआ तो रेल्वे के कर्मचारियों की गलती से हुआ, वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। पर जैसलमेर में अचानक वर्षा होगई तो वह प्राकृतिक चीज थी, वह राजस्व मंत्रीजी या मुख्य मंत्री के बस की बात नहीं थी। इस प्राकृतिक प्रकोप के बाद यदि राहत देने में देर हुई हो तो गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है। जैसलमेर जैसे इलाके में यह बाढ़ आई। जहां आवागमन के साधन नहीं हैं। ऐसी दशा में दूसरे राजस्व मंत्री होते तो वे इतनी जल्दी क्या कर लेते, दूसरे कलेक्टर होते तो क्या कर लेते ? तो इस चीज को सोचकर आलोचना की जाती तो ठीक था। पर यहां आलोचना और आक्रमण की हवा ही बंध गई।

अजमेर-नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां की सर्विसेज के लोगों के लिये बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनकी चिंता को दूर कर देता हूँ। ५) रुपया मंहगाई उनको दी जाय या नहीं दी जाय यह मामला सरकार के जेर तजवीज है। मुख्य मंत्रीजी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

और मेरे ध्यान में है। सैंट्रल गवर्नमेंट के गृहमंत्री के आदेश आये हैं तो मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को और हाउस को इत्मिनान दिलाना चाहता हूँ कि वैसे राजस्थान सरकार को पैसे की जरूरत है, पैसा तो हमको और लेना है, वित्त मंत्री का तो काम ही है कि पैसा ले, पर पैसे के ऊपर न्याय ही रहेगा, न्याय पर पैसे की विजय नहीं होगी।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन यह चाहता था........

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले आपका भाषण हो जाय फिर क्लेरिफिकेशन कर लेना।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**: वह कागज मंत्री महोदय के हाथ में है, उस कागज को देखकर बताने में उनको आसानी होगी, नहीं तो बाद में उन्हें उस कागज को निकालने में कष्ट होगा। इन्टीग्रेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से जो आदेश आया है, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया देने को तैयार है, तो आप लेने को तैयार हैं कि नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय**: जो कागज आया है वह यहां नहीं है— उस पर डिपार्टमेंट का नोट भी मैंने देखा है, मुख्य मंत्री जी को पूरी फाइल गई है, उसको पूरी तरह से स्टडी करेंगे तभी उस पर निर्णय लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह**: On a point of clarification, Sir, अभी जिस समय वित्त मन्त्री महोदय भाषण दे रहे थे उस समय मैंने क्लेरिफिकेशन चाहा था तो चेअर ने रूलिंग दे दी कि जब भाषण समाप्त हो जाय तब क्लेरिफिकेशन कर लेना। लेकिन अभी सत्तारूढ़ दल की ओर से क्लेरिफिकेशन चाहा गया तो चेअर ने उन्हें आज्ञा दे दी। तो क्या यह समझकर चलें कि विरोधी दल के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव हाउस में होता है ?

**श्री उपाध्यक्ष**: I understand. If the proceedings can be referred to you will find therein that his point of clarification was objected by me and I invited his attention that it should be sought at the end of the debate. So it cannot be said that the Chair was a consenting party. He was allowed only when he said that the relevant papers in the hands of the Hon'ble Minister will facilitate him to reply.

**श्री भैरोंसिंह**: Then should I presume that the relevant papers were not with the Hon'ble Minister when I raised the point of clarification ?

**श्री उपाध्यक्ष**: So far as the position of the Chair is concerned it has been checking the points of explanation or clarification in between the debate, and I will request the Hon'ble Finance Minister also to reserve this point of clarification and reply it at the conclusion of the debate.

**श्री भैरोंसिंह**: To avoid the sense of discrimination ?

**श्री उपाध्यक्ष**: Just to respect your sentiments.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय**: तो माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह निवेदन कर दिया कि

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अजमेर के जिस अलाउन्स के प्रश्न को उठाया गया है उसके लिये कार्यवाही गवर्नमेंट के विचारार्थ दरपेश है, अभी निर्णय नहीं लिया गया है। पर यह अर्ज कर दूं कि न्याय मुख्य है, वित्त गौण है।

वित्त आयोग के बारे में कहा गया कि हमने वित्त आयोग से भीख मांगी है। तो मैं निवेदन कर दूं कि मैं भी गया था वित्त आयोग की मीटिंग में, मेमोरेंडम भी दिया गया है। जो मेमोरेंडम यहां की तरफ से पेश किया गया है उससे वित्त आयोग बहुत प्रभावित हुआ है। तो हम कोई हाथ पसार कर गये हों, ऐसी बात नहीं है। कुछ रुपया तो हमारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज के अंश में और दूसरे अंश हैं, भीख मांगने का कोई सवाल नहीं। और खर्चा हैं; पुलिस का खर्चा है, बोर्डर के ऊपर या कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा दी जाती है. इसके लिये सभी स्टेटों के लोग कमीशन के सामने अपने अपने केस रखते हैं और कॉन्स्टीट्यूशन के मातहत रखते हैं, कमीशन कोई अहसान नहीं करता। यह बात है कि जो केस रखते हैं उसको अच्छी तरह से साबित करना पड़ता है, अच्छी तरह नहीं समझाया जाय तो कोई पैसा नहीं देगा। तो यदि इसे कहा जाय कि यह पैसा मांगना है तो यह वाजिब नहीं है।

इसके अलावा यह कहा गया कि छंटनी की गई है; इकोनोमी में की गई है। इसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि इकोनोमी में लगभग पांच हजार सरप्लस हुए हैं, उनके लिये आश्वासन दिया गया था कि उनको काम में लगा लिया जायगा। इनको काम पर लगाने के लिये जो कमेटी बनी उसका चेयरमैन होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि उन सब लोगों को काम में लगा लिया गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): अभी तक कई ऐसे हैं जिनको काम पर नहीं लगाया गया है, माननीय उपाध्यक्ष, मैं मन्त्री महोदय से क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष**: Well, I think Hon'ble Shri Bhairon Singh will object to it.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): Because this is from opposition, it will not be allowed by the Chair.

**श्री उपाध्यक्ष**: Not that.

**श्री चन्दनमल वैद**: (सरदारशहर): It is a reflection on the Chair, Sir.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय**: इसमें भी जो कमी की गई, फोर्थ क्लास की नहीं की गई; कमिश्नरियां हटाई गई हैं। तो यह कहना कि नीचे के लोगों को हटाया गया, बड़ों के साथ रियायत की गई यह भी गलत है।

बीकानेर के बी. डी. ओ. के बारे में कहा गया। इसके लिये मैं निवेदन कर दूँ कि उसकी शिकायत हुई थी. इसलिये उसका ट्रान्सफर किया गया, उसकी जगह दूसरे को नियुक्त किया गया, वह कई कारणों से वहां नहीं गया, इसलिये खाली रह गई। दूसरे को भेजने के ऑर्डर दे रहे हैं।

गबन और घोटालों का जिक्र किया. इसके लिये अर्ज कर दूं कि जितनी रिपोर्ट मेरे पास या पंचायत विभाग में घोटाले और गबन की आती है, उनको नोटिस में लाते ही कार्यवाही की जाती है। जान्ते

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में जो देर होती है वह तो होगी ही। पहले पहल शिकायत आती है तो उसकी प्रिलिमिनरी जांच की जाती है कि इसमें तथ्य हैं कि नहीं। जांच के बाद सच्चाई पाई जाती है तो चार्जशीट देकर उसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय। उसका जवाब आने पर फिर एन्क्वायरी का मौका दिया जाता है पक्ष और विपक्ष दोनों को। फिर पूरी रिपोर्ट आती है तो सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह देर हमारी तरफ से या सरकार को तरफ से नहीं है, जो जाब्ता आपके द्वारा बनाया गया है उसकी वजह से है। कोई सीरियस इर्रेगुलेरिटी गबन की तारीफ में आने वाली होती है या और इस प्रकार के सीरियस एलिगेशन्स होते हैं तो उनको फौरन सीरियसली डील विथ करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, जितनी बातें उठाई गई थी, बहुत कुछ का जवाब दिया चुका है। मैं समझता हूँ कि माल मन्त्रीजी ने और मैंने सरकार की तरफ से जो निवेदन किया है उसको सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि इस बिल का विरोध किया जाय और मैं समझता हूँ कि यह बिल सर्व सम्मति से पास किया जायेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने छंटनी के बारे में कहा कि सबको काम पर लगा लिया है; मगर मैं बताऊं आपको, बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी के लोगों की छंटनी हुई, उनको किसी काम पर नहीं लगाया गया, आज भी वे लोग बेकार हैं। मन्त्री महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऐसा हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका ख्याल रखें और काम पर लगाएं।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : अगर कोई ऐसा केस होगा तो आप मेरी निगाह में लावें, उसको जरूर काम पर लगाया जावेगा। कहीं केस हुए भी हैं तो अभी तक उनको नौकरी से नहीं हटाया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल नं० ४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल नं० ४ पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

Excess demand

**अधिक अनुदानों की मांग संख्या ७४, व शीर्षक २६-पुलिस**

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस के सम्बन्ध में संचनितनिधि में

(श्री रामकिशोर व्यास)

से ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय की निमित राज्यपाल महोदय को २८१८ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

[उपर्युक्त मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री भैरोंसिंह :

(१) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की सीमा पर नियुक्त आर. ए. सी. के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का आर. ए. सी. पर खर्चा न किया जाने पर विचार करने हेतु)।

(२) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (इस मांग में जितनी बचत होनी चाहिए थी उतनी नहीं होने के कारणों पर बहस करने के लिए)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(३) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (आवश्यक बचत न करने के कारणों पर विचार करने हेतु)।

(४) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा पर तैनात आर. ए. सी. के लिए प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग न किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)।

श्री हीराभाई :

(५) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (अधिक व्यर्थ खर्च पर विचार करने हेतु) ]

श्री उपाध्यक्ष : yes, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव माननीय गृह मन्त्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें मैं यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। इस कटौती के प्रस्ताव का आशय यह है कि जिस विषय को लेकर यह अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की गई है उस अतिरिक्त मांग के पैदा होने का कारण क्या है, उनके कारणों पर विचार करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग में यह बताया गया है कि कुछ मदों में जो खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं हुआ, कुछ मदों में ज्यादा खर्च हो गया और इस व्यवस्था के कारण अतिरिक्त मांग की आवश्यकता पड़ी। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह सारा मसला या यह सारी आवश्यकता आज सरकार को अतिरिक्त मांग के रूप में सदन में प्रस्तुत करने की क्यों हुई?

अभी पिछले दिनों मैं गंगानगर जिले की ओर और खास तौर से राजस्थान और पाकिस्तान का जो बोर्डर है उस बोर्डर में भी कई स्थानों पर जाकर वहां की हालत को प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर मिला। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान और राजस्थान की सरहद पर काफी पुलिस फोर्स तैनात कर रखा है। वह पुलिस वहां किस प्रकार का काम

(श्री भैरोंसिंह)

करती है उसके बारे में मुझे अभी कोई चर्चा नहीं करनी है। लेकिन वहां पर रहने वाले आर. ए. सी. के जितने जवान हैं, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की हालत, रहने के साधन, रहने के स्थानों की हालत, उनको वहां पर मिलने वाली सहूलियतों की बात है उस पर यदि विचार किया जावे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस बात को महसूस नहीं करे कि जिन लोगों के भरोसे पर हम अपनी सुरक्षा और सरहद की रक्षा करना चाहते हैं वे लोग स्वयं वहां पर सुरक्षित नहीं है। हवा से, पानी से, रेतीले टीबों से वे सुरक्षित नहीं हैं। उनके लिये मकानों की व्यवस्था नहीं, पानी की पर्मानेन्ट व्यवस्था नहीं, यह सारी अव्यवस्था होने के बावजूद उनको जो काम करना पड़ता है वह पाकिस्तान हमलावरों का मुकाबिला करना, राजस्थान के स्मग्लरों से मुकाबला करना और कई बार ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है जो पाकिस्तान में रह कर हिन्दुस्तान में और कभी हिन्दुस्तान में रह कर पाकिस्तान में डाके डाला करते हैं। आज उन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमने आर. ए. सी. को वहां डाल रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. ए. सी. के लिये जिस समय सदन में चर्चा हुई, सदन के कई माननीय सदस्यों ने और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि बोर्डर प्रोटेक्शन का काम है उसका सारा खर्चा राज्य सरकार का नहीं होना चाहिये बल्कि भारत सरकार का होना चाहिये। राज्य सरकार ने फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम में इस बात की ओर संकेत किया है और इस बात की बताने की कोशिश की है कि राजस्थान सरकार को अन्य रियासतों के अनुपात से पुलिस विभाग पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन आर. ए. सी. पुलिस की हालत देखी जावे तो भारत सरकार ने ३४ लाख की ग्रान्ट सरकार को दी थी कि आर. ए. सी. के सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाई जावे। मगर उन रुपयों की उन लोगों को सुविधा जिस प्रकार से बोर्डर पर लोगों को मिलनी चाहिये, मिल सके। उनको मेडिकल फेसिलिटीज और दूसरी जितनी भी सहूलियतें बोर्डर पर दूसरे कर्मचारियों को दी जाती हैं उनको भी मिल सकें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी राज्य सरकार, राजस्थान और पाकिस्तान की सरहद पर अपने जवानों को, जिनके बल पर हमारी सुरक्षा निर्भर है, उन सुरक्षा करने वालों के ३४ लाख रुपयों को सामान्य बजट में शामिल करके हजम कर गई। आज आप यह चाहते हैं कि जो लोग अपनी जान की बाजी लगा कर उन लोगों का जो वहां डकैती और स्मग्लिंग करते है अनडिजायरेबल एलीमेंट से मुकाबला करें और अपनी जान की बाजी लगाते समय मारे जावें तो उनके बच्चे और परिवार भूख से तड़फते रहें। भारत सरकार जो रुपया उनके लिये देती है उसको भी राज्य सरकार उनको न देकर अपने सामान्य बजट में शामिल करती है यह कहां का न्याय है? अभी हमारे यहां फाइनेन्स कमीशन आया। हमारे मुख्य मन्त्री बड़े होशियार हैं। उन्होंने सोचा कि यह बात सारे आर. ए. सी. में मालूम पड़ जावेगी तो उचित नहीं होगा इसलिये उन्होंने घोषणा की कि १५) रु० की तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाती है। ३४ लाख की बात उड़ा गये। ३४ लाख रुपया कहां जाता रहा। आप उन ३४ लाख रुपयों की पूर्ति नहीं करते, जो भारत सरकार उन जवानों के लिये देती है और कहते हैं कि १५) रु० की तनख्वाह बढ़ादी है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जिस जिम्मेदारी से काम लेती है उससे काम ले और जो पैसा उसके पास है उसके अनुसार उनको सहायता दे, लेकिन जो पैसा भारत सरकार से मिलता है उसको सामान्य बजट में न ले और जो पैसा आर. ए. सी के जवानों और कर्मचारियों को मिलना चाहिये उनको दें। ३४ लाख रुपया और बातों से निकाले मगर ३४ लाख रुपया जो भारत सरकार ने दिया है वह उनके पास जाना चाहिये। इसकी परवाह नहीं, आप उनको दो वर्षों में दें या उसको कुछ समय बाद में एरियर के रूप में दें लेकिन जिसकी वाजिब मांग है उसकी पूर्ति करनी होगी।

आज, माननीय उपाध्यक्ष, यह बात नहीं है कि केवल आर. ए. सी. के कर्मचारी दुखी हैं; ऐसी बात नहीं है, पुलिस के सर्वसाधारण आदमी भी दुखी हैं। आप देखेंगे कि अजमेर के सिपाही को ज्यादा तनख्वाह मिलती है और हमारे यहां पर जो सिपाही है उसको कम वेतन मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि अजमेर के सिपाही को कम वेतन मिलना चाहिये। मैं यही कहूँगा कि इन्टीग्रेशन रूल्स के मुताबिक उसको जो मिलना चाहिये, मिले। लेकिन राजस्थान में सरकार को चाहिये कि सिपाहियों को भी अजमेर के बराबर रुपया दें। मैं भारत सरकार की पुलिस की चर्चा नहीं करता। राजस्थान के दूसरे राज्यों में यानी अजमेर में पुलिस का एक सिपाही जितनी तनख्वाह पाता है उतनी तनख्वाह राजस्थान के हर सिपाही को मिले। वह भी आप नहीं करते ऐसी स्थिति में कोई पुलिस का सिपाही किसी भी प्रकार की सहूलियतें मांगे तो उसको नहीं मिलती है। और वह हमारा बजट यदि आप पुलिस के सिपाहियों में खर्च होता हो ऐसी बात नहीं है और अगर होता है तो पुलिस के कर्मचारी भी अपना त्याग करने के लिये तैयार होते हैं। लेकिन बजट में बड़े बड़े अधिकारियों और सैक्रेटेरिएट में बैठने वालों को स्पेशल पे आदि के लिये खर्च होते हैं। मैं यह कहूँगा कि जान की बाजी लगाने वालों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।

(३.० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि कोई पुलिस के सिपाही के रिलीफ की बात करता है तो वह तो कौन सुने, लेकिन पुलिस का सिपाही सब्जी मन्डी में खड़ा है और मजिस्ट्रेट उसके थप्पड़ लगा दे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। मजिस्ट्रेट पुलिस के सिपाही के सब्जी मन्डी में थप्पड़ लगा कर चला गया। पुलिस के सिपाही के साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कहां तक उचित है कि मजिस्ट्रेट थप्पड़ लगा कर चला गया और उसकी कोई सुनने वाला नहीं, आप स्वयम् ही छाती पर हाथ रख कर देखें। यदि किसी दूसरे के थप्पड़ लगा दी होती तो मुकदमा दायर हो जाता, चालान होता कोर्ट में। लेकिन शहर की पुलिस के सिपाही के थप्पड़ लगा दी और मजिस्ट्रेट चला गया और बैठा रहा सरकारी अधिकारी कहते हैं कि आपस में राजीनामा कर लो। इस प्रकार का राजीनामा करने को कोशिश न करें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनसे लोकों की भावनायें भड़कती हैं।

अब मैं यह कहूँ कि जैसी कि यह मांग है, उस पुलिस विभाग का नक्शा यदि थोड़ा सा भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग आज मन्त्री महोदय के कन्ट्रोल में नहीं है। हो सकता है, यह आई. जी. पी. के कन्ट्रोल में हो, हो सकता है यह डी. आई. जी. पी. के कन्ट्रोल में हो। यह भी हो सकता है कि यह एस. पी. और हैड कॉन्स्टेबिल के कन्ट्रोल में हो। यह उनके कन्ट्रोल में हो सकता है, लेकिन आज होम मिनिस्टर के कन्ट्रोल में वह नहीं रहा। पिछले सैशन में जिस जोश के साथ होम मिनिस्टर साहब इस सदन में भाषण कर चले गये जिससे यह आभास मिला कि था अब तो पुलिस का बेड़ा साफ हो गया है आयन्दा से पुलिस इतनी सतर्क हो कर चलेगी कि यदि कहीं उनकी याद आगई कि गृह मन्त्रीजी ने इस जोश के साथ सदन में भाषण दिया था तो उससे आगे के लिए अपनी ड्युटी समझने लगेगी। लेकिन वह जोश केवल सदन में ही रहा। वह जोश पुलिस के बेड़े पर नहीं रहा। यदि जोश रहता तो इस प्रकार की घटनायें नहीं होतीं जो आज राजस्थान में हुई हैं और हो रही हैं जिनके अन्दर तीन तीन पुलिस के डी. एस. पी. होम सेक्रेट्री का पी. ए. और एक डॉक्टर ने एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जिनको सस्पेन्ड किया जाता है यह पुलिस का बेड़ा है। मौअत्तिली के लिए भी कई दिनों तक इन्तजार किया जाता है। जब इस प्रकार से एक लेडी डाक्टरनी के साथ इस प्रकार के बलात्कार की बातें पुलिस के अधिकारियों के द्वारा हों तो आखिर बेचारी जनता तो जाये कहां? यदि जनता के साथ इस प्रकार से कोई बलात्कार करें तो उनकी तो सुनवाई दूर रही। लेकिन सरकार की नौकरी में रहने वाली लेडी डॉक्टरनी के साथ इस प्रकार से पुलिस के अधिकारी बलात्कार करें तो उसकी भी चिन्ता नहीं। किसी नायन के साथ कोई बलात्कार करे तो उसकी भी चिन्ता नहीं।

सरकार ने डिसेन्ट्रलाइजेशन किया है। जयपुर शहर में जो प्रौस्टिटयूट्स थी। उनका भी डिसेन्ट्रलाइजेशन किया है, जगह जगह फैल गयी हैं। सरकार की ओर से कहने वाले लोग कहते हैं कि जागीरदारों के जमाने में खूब अन्याय होता था, ज्यादातियां होती थीं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आपने तो जनता के दिमाग से जागीरदार शब्द को ही निकाल दिया है। चांदरसिन्दरी में पुलिस के सिपाहियों ने १७ नर्तकियों को नंगी करवा कर नचवाया। इस सम्बन्ध में अजमेर एस. पी. की रिपोर्ट है कि उनके साथ इनह्युमन ट्रीटमेन्ट किया गया, पी. एम. ओ. रिपोर्ट करता है कि लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन सरकार कागजों को दबा देती है। गृह मंत्रीजी कहेंगे कि मौअत्तिल कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयम् कानून के ज्ञाता हैं। यदि कोई बलात्कार की रिपोर्ट आये और उस पर दो महीने तक इन्तजार किया जाये ऑरदल दिया जाये तो यह कौन से कानून में आता है? माननीय गृह मन्त्री-ला विभाग के भीमन्त्री हैं, वे स्वयम् ही बतायेंगे कि यदि चालान करने में ढिलाई हो तो कोर्ट में उन ममलों की क्या स्थिति बनती है? मैं तो कानून ज्यादा नहीं जानता लेकिन इतना तो अवश्य जानता हूँ कि ढिलाई के कारण मुलजिमों को फायदा मिल जाता है. बचने का मौका मिल जाता है। यदि मौन रहते हैं तो उसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। सरकार कई दफा कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में है और जनसंघ मुसलमानों के खिलाफ में है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जाइये। मंडावर गांव में जाकर खड़े रहिये तो मुसलमान अंगुलियां उठा उठा कर चिल्लाते हुए मिलेंगे कि एक मुसलमान महिला के साथ थाने में लेजाकर बलात्कार किया गया, उसके खाविन्द को उड़ा लिया, खाविन्द से २००) ले लिये और उसके खाविन्द को पीटा भी गया। वे ये सारी बातें कहते नजर आवेंगे लेकिन जोश नहीं आवेगा। यही कहा जायगा कि आज यह राजस्थान की बदकिस्मती है कि इस प्रकार की अन्यायपूर्ण चीजों की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। पुलिस का जो व्यवहार है मैं उसका अधिक जिक्र नहीं करना चाहता।

मैंने कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। पिछले दिनों मैं फलौदी गया। मैंने घोसियों से बात की। किस प्रकार से पुलिस द्वारा उनके साथ ननह्यूमन ट्रीटमेन्ट किया, घोसी और घोसिन को मार दिया। उसकी शिकायत होम मिनिस्टर से की, कम्प्लेन्ट की कॉपी मेरे पास पड़ी है। शिकायत होने पर सरकार एक बात करती है कि स्थानान्तर यह सबसे बड़ा हथियार है। राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स में इस सजा के सिवाय और कोई सजा नहीं है; तो, यह मानना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं के लिए उनको छूट दे रखी है, वे ज्यादतियां करें और उनका स्थानान्तर हो जाय और संतोष करके बैठ जायं।

ये घटनायें एक नहीं, समाचार पत्रों में यदि पढ़ें, लोकवाणी को देखें, राष्ट्रदूत को देखें, पत्रिका देखें और बाकी के समाचार-पत्रों को देखें तो सुबह पहले कोई न कोई घटना आयेगी जिसके लिए लिखा होगा कि अमुक स्थान पर पुलिस के सिपाही ने, अधिकारी ने अमुक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया बलात्कार किया है आदि। यदि सदन में ये सारी बातें कहूँ, जैसा आप समझते हैं, यह कहेंगे कि सदन का अधिक समय लेना चाहते हैं। इसलिए गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुलिस के बेड़े को शुद्ध करें। जस्टिस मुल्ला ने जिस प्रकार के पुलिस के बारे में स्ट्रक्चर्स पास किये हैं कि यह लॉलैस एक्टिविटीज का गैंग है, राजस्थान की पुलिस के बारे में दूसरी कोर्ट्स ने भी स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं जिसमें बताया गया है कि पुलिस ने पुलिस वालों का झूठा चालान कर दिया। फुलेरा में एक सिपाही खड़ा नहीं हुआ, एस. आई. सेकन्ड क्लास वेटिंग रूम में गया, वहां पर सिपाही बैठा हुआ था, उसने एस. आई. को जो कि वर्दी में नहीं था इसलिए पहिचाना नहीं और वह खड़ा नहीं हुआ, उसने सैल्यूट भी नहीं किया, इस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया कि मामला गलत है। इस प्रकार से कई कोर्ट्स ने स्ट्रक्चर्स पास किए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।

पिछले दिनों जयपुर शहर में सिक्कों का मामला आया। लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि राजस्थान की पुलिस ने इस प्रकार से सिक्के ढालते हुऐ को पकड़ा। यह बड़ा भारी काम किया। राजस्थान में गलत सिक्का मिन्ट हो रहा था उसको रोका। इसके लिये पुलिस की तारीफ हुई। पुलिस के सूत्रों से पता चला और इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो गलत सिक्का चल रहा था उसका भेद खुल गया। यह पुलिस की तारीफ थी, बड़ी बात भी थी। लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

खुद ही पुलिस वालों को मुकदमा दायर नहीं करने के लिए रोका जाता है। लोग कहते हैं इसलिए रोका जाता है कि माननीय गृह मंत्री जी इसमें कोई दिलचस्पी रखते हैं। वे बतायेंगे कि मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है यदि वह सन्तोषजनक हुई तो इसका सुबूत मिल जायेगा कि उनकी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है और यदि असंतोष है तो दिलचस्पी है इस बात का सुबूत है। सिक्के ब ाने का मामला पकड़ा जाता है फिर भी मुल्जिमों को नहीं पकड़ा जाता। कहते हैं कि जिस वक्त चाहेंगे मुल्जिम हाजिर हो जावेंगे। जब सब तरह के सुबूत उनके लिए मिल जायं और फिर भी मुल्जिमों का चालान न हो, यह इस बात को प्रकट करता है कि किसी न किसी दृष्टि से मुल्जिमों को फायदा पहुंचाना है। लोगों को तो यहां तक डर लग रहा है कि इस प्रकार सरकार जो दिलाई बरत रही है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाय कि मुल्जिमों की ओर से यह कहा जाने लगे कि यह तो पुलिस का बनाया हुआ मामला है। पुलिस ने जो सिक्के पकड़ कर बताने का काम किया है उसकी तारीफ नहीं, लेकिन उस पर उल्टा यह इल्जाम लगाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है कि उसके द्वारा ही यह मामला बनाया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय इस सारी स्थिति में जब यह विचार किया जाता है, आखिर ये घटनायें क्यों होती हैं ? कब तक होंगी ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं निवेदन कर सकता हूँ क ये घटनायें, इस प्रकार की घटनायें, राजस्थान में खास तौर से हमारे गृह मंत्री जी इस पद पर आये हैं उस दिन से इन घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। आज ऐसी स्थिति में मैं उनसे निवेदन करूं, आप इस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते अब केवल दो-तीन महीने हैं दो-तीन महीनों के बाद फिर भाग्य निर्णय होगा। मैं ऐसा समझता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और कुछ भी हो लेकिन इनसे यह पुलिस विभाग की मुक्ति हो जाये। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से अभी अभी मैं निवेदन कर रहा था इससे भी महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न हमारे राजस्थान के सामने आ रहा है। वह है पाकिस्तान की सरहद से पाकिस्तानियों का हमारे राजस्थान में प्रवेश होना। आये दिन हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान के लोग बिना पासपोर्ट के हिन्दुस्तान में आते हैं, यह मैं अखबारों में दिये गये आंकड़ों के आधार पर कहता हूँ, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, यह सरकार बतायेगी। लेकिन जनता के सामने यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने किसी प्रकार का काम किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाचार में प्रकाशित हुई बातों को गलत नहीं मानता। गलत इसलिये नहीं मानता कि इनका कन्ट्रोडिक्शन हमारी सरकार की तरफ से नहीं निकलता है। अगर उनका कोन्ट्राडिक्शन निकाल दिया जाय तो विधान सभा के सदस्यों को भी जानकारी मिल जाये और इस प्रकार की बातें कहने का अवसर न हो। राजस्थान से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता है, 'राजस्थान रिव्यू' के नाम से, जो इसका लेटेस्ट एडीशन निकला है उसको पढ़कर देखें इसमें पाकिस्तान के एजेन्टों के जाल का पर्दाफाश किया गया है बार बार लिखा है। राजस्थान में पाकिस्तान के एजेन्ट सि र्फ पाकिस्तान की जय ही नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

बोलते पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं और रेडियो सेट भी रखते हैं। पाकिस्तान से सांठ-गांठ करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ जिस पत्र ने यह लिखा है उसको गैरजिम्मेदार कह कर गलत नहीं माना जा सकता। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अन्य मसलों को भले ही टालते जाइये लेकिन इस मसले को मत टालिये। यह अहम मसला है इस प्रकार की राजनैतिक परिस्थितियों के ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है तो यह हमारे लिये जबर्दस्त दुर्भाग्य होगा। मैं जो यह निवेदन कर रहा हूँ, इस स्थिति में आप थोड़े से संयम से, थोड़ी सी मजबूती से इस सारी स्थिति को पकड़ कर उसको निकालने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसे लोगों को दंड दिये जाने की कार्यवाही की तो मैं समझता हूं आपके द्वारा यह राष्ट्र की जबर्दस्त सेवा होगी। भगवान ने आपको यह सुअवसर प्रदान किया है। आप इस अवसर का लाभ उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो मैं समझता हूं इस प्रकार की स्थिति से सदन को अवगत कराने से कोई मतलब नहीं होगा। उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होगा। प्रश्नोत्तर काल में कई बार पूछा जाता है थाने में कितने आदमी मारे गये? उसकी संख्या बता दी। कितने चालान किये गये, उसकी संख्या बता दी। तो मैंने पूछा दोनों के बीच का जो अन्तर है वे आदमी कहां गये? पुलिस थाने में आदमी मर जाये, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दी, उस व्यक्ति का चालान नहीं, गंगानगर थाने का इन्चार्ज हो जाये। थाने में लोगों को मार दिया जाये। कोई शिकायत करता है पैसा खर्च करके बच सकता है। पैसा खर्च कर करके लोग रिइन्स्टेट हो जाते हैं। पिछली बार गृह मंत्री महोदय से निवेदन किया था आप इन चीजों को देखें। मैं अगर यहां कहता हूं उसे राजनैतिक दृष्टि से भी आप मानकर चलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिन बातों को हम रखते हैं जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। आप उनकी जांच करवाकर जिन व्यक्तियों का अपराध हो उनको दंड दिलाने की व्यवस्था करिये। अगर आप इस तरह से उनको दंड दिलाने के लिये तैयार होते हैं तो मैं समझता हूं आयन्दा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कुकृत्य करने की चेष्टा नहीं करेगा। गंगानगर के उस कत्ल के बारे में वहां के सब इन्स्पेक्टर के खिलाफ बात कही गई और गृह मंत्री महोदय ने इस सदन में इस बारे में आश्वासन दिया था कि उसका चालान होगा, लेकिन जब मैं गंगानगर गया वह व्यक्ति वहां पर मेरी हाजरी लेने के लिये तैयार मिला। आखिर इन चीजों की सीमा होती है। किस हद तक उनका वर्णन करें? पिछले दिनों आर० पी० एस० ऑफिसर्स की ट्रान्सफर हुई। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, वह लंबी-चौड़ी लिस्ट बना दी गई, ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी जिनको किसी स्थान पर गये हुए ६ महीने हुए, किसी को ४ महीने हुए, किसी को दो महिने हुए, उन लोगों का ट्रान्सफर कर दिया गया। ट्रान्सफर करते हैं, इसमें मुझे एतराज नहीं, कम से कम एक आदमी को एक जगह डेढ़-दो साल तो काम करने देना चाहिये, ताकि वह उस इलाके की जानकारी प्राप्त कर सके, वहां की जानकारी लेकर, वहां होने वाले क्राइम्स को रोकने की कोशिश करें। आज पुलिस महकमे के अन्दर सर्किल इन्सपेक्टर और

(श्री भैरोंसिंह)

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट में कामों का बंटवारा नहीं। आज इस बेड़े के अन्दर सर्किल इन्सपेक्टर बेकार है, सारे मामले डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास जाते हैं। या तो आप जितने भी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स हैं उन सब को सर्किल इन्सपेक्टर बना दें। क्योंकि सारे स्थानों पर सी० आई० बेकार हैं उनके पास किसी प्रकार का काम नहीं आता। थानेदार उनका कहना नहीं मानते, उनका डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कहना नहीं मानते। उनकी हालत इस बेड़े के अन्दर एक प्रकार से त्रिशंकु की हालत बनी हुई है। इस तरह से एक्सेस भी खर्चा इन पर हो रहा है। इसलिये आपको इन्सपेक्टर्स के बारे में किसी न किसी प्रकार का डिसीजन अवश्य लेना चाहिये। आज हम देखते हैं कि अजमेर से आने वाले पुलिस के कर्मचारियों में इन्टीग्रेशन को लेकर काफी असन्तोष है। पुलिस के सिपाहियों को एरियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। इस लिये अजमेर के सिपाही परेशान हो रहे हैं। इस तरह से और बाकी तथ्यों को निवेदन न करते हुए माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे मसले पर इस प्रकार विचार करें। हमारा पुलिस का वेड़ा जो लॉ-लेसनेस एक्टीविटीज को पनपने न दे इस आ[illegible] दे।

आज हम देखते हैं कि पुलिस, जिसको लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करवाना होता है लॉ-लेसनेस एक्टीवेटीज में भाग लेती हुई दिखाई देती है ऐसी हालत के अन्दर इस सारे मसले पर गृह मंत्रीजी विचार करने के बाद पुलिस बेड़े के अन्दर प्रोमोशन के नाम पर, ट्रान्सफर के नाम पर, एरियर्स के भुगतान के ऊपर, पूरी फेसिलिटीज नहीं मिल पाती। बेड़े में जो असन्तोष है उसको आप दूर करने की चेष्टा करें। यह आपका अधिकार है। जो कुकृत्य करते हैं उनके साथ आप सख्ती के साथ व्यवहार करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक-दो मामलों में यदि आपने एग्जेम्पलेरी पनिशमेन्ट ठोक देंगे तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत आगे से इस प्रकार के कुकृत्य करने की नहीं होगी। रिश्वतखोरी की चर्चा मैं यहां करना नहीं चाहता। कई केसेज विधान सभा के सामने आये हैं। यदि मैं फिर किसी का जिक्र करूंगा तो मंत्री महोदय का यही जवाब होगा कि मैं उसकी जानकारी करूंगा। इस प्रकार की शिकायतों की कॉपी मंत्री महोदय के पास भी आती है, कुछ मामले मेरे पास भी आते हैं, उन सब पर सरकार क्या कार्यवाही करती है, यह सरकार जाने। हम निरन्तर शिकायत करते रहें और हमारी सरकार उन बातों की सुनवाई न करे तो उसको दोहराने से क्या मतलब। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे थोड़े से सख्त होकर लोगों को एक बार एग्जेम्पेलरी पनिशमेन्ट दे दें तो इस प्रकार के कुकृत्य बन्द हो जायेंगे। जिसमें केवल मंत्री महोदय की बदनामी होती हो, यह बात नहीं, या कांग्रेस के सदस्यों की बदनामी होती हो, यह नहीं लेकिन हम भी जब इलाके में जाते हैं तो हमको भी लोग कोसते हैं। लोग कहते हैं विधान सभा में आप लोग जाकर, बलात्कार होते हैं तो चुप बैठे रहते हो, सरकार पर अपना प्रभाव नहीं डालते, अपना दबाव नहीं डालते और हम अपनी मजबूरी को समझते हैं कि सरकार हमसे कितनी दबती है। यह सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की भी है कि वह ऐसी बातों की जांच कराए और सही साबित हो तो सख्ती से कार्यवाही करे। कोई गलत बात अगर

(श्री भैरोंसिंह)

कही जाये तो भले ही आप कार्यवाही नहीं करिये। हम भी अगर कोई मोटिवेटेड बात कहे तो आप कार्यवाही न करें, पर इतना निवेदन करता हूं कि अगर एन्क्वायरी से साबित हो जाए। तथ्यपूर्ण बात मालूम पड़ जावे तो सख्ती से काम लें। एक-दो बार अगर शक्ति से काम लिया तो इस गैंग का सारा स्तर ठीक हो जावेगा। उसका स्तर ऊंचा होगा और फिर ऑर्गेनाइज्ड की संज्ञा आपकी इस पुलिस को नहीं दी जावेगी। इससे बचने के लिए जो बातें मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की हैं उनके लिए आशा करता हूँ कि माननीय गृह मंत्रीजी उन पर विचार करके उन सारी चीजों को ठीक करने का इस सदन में आश्वासन देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने एक्सैस डिमान्ड के सम्बन्ध में जो मांग प्रस्तुत की गई है उस पुलिस विभाग की मांग के सम्बन्ध में मेरे भी दो कटौती के प्रस्ताव हैं। अपने कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने गृहमन्त्रीजी का ध्यान राज्य में घटने वाली अनेक घटनाओं की ओर आकर्षित किया और इस बात की मांग की कि वे जरा सख्ती से काम लें।

मैं उन सब बातों को न दोहराते हुए यह कहना चाहूँगा कि गृहमन्त्रीजी के बारे में बहुतों को पहले भी इस बात की शिकायत थी और आज भी इस बात की शिकायत है कि जब से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आया है तब से राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन गिरती जा रही है। लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन के सम्बन्ध में, शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में गृह मन्त्रीजी सदन में चाहे जो कुछ भी कहें, चाहे जितने आंकड़े प्रस्तुत करें, आम सिचुएशन में कुछ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार सदन में रखें, पर जो सिचुएशन आज है; जैसी शान्ति और व्यवस्था की हालत आज राजस्थान में है, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हरेक नागरिक के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय बन गई है। इस सम्बन्ध में जो घटनाएं हैं, कई प्रकार की हैं चोरी की हैं, डकैती की हैं, अपहरण की हैं, बलात्कार की हैं, चाहे किसी भी प्रकार की ये घटनाएं हों, उनके बारे में जैसा अभी कहा गया किसी भी अखबार को आप उठाकर देखिये, मैं समझता हूँ, प्रातः काल जो पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं न कहीं इनमें से अनेक घटनाएं न घटती हों या किसी दिन इनके बारे में सामाचार पत्रों में पढ़ने को न मिलता हो, बल्कि स्थिति यह है कि ये घटनाएं रोज-बरोज बढ़ती जा रही हैं। पुलिस का जहां तक सवाल है, वह इस बारे में बिल्कुल निष्क्रिय है, असावधान और लापरवाह है। मैं समझता हूँ, इस सम्बन्ध में यदि गम्भीरता के साथ विचार किया जाये तो आज राजस्थान में अनेकों ऐसे मामले हैं जिनमें से अनेकों यहां प्रस्तुत किए गये और जोरदार शब्दों में रखे गये। दबाव भी डाला गया सरकार पर और इसके कारण सदन को भावना का आदर करके जांच करवाई गई, एन्क्वायरी कमीशन बैठाया गया, और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जिन ऐसे मामलों की जांच करवाई गई और सही ढंग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से जांच करवाई गई वे सारी बातें सही पाई गईं। उनमें चाहे अजमेर हो, चाहे किसी और जगह की।

यहां सदन में काफी जोर से कहा गया था कि किस प्रकार पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भोले भाले खोमचे वालों से, ठेले वालों से, तांगा-रिक्शा वालों से, हॉकर्स से, वार्षिक, मासिक और दैनिक रूप से बंधा हुआ चन्दा लेते हैं और उसका व्यवस्थित हिसाब रक्खा जाता है और ऊपर से नीचे तक सबको बांटा जाता है। इन सारी बातों को जब सदन में कहा गया और जांच करवाई गई, ओरीजिनल अकाउन्ट्स बुक सदन में प्रस्तुत की गई तो जांच कराने के बाद क्या नतीजा निकला, ७ कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सही रूप से अगर जानकारी करती है तो सारे तथ्य सही पाये जाते हैं। वह अगर वह जानबूझकर तथ्यों को, जो उसके सामने रखे जाते हैं, टालना नहीं चाहती और पुलिस की सही व्यवस्था करना चाहती है तो कर सकती है, पर यहां आकर अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अगर अपने इस विभाग को डिफन्ड करना है तो आप यह भी कर सकते हैं अपने दो-चार साथी प्रशंसकों को आप तैयार कर सकते हैं, यह भी तरीका हो सकता है। पर फिर लोगों को आप यह नहीं कह सकते कि हमला और ऑर्डर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, पुलिस की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। आपके इस तरह से चुप्पी साधने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आपने जांच कराई; निम्बाहेड़ा के मलचन्द सुनार को थाने में मार दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस के चार कर्मचारियों का प्रोसीक्यूशन हुआ, तीन तीन साल की सजा इन्सपेक्टर और कर्मचारियों को हुई। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं। इनके बारे में सदन को चिन्ता होनी स्वभाविक है।

आज इस प्रकार की लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति के बारे में जो तथ्य रखते हैं वे सही हैं या नहीं, इसकी चिन्ता आपको करनी होगी। आज विकास की योजनाओं की बातें आप करते हैं, शान्ति और सुरक्षा के बारे में आप सदन में दम भरते होंगे, पर जो कुछ भी इन सारी बातों को लोग यहां सदन में रखते हैं वे ऐसी सदभावना के साथ करते हैं। राजस्थान के विकास में हमारी भी सहमति है। राजस्थान का सुनियोजित ढंग से विकास होना चाहिए। हरेक आदमी यह चाहता है। कोई डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करना चाहता। पर इसके लिए शान्ति और व्यवस्था की सबसे पहले आवश्यता है, इसके अभाव में हमारा विकास अधूरा रह जावेगा, राजनैतिक दृष्टि से मतभेद रखते हुए लोग बातें कहते होंगे, पर जहां तक शान्ति और सुव्यवस्था का सवाल है राजस्थान के सभी प्रतिनिधि इस सदन में बैठे हैं उनको इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखना उचित नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था की हालत ठीक हो। पर हमारे चाहते हुए भी आज हालत क्या है ? क्या राजस्थान में आज कोई यह दावे के साथ कह सकता है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन डिटीरियोरेट नहीं हुई ? यह आक्षेप मैं ही नहीं लगाता। मैं आपकी जानकारी के लिए जयपुर में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध दिल्ली से निकलने वाले सामाचार पत्र ने एक न्यूज लैटर दिया है राजस्थान की शान्ति और

# Page No.88



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्था के सम्बन्ध में, कॉरेस्पोन्डेन्ट ने यहां को शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं और इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि जिन्हें मैं केवल गृहमन्त्रीजी की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे उन्होंने भी उस नोट को पढ़ा होगा। बड़ा सीरियस नोट है। छोटा सा उसका एक पैराग्राफ उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से गृह मन्त्रीजी के लिए क्वोट करना चाहूँगा क्योंकि उसमें कैबिनेट के एक मिनिस्टर के बारे में, उनके कन्कैशन के बारे में भी जिक्र है।

**श्री उपाध्यक्ष** Well this is not proper to allowreferencs of newspapers on the floor of the House.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) लोकसभा में इस तरह की प्रैक्टिस है। वहां समाचार पत्रों के बारे में क्वेश्चन्स किये जाते हैं, उनके न्यूज क्वोट किये जाते हैं और सरकार की ओर से उनका जवाब दिया जाता है। क्वेश्चन के साथ तो समाचार पत्र की कटिंग अटेच कर देते हैं और कॉग्नीजेन्स में लेकर उत्तर भी देते हैं। यह प्रसंग यहां इतना इम्पोर्टेन्ट है, पत्रों में लिखी बातों को भी सदन में रक्खें तो केवल सब्स्टीट्यूट करने के लिये है। टेबल पर रखने के लिये नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** This is a view, Sir, and it contains some facts

केवल पांच लाइन का स्टैन्जा है। सदन के विचारार्थ एक गम्भीर चीज होगी;

"The State Government is fully aware of the deteriorating law and orber situation in the district. A Cabinet Minister admitted that Ganganagar corrupted even the best and most honest officers. There is a sense of defeat and a fatalistic belief that nothing could be done to improve things in the very tone of the Minister."

उपाध्यक्ष महोदय .......

**श्री उपाध्यक्ष :** This is a vague expression and cannot be treated as an authentic version.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** अब तो गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्कार करें कि इस तरह का स्टेटमेन्ट नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष :** Proceed on please.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** चार सितम्बर के अंक में प्रकाशित हुआ है टाइम्स ऑफ इण्डिया में। यह तो सरकार के देखने की बात है।

**एक माननीय सदस्य :** ये तो यों ही निकलते रहते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं समझता हूँ समाचारपत्रों के प्रति इस तरह अपमानजनक भावना रखना अच्छी बात नहीं है। सरकार की ओर से इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** वे समाचारपत्रों की भाषा को नहीं समझ पाये हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आखिर सरकार की तरफ से यह परम्परा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, लोकतान्त्रिक साधन में परम्परा है कि किसी प्रकार का अगर इस तरह के समाचार पत्रों के, समाचारों का कोन्ट्राडिक्शन नहीं दिया जाता तो माना जाता है कि यह समाचार सही है। फिर राज्य सरकार की जानकारी में यह समाचार पत्र नहीं आया, ऐसा वे नहीं कह सकते। हम टाइम्स ऑफ इण्डिया नहीं पढ़ते, इण्डियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, हिन्दुस्तान टाइम्स नहीं, राष्ट्रदूत और लोकवाणी नहीं पढ़ते, राजस्थान पत्रिका नहीं पढ़ते, ऐसा हमारी हुकूमत में बैठे हुए मन्त्रिगण नहीं कह सकते। उनका सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय बैठा है। कटिंग ली जाती हैं ऐसे समाचारों की, वे सब मिनिस्टरों के पास जाती हैं, उन पर विचार होता है और इन सबसे ऊपर राजस्थान सरकार के बारे में पर्टिकूलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में जिस पत्र ने कमेन्ट की हो और केबीनेट के मिनिस्टर को इसमें इन्वोल्व किया हो या उसका रेफरेन्स दिया हो, तो मैं समझता हूँ, यह राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसका क्लेरिफिकेशन करे। यह कैबिनेट का, राजस्थान सरकार की कैबिनेट का, सामूहिक कर्त्तव्य भी हो जाता है कि वे यह बताएं या मालूम करें कि आखिर कौनसे मिनिस्टर ने यह कहा है। वहां की आज लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन डिटीरियोरेट होती जा रही है। गंगानगर में बढ़िया से बढ़िया अफसर भी जावेगा तो करप्ट होकर आवेगा। गंगानगर से आने वाले सदन के माननीय सदस्य यह प्रकट करेंगे कि आया वहां ऐसी हालत है या नहीं कि राजस्थान के जितने अधिकारी वहां जाते हैं, करप्टेड हैं। यह तो गंगानगर से आने वाले विधान सभाई माननीय सदस्य कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को केवल फिर यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति है। इस तरह की हालत चारों तरफ है। केवल विरोधी दल के सदस्य ही यह कहते हों, ऐसी बात नहीं। बल्कि भारतवर्ष के तमाम प्रमुख पेपर्स हैं जो उनके कोरेस्पोन्डेन्ट्स है जिनको मेरे और आप से ज्यादा अनुभव है उनकी ऐसी राय है लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में। कोई सही स्थिति चित्रित करता है तो वह आपकी निगाह में गलत हो जाता है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है सरकार सदन के सामने तथ्य नहीं रखती है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने रखा और उन्होंने पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके द्वारा मन्त्री महोदय को सतर्कता से कार्यवाही करने को कहा गया था। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के नागरिकों के साथ आये दिन चोरी की घटनायें होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती है, शील भंग की घटनाएं होती हैं जो दूसरे लोगों के साथ होती हैं, इन सारे हालातों में सरकार को सतर्कता से काम करना चाहिए। जैसे खुद पर गुजरती है और उसमें कार्यवाही करते हैं उसी तरह से दूसरों के साथ गुजरती है तो उसको भी उसी तरह लें जिस तरह से अपनी बात के लिए सतर्कता बरतते हैं। आपके साथ जो भी घटनाएं हुई। वे हमने भी देखी हैं। उसमें जिस तत्परता के साथ आपने काम किया तीन-तीन सौ पुलिस के कर्मचारियों को तैनात कर दिया और वह भी न जाने कहां कहां बम्बई तक में भी उनको भेजा और वहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक भी पकड़ धकड़ का काम शुरू हो गया ...

**श्री उपाध्यक्ष :** I will request the Hon'ble member please to take only that issue which may affect the public interest

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** This is most relevant Sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** Now you are to conclude the debate. I am now to control the business.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सतर्कता के साथ हम अपने खुद के मामलों को लेते हैं और उनमें कार्यवाही करते हैं उसी सतर्कता के साथ राजस्थान के किसी भी नागरिक के साथ में कोई घटना हो जाये तो उसको लेना चाहिए। तभी जो सर्टिफिकेट इलाहाबाद के जस्टिस मुल्ला ने दिया है आप उससे बच सकेंगे और आगे सुधार कर सकेंगे। इस प्रकार मैं अपने दोनों प्रस्ताव पेश करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हीराभाई।

**श्री हीराभाई (कुशालगढ) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय ..

**श्री उपाध्यक्ष :** केवल ५ मिनट बोलेंगे आप.... ।

**श्री हीराभाई :** पांच मिनट बहुत कम हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष :** ऐसा है कि ४ बजे गुलेटीन लग रहा है, इसलिए ५ मिनट बहुत हैं आपके लिए।

**श्री हीराभाई :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में १ रु० की कटौती (अधिक व्यर्थ खर्च पर विचार करने हेतु) का कटमोशन पेश किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पुलिस के मन्त्री महोदय ने बताया तो अगर वाजिब मद में पैसा खर्च किया जाता तब तो हमको और सदन के और माननीय सदस्यों को एतराज नहीं था लेकिन उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई गोलमाल हो और जैसे गबन किया जा रहा है। ऐसी डिमान्ड मंत्री महोदय ने रखी है। हमको पता नहीं यह पैसा किस तरह से खर्च किया है? तो माननीय मन्त्री महोदय या तो उसका पूरा क्लेरीफिकेशन दें ताकि हाउस को भी पता चले वर्ना पुलिस का जैसा काला कानून है और Law and Order के बहाने पुलिस जनता के साथ क्या व्यवहार कर रही है उसके बारे में जनता ही जानती है, मन्त्रीजी नहीं जान सकते। मैं आपको पुलिस के बारे में बताऊं कि बांसवाड़ा के एक थाना कलकाड़ के एक गांव में सेठ लक्ष्मीचन्द के यहां डकैती हुई। वहां पर पुलिस के इन्सपेक्टर ने मुलजिमों को गिरफ्तार कियाथा। वहां पर बांसवाड़ा के डी० एस० पी० ने जाकर इन मुलजिमों को तो छोड़ दिया और दूसरे आदमी जो मुलजिम नहीं थे, उनको पकड़ लिया और जिन असली मुलजिमों को पकड़ा या उनसे ८०० रुपये रिश्वत के लिए और उनको छोड़ दिया और दूसरों को पकड़ लिया। उनके घर में से तलाशी करके उसकी तहसील में एक सामान बरामद किया। जिस मुलजिम के यहां से वह बरामद किया वह उसी के घर के बरतन थे और उन पर ५६ या ५७ का नाम खुदा हुआ था, लेकिन डी० एस० पी० ने उस बनिये से कहा कि इसको तुम अपना माल

(श्री हीराभाई)

का कटमोशन किया किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बता दीजिए और पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इस तरह डी० एस० पी० ने इस घटना में सहायता की और असली मुलजिमों से रिश्वत लेकर छोड़ दिया....

श्री उपाध्यक्ष : अब मुकदमा चल रहा है या नहीं ?

श्री हीराभाई : मुकदमा खत्म हो गया। उस मामले में डी० एस० पी० ने फिर से नाम खुदवाया। जो उस पर पहले का नाम था उसको हटा दिया और उसका नाम खुदवाया। डी० एस० पी० ने कहा कि अगर पुलिस की इज्जत को रखना है तो इसके नाम खुदाओ; नहीं तो १८२ की कार्यवाही की जायेगी। इस पर सेठ ने अपना नाम खुदवाया और उसके बाद में मामला सेशन्स कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में......

श्री उपाध्यक्ष : आपके यहां सुप्रीम कोर्ट है क्या ?

श्री हीराभाई : सेशन्स कोर्ट ने शान्ति से उसका बयान लिया तो जाकर उन्होंने कहा कि यह माल हमारा है और घर का है। तहीली की जांच की गई तब सेशन्स जज ने फैसला दिया और यह गलत साबित किया और उसमें साफ लिख दिया कि मुलजिम चाहे तो पुलिस के ऊपर दावा करके हर्जाना ले सकता है। इस तरह के उदाहरण हमारी सरकार के सामने आते हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। दूसरे, आपकी आज्ञा हो तो उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों के बारे में भी थोड़ा सा कह दूँ......

श्री उपाध्यक्ष : पटवारियों का यहां जिक्र नहीं आयेगा। पुलिस पटवारी हो तो ले लिया जाये....

श्री हीराभाई : हमारे यहां पुलिस का रवैया इस तरह से चलता रहे और हमारी राजस्थान सरकार नींद में सोती रहे तो मैं समझता हूँ कि यह डिमाण्ड इसलिए रखी गई कि आइन्दा आने वाले चुनाव में भी पुलिस उनकी अच्छी तरह से मदद करे। आनन्दा में पंचायत समिति में चुनाव हो रहे थे तब जाकर एक सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने कब्जे में रखा और कांग्रेस को बढ़ावा दिया। अगर इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको छूट दें और पुलिस के आधार पर ही रास्ता तय करना है तो ये घटनायें हमेशा घटती रहेंगी। अगर पुलिस को, चाहे कोई सरकार हो, आज कांग्रेसी सरकार है कल और भी सरकार आयेगी........।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जल्दी ही खतम कर दूँगा।

अगर यही रियायत रहेगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी हालत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष, इस तरह से जो हम सजेशन्स देते हैं उनका माननीय मन्त्री महोदय को जवाब तो देना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए और उनके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं करते हैं और पुलिस वालों को शह देते हैं तो जो कुछ पुलिस वाले चाहेंगे वे करके रहेंगे। अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था। तो इस तरह से अगर हो तो पुलिस राज्य देश में कायम कर दिया जाय और

(श्री हीराभाई)

रिश्वत देकर.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आसन ग्रहण करिये। Tw Home Minister may please reply.

**श्री हीराभाई** : रिश्वत देकर...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आसन ग्रहण करिये, the Hon'ble Minister will reply now.

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो मांग एक्सेस डिमान्ड हाउस के सामने रखी गई है उसमें इस सदन के माननीय सदस्यों से, इस सदन से, कोई २,८१८) रु० की ज्यादा रकम सन् ५७-५८ के बजट में ज्यादा खर्च हुई थी उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है...

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : इतनी देर से क्यों की गई ? ५७-५८ के ये आंकड़े हैं

**श्री रामकिशोर व्यास** : एकाउन्ट्स फाइनेलाइज होते जाते हैं....

**श्री श्रीभानसिंह** : यह भी बताइये कि देर से क्यों आई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हर साल के एकाउन्ट्स दो-तीन साल में फाइनेलाइज होते हैं। इससे पुलिस का कन्सन नहीं है उसका कन्सर्न फाइनेन्स से है। लेकिन यह मांग अनुचित है या उचित है, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना मुनासिब समझूंगा कि ५७-५८ में ३,७३,००,०००) रु० का बजट था। उस बजट में २,८१८) रु० ज्यादा खर्च हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा नहीं है। इसकी पर्सेन्टेज भी आप निकालें तो वह ०.०१ पर्सेन्ट आयेगी। यह हालत है। यह जो डिमान्ड इस सदन के सामने है वह इस प्रकार की कोई बेजा नहीं है जिसको हाउस को स्वीकार करने में कोई दिक्कत आये।

अब मैं समझता हूँ कि जो कटौती प्रस्ताव आये हैं वे दो प्रकार के आये हैं। क तो कुछ आर. ए. सी. के सम्बन्ध में है और कुछ बचत नहीं होने के संबन्ध में है। बचत नहीं होने के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा नहीं कहा गया, लेकिन आर. ए. सी. के सम्बन्ध में कहा गया है और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा वह पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से कहा है, वर्ना ऐसी बात आती नहीं।

मुख्य बात जो आर. ए. सी. के संबन्ध में कही है वह यह कही है कि ३४ लाख रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट को दिये गए हैं वे राजस्थान गवर्नमेंट ने हजम कर लिये और खा-पीकर सौदा बराबर कर दिया।

अगर ऐसी ही बात हो तो बहुत शर्मनाक बात है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ३४ लाख रुपया आर. ए. सी. के लिये लिया है और राजस्थान गवर्नमेंट ने आर. ए. सी. पर खर्च नहीं किया है और अपने और कामों में शरीक कर लिया। वाकई ऐसी स्थिति हो तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा उसका इतिहास आपके सामने आ जाय....

Page No.93



**श्री चन्दनमल वैद** : वे तो अखबार पढ़कर बोल रहे थे।

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसी पर रश्क हासिल करते रहे है ? सन् १६५० में फाइनेंस फेडरश कमीशन का एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त यह तय हुआ था कि राजस्थान की अलग अलग रियासतों की जो फौजें हैं, वह आर्मी है, वह राजस्थान गवर्नमेंट ले ले, और राजस्थान में एक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी बनाई जायेगी बोर्डर की सुरक्षा के सम्बन्ध में उस समय ५०-५१ में आर. ए. सी. की स्थापना हुई और आर. ए. सी. पुलिस बनाई गई, उनके इशारे पर बनाई गई, उनके कहने पर बनाई गई। हमारा बराबर कहना था कि बोर्डर इन्टरस्टेट बोर्डर नहीं है। इन्टर्नेशनल बोर्डर है। उनके प्रोटेक्शन में हमको हेल्प मिलनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बल्कि ज्यादातर वह उन्हीं का फन्क्शन है, इस लिए सारा ही खर्चा उनको बरदाश्त करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से एग्री नहीं किया। कुछ मामलों में मदद देने की बात जरूर की और थोड़ा बहुत देना भी चालू किया। वह बहुत कम था। उसके मुकाबले में खर्चा ज्यादा था। वह चीज वहीं समाप्त हो गई। आर. ए. सी. की बटालियन स्थापित होने के बाद फिर बातें चलती रहीं और अभी कुछ अर्से पहले, साल डेढ़ साल पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्मी ऑफिसर्स से इस मामले में काफी बातचीत हुई। उनका यह कहना था कि आर. ए. सी. के जो सिपाही हैं वे जितने सुसज्जित होने चाहिए उतने नहीं हैं। हमने बताया कि आपका कहना ठीक है कि जिस ऊंचे दर्जे पर जाना चाहिए फौज के नुक्तेनिगाह से उतना नहीं है लेकिन इसमें हमारी मजबूरी हैं, हमारी आर्थिक मजबूरी है कि इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का जितना बजट है वह पहले ही काफी है। फिर आर. ए. सी. पर ज्यादा खर्च कर पायें तो थोड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है। उस बात को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मन्जूर किया, डिस्कशन हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि हमारी करीब डेढ़ करोड़ की स्कीम थी। यह बात नहीं है कि जानकारी नहीं हो, अहसास नहीं है। डेढ करोड़ की स्कीम बनाई गई थी आर्मी अधिकारियों से बात-चीत करने के बाद। आर. ए. सी. को सही अवस्था में लाने के लिए कम से कम यह जरूरी है। लेकिन राजस्थान इस स्थिति में नहीं था और न आज है कि वह इतना रुपया खर्च कर सके।

मैं निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बातचीत हुई है उसके फलस्वरूप यह बात तय हो पाई कि ४५ लाख गवर्नमेंट को देंगे आर. ए. सी. के काम के लिए और उसका आधा ४५ लाख राजस्थान गवर्नमेंट उसमें देगी। इस तरह से मिलाकर दोनों रकमों को वे आर. ए. सी. के बेटरमेंट के लिए रुपया खर्च किया जायगा। जिन कामों पर खर्च किया जायगा वह करीब करीब तय किये जा चुके हैं। जैसा कि आपने कहा कि पे स्केल बढ़ाने के बारे में था, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करने पर यह तय पाया था कि आर्म्स एण्ड एम्युनिशन्स जिस मात्रा में और जिस क्वालिटी के होने चाहिए वे आर. ए. सी. के पास, वह नहीं थी। मैकेनाइज्ड विहीकल्स जिस स्टेन्डर्ड की चाहिए और जिस तरह की चाहिए वह भी उनके पास नहीं थी। वायरलैस वगैरह की भी कुछ कमी थी।। एको-

(श्री रामकिशोर व्यास)

मोडेशन की बिल्कुल कमी थी। ये चारों बातें थीं। ये चारों बातों की मद थी। वायरलेस, आर्म्स एण्ड एम्युनिशन्स, विहीकल्स और एकोमोडेशन; यह इन चारों मदों में थे जिसको दृष्टिकोण में रखा गया था जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुपया देना मन्जूर किया गया था। उस पर फिर मैं आपको जानकारी देना मुनासिब समझता हूँ कि करीब ३ लाख के आर्म्स एण्ड एम्युनिशन्स, १० लाख के करीब की विहीकल्स और करीब ३४ लाख की एकोमोडेशन का इन्तजाम करने का उसमें है और किया गया है।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार के अधिकारियों के बीच में हुआ है, इस मामले में उसको पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। खर्च नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि खर्च किया जा रहा है और उसके लिए मैं आपसे कहूँ कि आर्म्स एण्ड एमुनिशन्स और विहीकल्स इनका इन्डेन्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेन्स मिनिस्ट्री को भेजते हैं और वे फिर हमको दे देते हैं। ये इन्डेन्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेन्स मिनिस्टरी को दे दिये गये हैं और उन्होंने देना स्वीकार भी कर लिया है। सामान आना भी शुरू हो गया। इसलिए रुपये खर्च होने वाले हैं। संदेह की बात नहीं है।

एकोमोडेशन के लिए पांचों बटेलियन्स के हैड क्वाटर्स हैं वहां बनाने का सवाल है। यह संभव नहीं है कि हर जगह जहां आर. ए. सी. की पोस्ट है वहां बनाया जाय, लेकिन जहां हैड क्वार्टर है वहां के लिए सिर्फ तय ही नहीं हुआ है गवर्नमेंट ने फैसला ही नहीं किया है बल्कि पी. डब्ल्यू. डी. को कह दिया है, काम शुरू भी हो गया है, चार-पांच लाख रुपये खर्च भी हो गये हैं। २०-२२ लाख रुपये इस वर्ष इसमें खर्च हो जायेंगे। इस तरह से ३०-३३ लाख का इस वर्ष खर्चा होगा। ३ लाख आर्म्स एंड एम्युनेशन में, १० लाख विहिकल्स में और २०-२२ लाख एकोमोडेशन में। इस तरह से कुल मिलाकर ३३ लाख रुपये इस साल आर. ए. सी. पर खर्च हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ४५ लाख रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिये हैं और ५० पर्सेन्ट के करीब अपने हैं वह खर्च किये जा रहे हैं और टाइम पर खर्च होंगे।

आर. ए. सी. की जो हालत है उसके बारे में भी बताया कि उनकी जिन्दगी मुश्किलात की है। रहने की मुश्किलात है, पानी की मुश्किलात है। इसमें दो राय नहीं है, यह सही है कि जिन्दगी में मुश्किलात हैं, दिक्कतें हैं लेकिन मजबूरी है। वहां का क्षेत्र ऐसा है, रकबा ऐसा है कि बहुत कुछ अपने चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हिस्से को छोड़ कर जहां आर. ए. सी. की पोस्ट्स हैं वे ऐसे रेगिस्तान के हिस्से में हैं जहां पानी की मुश्किल है, आबादी नहीं है, इसलिए रहने के मकान नहीं हैं क्या किया जाय सिवाय इसके कि टेन्ट्स में या छप्पर डाल कर रहें। जितने पोस्ट्स हैं उनके लिए पक्का मकान बनाना संभव नहीं है। कुछ तो कुदरती बात है इस प्रकार की उनको मुश्किलात है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं जितनी उनकी दिक्कत मिटा सकते हैं, जितनी सुविधा दे

Page No.95



( श्री रामकिशोर व्यास )

सकते हैं उतनी देने की बराबर कोशिश कर रहे है और की जा रही है।

सन् ५१-५२ में इसका छोटा सा बजट था शायद १२ लाख का होगा। आज हम ८० लाख रुपये खर्च करते हैं। खर्चा तो बढ़ाया है लेकिन साथ ही फोर्स बढ़ गई हो, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे एमिनिटीज भी बढ़ी हैं, उन में इजाफा हुआ है। इसके लिए कोशिश की जा रही है। जो एमिनिटीज दी जा सकती हैं वे वर्तमान परिस्थिति में दी जा रही हैं, आगे भी संभावना होगी, परिस्थिति इजाजत देगी तो वे जरूर दी जायेंगी। उनमें कमी नहीं की जायगी। आर. ए. सी. के सम्बन्ध में जो बातें कहनी उचित थीं वे कह दीं।

एक जनरल बात कही कि कॉन्स्टेबुलेरी को रिलीफ नहीं मिला इस अर्से में और उनको काफी दिक्कतें हैं, परेशानी है। मैं समझता हूँ वह भी आपका फरमाना दुरुस्त नहीं है। इस वजह से नहीं है कि राजस्थान बना था उस समय अलग अलग स्टेट्स में उनको क्या वेतन मिलता था उसको देख लें और आज जो वेतन उनको मिलता है उसको देख लें और दोनों में कितना अन्तर है उससे अंदाज लगा लें....

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : मंहगाई भी देख लें।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जब्त रख कर सुने। आप फरमाते हैं तो हम लोग भी सुनते हैं। हम लोगों में से कोई कहे, तो सब से सुना करें। आज जब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बोल रहे थे तब काफी बीच में उठने की आपको तकलीफ हो रही थी लेकिन दिल बड़ा रख कर सुना करें। जब वे सुन सकते हैं आप की बात घंटे भर, उस पैमाने पर सुनते हैं जैसा कि आप फरमाते हैं; तो वे तो बहुत हल्के ढंग से कहते हैं, जोर से नहीं।

तो आपने फरमाया कि कांस्टेबुलेरी की पे स्केल्स के बारे में संतोष नहीं है। मैंने अर्ज किया कि आप देख लीजिये संतोष होगा। कई बार इन्क्रीज की है। लेकिन जो आदर्श स्वरूप होना चाहिए वह नहीं हुआ। हम भी चाहते हैं कि बढ़े लेकिन बढ़ा नहीं पाये। जब पुलिस का बजट आपके सामने आता है तो हमेशा आप कहते हैं कि बहुत बड़ा बजट है। यदि आप मदद करें और इजाजत दें तो और नुक्ते नजर से और मदद फरमावें पुलिस के बजट में तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। आप हमेशा कमी की शिकायत करते हैं, इस पर और ज्यादा मांगें तो शायद क्या फरमावें। मैं पे स्केल की बात कर रहा था, उनकी पे बढ़ी है और एमिनिटीज भी बढ़ी हैं, काफी दी हैं। हम कितना ही कहें अगर आपका इरादा ही तसलीम करने का नहीं हो, तसलीम नहीं फरमावें उसका रीजन पोलिटिक्स हो या इलेक्शन हो तो मजबूरी है। बाकी ईमानदारी से रवैया करेंगे या निष्पक्षता का रवैया अपनायेंगे तो मालूम होगा कि इन ५-६ सालों में पुलिस को कितनी एमिनिटीज दी हैं, कितनी सहूलियतें दी हैं, पे स्केल्स में फर्क आया है, मेस अलाउन्स हर जगह बढ़ाया है। युनिफोर्म की बातें बढ़ाई हैं, लोन की बातें बढ़ाई हैं, उनका ट्रेवलिंग अलाउन्स ठीक किया है सब इन्सपेक्टर्स की पे स्केल्स में इन्क्रीज किया है। तो सिर्फ यह कहना कि ऊपर वालों की बढ़ा दी हैं नीचे वालों की नहीं बढ़ाई तो मेरा निवेदन है कि आप दिलचस्पी इसमें

( श्री रामकिशोर व्यास )

लेते हैं तो इस पर गौर फरमायें कॉन्स्टेबुलेरी से लेकर सब-इन्सपेक्टर तक क्या उनके इमोल्यूमेन्ट में और क्या उनकी एमिनिटीज में इजाफा हुआ है। समय हो तो डिटेल्स में बता दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : There are two to three minutes.

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल में भी जा सकता था, लेकिन आपने फरमाया कि समय बहुत कम है ; मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा।

कुछ इन्सीडेन्टल बातें कहीं, कुछ जानकारी की बातें कहीं, कुछ और कहीं। मैं आपसे कहूँ कि जब भी वे मामलात जानकारी में आये हैं, ख्वाह आपके जरिये आये हैं, ख्वाह इस सदन के जरिये आये हैं या और तरीके से आये हैं, तब सख्त से सख्त कार्यवाही की है। इतने बड़े मामले हो सकते हैं यदि इसी से निर्णय सारी पुलिस के बारे में करना चाहें, तो उचित नहीं होगा। रेप के केसेज पर, मारपीट के केसेज पर निर्णय करना चाहें तो फेयर नहीं है। पिक्चर के दो पहलू होते हैं हालांकि दोनों पहलुओं से मैं डिफेन्ड नहीं करता किसी ऑफिसर ने पब्लिक कैपेसिटी में या प्राइवेट कैपेसिटी में किया है तो काबिल सजा है उसको सजा देनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। जब भी मामला सामने आया है तब एक्शन लिया है। अभी दो केसेज जयपुर के माननीय सदस्य ने बताये एक तो अजमेर का वलोक टावरवाला और दूसरा निम्बाहेड़ा का बताया और भी बता सकते हैं, जब जब सामने आया, सख्ती से कदम लिया। मैं विस्तार से कहता कि किसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या एक्शन लिया। लेकिन अभी समय नहीं है कि पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस तरह के मामले हुए हैं उनमें शक्ति के साथ कदम उठाया है और आइन्दा ऐसे मामले आयेंगे तो सख्ती से काम लिया जायगा और सजा दी जायगी।

एक पासपोर्ट की बात कही गई, बहुत से लोग विदाउट पासपोर्ट आये हैं, इस बारे में हम भी सतर्क हैं। ज्यादा डिटेल में कहने की बात नहीं है। आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि कार्यवाही हो रही है।

एक बात यह कही कि राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत डिटीरियोरेट हो रही है। यह नयी चीज सुनने को मिली, यकायक मिली; अभी तक यह नहीं सुनते थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। कोई वक्त था जब खराब था, लेकिन अभी मैं यह नहीं मानता....

( ४.०० म० प० )

लेकिन अब तो मैं लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं मानता, हो सकता है १०० में से ६० आदमी यह मानते नहीं हों और बाकी के आदमियों में से एक आप भी हों। आपने इस बात को इमदाद देने के लिए अखबार की कटिंग पढ़ी। उसमें क्या बात थी, उसको लफ्ज-ब-लफ्ज भी सही मान लें, तो भी वह गंगानगर जिले की बात थी। उसमें जो कुछ कहा है वह गंगानगर जिले के लिए कहा है। उसको लफ्ज-ब-लफ्ज भी सही मान लिया जाय तो भी उसका जो नतीजा होगा वह होगा ही। वह एक जिले के बारे में निकलेगा। इसे आप जनरलाइज करना

( श्री राजकिशोर व्यास )

चाहे पूरे राजस्थान के बारे में, तो कहां तक सही है ? एक जिले के लिए किसी भाई ने कहा है, कुछ लिखा है, तो यह कैसे मान लें कि राजस्थान के सारे जिलों के बारे में लिखा है। वह सारे जिले के बारे में लिखता तो कोई बात होती। अब कौन से मिनिस्टर ने क्या कहा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। कम से कम मैं उसमें नहीं हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। औरों के लिए मुझे कुछ पता नहीं है।

अब चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि वे अपने दामन में मुँह डाल कर देख लें, साल डेढ़ साल की बात है। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों का क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष** : I have no time for allowing clarification.

**श्री भैरोंसिंह** : दो मिनट में....

**श्री उपाध्यक्ष** : I regret, I have no time.

**श्री भैरोंसिंह** : बहुत जरूरी क्लेरिफिकेशन्स हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : I now apply guillotine for the rest of the demands.

**श्री भैरोंसिंह** : मैं जानना चाहूँगा कि आर. ए. सी. के बारे में सरकार ने रिप्रेजेन्टेशन किया, उसमें रुपया मिला....

**श्री उपाध्यक्ष** : Well I have observed there is no time for clarification and the Hon'ble Minister will not clarify any point.

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २६– पुलिस के सम्बन्ध में संचित निधि में से ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २, ८१८ रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

मांग संख्या ७४ स्वीकार की गई।

( ४.४ म० प० )

**शेष अधिक अनुदान की मांगों पर मुख-बन्ध**

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७२ भू-राजस्व**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक २७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में संचित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,२५ ०५६ रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७२ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७३-अन्य राजस्व व्यय इत्यादि**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक १८- अन्य राज-

(श्री उपाध्यक्ष)

स्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५३,४४७ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७३ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७५-शिक्षा**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,४२६ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७५ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७६-पशु-चिकित्सा**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ४१-पशु-चिकित्सा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०२,१०२ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७७-नागरिक निर्माण कार्य।**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०६,०८,६६१ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७७ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७८—अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ५५- अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन) के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३६,५६२ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७८ स्वीकार की गई।

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ७९—निवृत्ति वेतन की संराशियों का भुगतान**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ८३ निवृत्ति वेतन (पेंशन) की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,६५३ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई।

Page No.99



( श्री उपाध्यक्ष )

**अधिक अनुदान की मांग संख्या ८०-राज्य सरकार द्वारा उधार इत्यादि**

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८० मुख्य शीर्षक ता- राज्य सरकार द्वारा उधार तथा अग्रिम के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च १६५८ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,१६,३६४ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

मांग संख्या ८० स्वीकार की गई।

( ४. ६. म० प० )

**राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६१**

(पुनःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १६६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** मैं इस बिल को पुरःस्थापित करता हूँ।

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा ) :** माननीय उपाध्यक्ष ...

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन ( संख्या ३) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा ) :** माननीय उपाध्यक्ष, आज दिन भर की बहस के अन्दर विरोधी दल की ओर से राजस्थान के पुलिस विभाग के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाये गये और राजस्थान के अन्दर फैली हुई अराजकता व लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति के विषय में सारे लोगों ने अपने भाषण दिये, उस पर अभी माननीय मन्त्रीजी ने जिस प्रकार की बात कही कि राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, पहले जैसी नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया......

**डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) :** उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जिस डिमाण्ड को डिस्कस कर लेते हैं, उस पर विनियोग विधेयक के समय चर्चा न होकर दूसरी बातों पर होती है।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** मैं भी इतना समझता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** I can allow only a passing reference but not any actual debate which has been concluded at the time.

**श्री दयाकृष्ण विजय :** Yes, Sir. मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का आरोप आज विरोधी दल के ऊपर लगाया कि भाषणों में जिस प्रकार के भी आरोप लगाये जाते हैं

( श्री दयाकृष्ण विजय )

वे केवल इलेक्शन को सामने रख कर लगाये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल विरोधी दल पर इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। आज दो-तीन रोज से जितने भी भाषण हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि जितने उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, वे उसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ वह इसे मद्दे नजर रख कर नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मैं सदन के सामने केवल एक घटना रख रहा हूँ। आज जिस प्रकार से लोन्स वगैरह का वितरण करते हैं, आज लोन्स वगैरह वितरण होता है उसका आज सरकार और कांग्रेस ज्यादातर लोगों का अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से उपयोग करती है और विरोधी दल की आलोचना की जाती है कि वह चुनाव के प्रचार का कार्य करता है। मेरा यह इस प्रकार का आरोप है, आज जितने भी लोन्स वगैरह दिये जा रहे हैं, उनके वितरण के अन्तर्गत जिस प्रकार के पक्षपात की कार्यवाही की जा रही है, उसको देखते हुए मैं साफ तरीके से कह सकता हूँ कि वह कार्यवाही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए की जा रही है और इस प्रकार के एरियाज में की जा रही है, जहां पर आप लोगों की हालत मजबूत नहीं है और जहां के विरोधी दल के लोग जीत कर आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। मुझे खुशी है कि वहां ज्यादा रकम खर्च की जा रही है जहां से विरोधी दल के लोग जीत कर आये हैं, वहां पर कार्य हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोन्स वगैरह देकर लोगों की भावनाओं को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो चुने हुए रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, उनको अलग कर दें और उनकी राय इस प्रकार के कार्यों में न लें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, हालांकि राजस्व मन्त्री जी अभी नहीं हैं, वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे एरिया के अन्दर अभी दो लाख रुपया सहरियों को बांटा जा रहा है, वहां बैलों के लिए तकावी दी गई है, जमीन वगैरह का वितरण हुआ है। मुझे खुशी है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा कि जो इस प्रकार की सहरियों की जाति है, उसमें गिरे हुए लोग हैं, उनको उठाने के लिए राशि प्रदान की गई है,

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है, दुख है कि इस प्रकार की जांच करने के लिये मन्त्रीजी यहां से गये तो इस बात की मुझे सूचना तक नहीं दी गई। जब कि आदिम जाति संघ वाले जिन्होंने इनको निमन्त्रण दिया था वे बार बार मुझे पूछते थे कि राजस्थान के राजस्व मंत्री जी आ रहे हैं, धारीवालजी आ रहे हैं और माणिक्यलालजी वर्मा आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं क्या ? मैंने उनसे कहा कि मुझे निमन्त्रण नहीं दिया है। वे बार बार कहते थे कि जल्दी ही आपके पास निमन्त्रण भेजेंगे। मैं समझता था कि निमन्त्रण आयेगा और मैं इन लोगों की कठिनाइयों को, मुसीबतों को और इनकी बातों को उनके सामने रखूंगा। पर मुझे दुख है कि विरोधी पक्ष के साथ इस प्रकार का पक्षपात का बर्ताव किया जाता है। मेरे पास १० तारीख को सूचना आती है, जब मैं पहुंच नहीं सकता था, पहुंचने के लिये समय नहीं रहा था उस समय सूचना आती है। मुझे ही नहीं जिन माननीय सदस्य की कॉन्स्टीट्यूएन्सी अन्ता भी

( श्री दयाकृष्ण विजय )

उन तक को सूचना नहीं दी गई ।

दो लाख रुपये बांटने का आश्वासन सहरियों के सामने देकर आये पर आज तक वह रकम उन्हें नहीं मिली । हमारे यहां लोन्स देने का, तकावी बांटने का सिस्टम है कि जितने लोगों को लोन दिया जायगा वह पंचायत समितियों के द्वारा दिया जायगा या एक कमेटी बनाई जायगी जिसमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होगा; पर इस दो लाख रुपये को बांटने के लिये जिस प्रकार की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में वहां के प्रतिनिधियों तक को नहीं लिया गया । शाहबाद और किशनगंज दो तहसीलें वहां की हैं वहां के तहसीलदारों को कन्वीनर न बनाकर दूर की तहसील के तहसीलदार को कन्वीनर बनाया गया । उस कमेटी में वहां के एम. एल. ए. को नहीं रखा, वहां के कांग्रेस के माननीय सदस्य प्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं रखा गया, क्योंकि उनको रखते तो मुझे भी रखना पड़ता । आदिम जाति संघ के और खादी संघ के उसमें प्रतिनिधि रह सकते हैं, पर वहां से चुने हुए एम. एल. ए. नहीं रखे जाते हैं और जहां २ लाख रुपयों को बांटने का सवाल है वहां नहीं रखे जाते हैं । तो यह मेरा खुला आरोप है, आप कहते हैं कि यहां जितने भाषण दिये जाते हैं वे केवल चुनावों के लिए दिये जाते हैं । पर मेरा खुला आरोप है कि आज जितने भी कार्य सरकार की तरफ से, मन्त्रियों की तरफ से किये जाते हैं वे सब कांग्रेस के प्रचार के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किये जाते हैं । मुझे खेद है कि राजस्व मंत्री इस बात को सुनने के लिए यहां सदन में नहीं हैं । मैं समझता हूं कि जो मन्त्री महोदय यहां हैं वे उन तक यह बात पहुंचायेंगे । उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई भी आपत्ति आयेगी उसको मैं सुनूंगा और दुरुस्त करूंगा । मैं उनके काम के बारे में आपत्ति उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जो मंत्री महोदय यहां हैं वे उन तक इस बात को पहुंचाने का कष्ट करें । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का कार्य किया है जो रकम आप बांटने जा रहे हैं, उसका सहरियों को पता नहीं चल जाये, इसलिये आपने ब्रह्मदत्तजी को वहां बैठाया है । किसी एम. एल. ए. के द्वारा न कराकर उनके द्वारा करवा रहे हैं; यह सारा काम बताता है कि पक्षपात किया जा रहा है और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए एक पार्टी के प्रचार के लिए किया जा रहा है । इसी प्रकार जितने भी काम सरकार की ओर से किये जा रहे हैं जिस प्रकार के जितने डेवलपमेंट वर्क्स, तकावी लोन्स आदि सब काम इसी दृष्टिकोण को निगाह में रखकर किये जा रहे हैं । आज इन सहरियों की कोलोनीज की क्या हालत है, कैसे कहा जा सकता है कि इस रकम के बांटने में पक्षपात नहीं किया जायेगा, जबकि वहां के प्रतिनिधियों को उस कमेटी में नहीं लिया गया, वहां के विरोधी दल के एम. एल. ए. को उसमें नहीं लिया गया, वहां के तहसीलदारों को नहीं रखा जाता जैसे वे समझते हों कि सारे के सारे तहसीलदार इनसे प्रभावित हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी कार्यवाहियां इसलिए की जाती हैं कि केवल एक पार्टी का प्रभाव उन लोगों पर हो, दूसरी पार्टियों का उन लोगों पर किसी प्रकार का प्रभाव न होकर केवल कांग्रेस का प्रभाव उन पर हो । विकास के कार्यों में जो हालत है,

Page No.102



( श्री दयाकृष्ण विजय )

जितनी कोलोनीज सहरियों को बसाने के लिए बसाई जा रही हैं, सहरिया को बसनेा के लिए जो लोन्स, एडवान्सेज दिये जा रहे हैं, उस सारी रकम का दुरुपयोग किया जाता है। जनसंघ के नेता ने कहा था कि रचनात्मक कार्य करने वाले राजनैतिक कार्यकर्ताओं से ज्यादा पापी हैं, तो ऐसे ऐसे रचनात्मक कार्य करने वालों को वहां ले जाकर रखा है और उनसे इस प्रकार की रकम बँटवाई जाती है। इस प्रकार का आरोप लगाया गया कि विरोधी दल के सदस्य इस प्रकार के भाषण चुनावों के लिए करते हैं, पर मैं कहता हूं कि वहां पर जितनी कमेटियां बनी हैं, एक पार्टी को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के प्रचार को दृष्टिकोण में रखकर बनाई गई हैं और इस प्रकार के लोगों को वहां ले जाकर बैठाया है। इस प्रकार का डिस्ट्रिब्यूशन समाज के हित में कभी नहीं कहा जा सकता, एक पार्टी के हित में ही कहा जा सकेगा। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में पक्षपात की बू आती है।

दूसरा और प्रश्न है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह जनरल एडमिनेस्ट्रेशन के दायरे में आयेगा। पुलिस में जो लोग रह चुके होते हैं वे आर. ए. एस. में आ जाते हैं। पुलिस में रहने वालों की प्रकृति ऐसी हो जाती है कि उनका रवैया और ही तरह का रहता है। जब वे आर. ए. एस. में जाते हैं तो उनको विकास कार्यों में डेप्यूट कर दिया जाता है। अन्ता के अन्दर एक विकास अधिकारी ऐसे हैं, उनका हाल यह है कि वे अपनी टेबल पर हर समय भरा हुआ पिश्तौल रखते हैं। इसका कारण यह है कि अभी अभी गबन किये गये हैं, उनके द्वारा जितने पर्चेजेज किये गये हैं उनमें अनियमितताएं की गई हैं, उन सबका भंडाफोड़ पंचायत समिति ने कर दिया है। पंचायत समिति और जिला प्रधान ने भंडाफोड़ किया है। वे कांग्रेस के प्रधान हैं जिन्होंने भण्डाफोड़ किया है, उन्होंने पंचों और सरपंच के सहयोग से जितने टेन्डर इन्वाइट किये हुए थे उन सब टेन्डर्स को सील किया। इसका कारण यह था कि सभी टेन्डर्स फोर्ज्ड थे, इसलिए उनको सील कर दिया गया। पंचायत समिति की इमीजियेट मीटिंग बुलाई गई। जब विकास अधिकार को मालूम पड़ा तो उन्होंने जितने सील किये हुऐ फोर्ज्ड टेन्डर्स थे उनको सील तोड़ कर निकाल लिया। करीब २० हजार का पर्चेजिंग किया उनमें सब टेन्डर्स फोर्ज्ड हैं। जिनसे जो चीजें पर्चेज की हैं वे शोप्स उन चीजों में डील नहीं करतीं। जिस चीज की कीमत चार आना है उसकी कीमत १ रुपया लगाई गई, जो गैस ७५ रुपये का है उसको २६३ रुपये में खरीदा है। उन सारी चीजों के आंकड़े उठा कर देखे जायें तो पता चलेगा कि उस पंचायत समिति में १०,०००) रुपयों का गोलमाल है। वहां के पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य किसी प्रकार की आपत्ति करते हैं तो वह विकास अधिकारी जो पुलिस से आया हुआ है भरे हुए पिश्तौल से उनको डराता है। जिस क्लर्क के लिए कहा गया कि इसने इस सब गोलमाल की सूचना दी उस क्लर्क का अन्ता से ट्रान्सफर कर दिया और जो वहां पर चपरासी हैं उनको धूप में खड़ा रखा जाता है, जिससे उनके पैर सूज जाते हैं। चपरासी ने मुझे दिखाया उसके पैर सूजे हुए थे। कलेक्टर साहब को ले जाकर उसे दिखाया गया। कलेक्टर साहब ने कहा कि उनको वार्निंग देंगे। वार्निंग दी या नहीं, पर हां के चपरासी

( श्री दयाकृष्ण विजय )

आज भी परेशान हैं।

तो मैं यह चाहूंगा कि जहां विकास कार्यों के लिये अधिकारी भेजे जायें तो ऐसी प्रकृति के भेजे जाने चाहिए जो ईमानदारी से काम करते हों और पुलिस में रहे हुए लोगों को विकास अधिकारी बना कर नहीं भेजा जाय, ताकि वे भरा हुआ पिस्तौल लेकर लोगों को न डरा पायें।

अब मैं शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे जिले के शिक्षा का इन्सपेक्टर है। उनका जुलाई का इन्सटेन्स है। उनकी २४ घन्टे यही आवाज सुनने को मिलती है कि मैं धारीवालजी का दोस्त हूँ, हम साथ-साथ पढ़े हैं, मेरा कोई यहां से ट्रान्सफर करने वाला नहीं और न मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आप देखेंगे कि जब ट्रान्सफर की लिस्ट निकल जाती है और वे लोग अपने स्थानों से चलकर दूसरे स्थानों पर वहां से मास्टर चार्ज लेने के स्थान पर पहुँच जाते हैं, ७ जुलाई को आपको मालूम होगा कि पीपलदा और करणसर पहुँचकर घोड़ों पर और दूसरे तरीकों से वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं तो वहां उनको एक दूसरा ऑर्डर मिलता है कि तुम्हारी ट्रान्सफर कैंसल कर दी गई। यह उनकी ही एक बात नहीं बल्कि सारी की सारी लिस्ट को ही कैन्सल कर दिया जाता है। एक मास्टर जो थोड़ी तनख्वाह पाता है वह अपनी सारी फेमिली को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां उसका स्थानान्तरण हो जाता है तो उसको कितनी परेशानी होती है। मैं यह नहीं कहता कि ट्रान्सफर क्यों कैन्सल की गई और ट्रान्सफर नहीं होनी चाहिए मगर जब किसी की सिफारिश आती है तो उसकी सिफारिश पर उसकी ट्रान्सफर रोक दी जाती है। मैं आपको एक बड़ी इन्ट्रेस्ट की बात बताऊँ, वह आप खुद स्वीकार करेंगे। जब आप ट्रान्सफर पर आये तो एक सरदारजी को साथ लेकर आये।

**श्री उपाध्यक्ष** : 'सरदारजी' के माने सिक्ख।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह ( दूदू )** : वैसे सरदारजी से मतलब उनका ही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : दूसरे सरदारजी भी हो सकते हैं।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : दूसरे नहीं, सिक्ख ही हैं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : उन्होंने आते ही उसको अपना पी. ए. बनाया। अब जिस किसी को अपनी ट्रान्सफर करवानी हो तो सरदारजी के पास जाए और किसी की ट्रान्सफर हो गई हो और रुकवाना चाहे तो सरदारजी के पास जाए। इन्सपेक्टर के पास बाद में....

**श्री उपाध्यक्ष** : But how would the Hon'ble Finance Minister clarify the friendship of Sardarji with Mr. Dhariwal ? This will be a very difficult problem.

**श्री दयाकृष्ण विजय** : खैर मैं नई बात नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि दूसरे भी लोग हैं जो उनके सारे कारनामों और कार्यवाइयों से परेशान हैं। अगर कोई ट्रान्सफर करने के लिए आगे बढ़ता है तो वे कहते हैं कि मैं यहां से जानेवाला नहीं

# Page No.104



( श्री दयाकृष्ण विजय )

हूँ, जब तक श्री भार्गवाल्जी मिनिस्टर बने हुए हैं तब तक मेरा ट्रांसफर यहां से नहीं हो सकता। आज मिनिस्टर लोग ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को शेल्टर करते रहते हैं तो आप ही बतावें कि छोटे कर्मचारियों का क्या हाल होगा।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : यह केस एन्टीकरप्शन को दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह हलके दर्जे का होता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं यह कहता हूँ कि सरकार का जो रुपया खर्च हो उसका सदुपयोग होना चाहिये। जब तक हम इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तब तक इस प्रकार की ग्रान्ट को पास करते जाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह जनता की गहरी पसीने की कमाई से कमाया हुआ पैसा यों ही चला जाता है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

अतः मैं ज्यादा न कह कर इनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

( श्री भैरोंसिंह एवं श्री मुरलीधर व्यास बोलने के लिये खड़े हुए )

**श्री उपाध्यक्ष** : I think, it will be advisable that Mr. Murlidhar vyas should be given a chance.

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें खास करके पशु-पालन विभाग में जो कुछ दो लाख का खर्चा अधिक लगा है इसमें यह कहा गया है कि कुछ बकाया देना था और इसके साथ ही साथ कैटल ब्रीडिंग फार्म में आवश्यकता से ज्यादा खर्चा लग गया इसलिये उसको चुकाना है, यह बात भी इसमें कही गई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इस विभाग के अन्तर्गत कई गड़बड़ियां सन् ५७-५८ में हुई और मैंने उसी समय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि इसमें किस किस प्रकार की गड़बड़ी, गबन और घोटाले हुए हैं उस सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसा उत्तर भी दिया था जिसमें कहा गया था कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और सारी बातें जो कही गई हैं वे सब तथ्यहीन हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी एक प्रश्न के उत्तर में आज से चार दिन पहले जिसका उत्तर दिया गया था उसमें करीब ०७ मामले थे उसमें बस्सी फार्म और दूसरे कई ऑफिसरों के मामले हैं जिनको गवर्नमेंट ने चार्जशीट दी है। उनके खिलाफ गबन का मेरा आरोप था। मैं मार्टन, सुप्रिन्टेन्डेन्ट.....

**श्री उपाध्यक्ष** : Can I invite your attention that these minor details come within the scope of the debate ? The Hon'ble Ministers will not be in a position to reply so far as minor details of personal allegations are concerned.

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह उससे सम्बन्धित है इसलिये मैं यह कह रहा हूँ। मैंने उस समय यह मामला सदन में रखा ही था कि किस प्रकार बस्सी केटल फार्म में घास पड़ा है उसको किस प्रकार से ट्रक्स में ले जाया जा रहा है।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : उक

# Page No.105



( डॉ० बहादुरसिंह )

तत्कालीन मन्त्री ने उसी समय उत्तर भी दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow the same issue being raised now. Once a question has cropped up, it must not be repeated even if it has been replied rightly or wrongly.

**श्री मुरलीधर व्यास :** उसका उत्तर जैसा माननीय सदस्य कहते हैं नहीं दिया गया। मैंने उस समय कहा था, मगर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह मामला अब ६०-६१ में सामने आया है। उत्तर तो यह दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस सम्बन्ध में कार्यवाही अब हो रही है। बस्सी फार्म में ज्यादा खर्चा हो गया इसके लिये चाहते हैं। यह जो गबन हुआ इसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी की गई तब पता चला है कि गड़बड़ी हुई है। उस समय तत्सम्बन्धी मन्त्री ने गलत जवाब दिया था।

**डॉ० बहादुरसिंह :** आप उनके खिलाफ....

**श्री मुरलीधर व्यास :** मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके तत्सम्बन्धी मंत्री ने इसको छुपाने की कोशिश की। अब यह मालूम हुआ है कि १७ ऑफिसरों को चार्ज-शीट देनी पड़ी। जिस समय सन् ५८ में यह मामला हुआ उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है उसमें सबके नाम हैं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि यह गड़बड़ी किसके कारण हुई। मगर यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की डिमान्ड है जिसमें गड़बड़ी हुई है। आप यह नहीं कह सकते कि खर्च ज्यादा हुआ है। इस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। जिस समय गड़बड़ी हुई उस समय चीफ मिनिस्टर ने बस्सी फार्म में आदमी भेजा। पुलिस भी गई थी, उसकी रिपोर्ट थी कि वाकई में ऐसी रिपोर्ट थी उसके बाद में एन्टीकरप्शन में मामला दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, यह बाद की बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया इसलिये दिया जावे। यह ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, इसमें गबन और घोटाले हुए हैं। इसको स्पष्ट रूप से रखा जाता तो ठीक था। अगर आप ऐसा करते तो मैं इसका समर्थन करता, पर यह इस प्रकार की मांग है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में ध्यान देंगे और पशुपालन की डिमान्ड है उसके बारे में मैंने जो प्रश्न किया था कि किस प्रकार का मामला कैसे कैसे है, उसके बारे में माननीय मन्त्री स्पष्टीकरण करेंगे। पहले भी मैंने इस तरफ आपका ध्यान दिलाया था और अभी भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब ये १७ मामले ऐसे हैं जिस कारण से खर्चा बढ़ा है, इसकी हमको ठीक तरह से व्यवस्था करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से कह सकता हूँ कि यह जो दो लाख की मांग है वाकई में खर्चे की कमी से हुई या गड़बड़ी की वजह से हुई है, इसलिये इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास ( राजस्व-मन्त्री ) :** Should I take a minute to explain the position about the loans to be given?

उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को पेश किया है कि सहरियों को तकावी और उसके वितरण में सरकार ने पक्षपात बरता है। मैं

( श्री दामोदरलाल व्यास )

यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सहरियों की बैक वर्ड क्लास कोटा डिविजन में है। मेरे खयाल से जो उनकी हालत को जानते हैं वे कह सकते हैं कि भीलों से और पिछड़ी हुई जातियों से उनकी इज्जत बदतर है। वे इकोनोमिकली इतने दबे हुए हैं कि उनके पास न तो मकान हैं, न खाने को है और न ही निर्वाह करने के लिए जमीन है। हाली प्रथा, सागरी प्रथा का जो बिल पास किया था, उसके वे पूरे शिकार हैं। आदिम जाति सेवा संघ ने उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कान्फ्रेन्स बुलायी सदन के माननीय सदस्य जो भी श्री माणिक्यलाल वर्मा से परिचित है वे जानते होंगे कि वे अपना सारा समय देते हैं। उन्होंने इन सहरियों की इकोनोमिक हालत को ठीक करने के लिए, उनको जमीनों पर बसाया जाय, उनको रोजगार मिले इसलिए यह कान्फ्रेन्स बुलायी। मैं था, इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब थे, फोरेस्ट मिनिस्टर साहब भी थे। उस कान्फ्रेन्स में कुछ निर्णय लिए गए। जमीन की हालत यह थी कि कुछ लोगों के कब्जे में थी, कुछ फोरेस्ट डिपार्टमेंट में थी और जब तक उसके लिए प्रयत्न न किया जाय वह तब तक नहीं मिल सकती। इसके लिए किसी तीसरे तहसीलदार को अपोइन्ट किया गया, यह कहा गया जो सही नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि खास तौर पर एक तहसीलदार की इस कार्य के लिए नियुक्ति की ताकि वह उन लोगों को लोन वितरण करे, तकावी वितरण करे, उनके लिए बैल खरीदवाये और उनको जमीनों पर बसा कर आबाद करे। इसलिए दो लाख रुपया तकावी के लिए लिया ताकि सहरियों के लिये बीज खरीदा जाय, जमीन मिले और उनका अलॉटमेन्ट हो। कुछ आदिम-जाति सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से उनमें काम करते आये हैं। जरूरतमन्द सहरियों को ही तकावी मिले इसके लिए एक समिति का निर्माण किया है। ऑर्डिनरी तकावी नहीं थी। पार्टिकुलर पर्पज के लिए थी। उसमें कोई कांग्रेस वाला शामिल नहीं है, बैक वर्ड क्लासेज में काम करने वाले ही कार्यकर्ता लोग हैं वे वर्षों से सोशियल वर्क करते हैं। यह कहा जाय इसके लिए कि गलत तरीके से कमेटी का निर्माण किया गया, यह बिलकुल गलत है। बल्कि इसलिए कि सहरियों का रिहेबिलिटेशन हो जाय और उनको जमीन मिल जाय इसी गरज से कॉन्फ्रेन्स हुई थी और स्पेशयली एक तहसीलदार को इस काम के लिए ड्यूटी पर लगा दिया जिससे वह उनको तकावी दिलाये, जमीनों पर कब्जा करने के लिये और खेती कराने के लिये जितने साधन हैं आसानी से उनको उपलब्ध हो सके इसलिए किया था। सदन की जानकारी के लिये कि वस्तु स्थिति क्या थी, वह मैंने यहाँ निवेदन कर दिया है जिससे सदन का भ्रम निवारण हो जाय।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह नगरपालिका के एरिया में है या पंचायतों के एरिया में ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। आसन ग्रहण करिये।

**श्री हीराभाई** : पंचायत के एरिया में या नगरपालिका के एरिया में है यह जानना चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : You are not audible

( श्री उपाध्यक्ष )

to me even.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** उपाध्यक्ष महोदय, अन्ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं और बातों के साथ साथ विकास अधिकारी जो अभी पुलिस से ट्रान्सफर होकर आया है उसके सिलसिले में किया था। मैं जानकारी के लिए हाउस में निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले शिकायत डिपार्टमेंट के पास आई है, उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी हो रही है और रिपोर्ट आने तक मैं नहीं कह सकता कि दर असल क्या स्थिति थी। इसी तरह से शिक्षा के लिये कहा···

(सदन में आवाज नहीं सुनाई देने पर)

**श्री उपाध्यक्ष :** आपकी आवाज मुझ तक भी नहीं आ रही है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** विकास अधिकारी के बारे में कहा वह भी क्या नहीं सुना गया ? मैं वापिस कह देता हूँ। अन्ता से आने वाले माननीय सदस्य ने विकास अधिकारी, जो पुलिस से ट्रान्सफर होकर आया है, उसके बारे में शिकायत की और यह बताना चाहा कि इस प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट वालों को विकास में नहीं भेजना चाहिये। मैं बताना चाहूँगा कि पांच सात दिन पहले ही शिकायत मेरे पास आई है। मैं उसमें इन्क्वायरी करवा रहा हूं और साबित हुई तो उसके खिलाफ जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जावेगी। एक बात जरूर कही कि साथी है वह कांग्रेसी है। एक ओर तो यह बताना चाहा कि तकावी या सहायता देने के लिए कांग्रेस पक्षपात करती है और यह अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए करती है। तो फिर यह कांग्रेसी विकास अधिकारी की गड़बड़ करने की शिकायत में शामिल क्यों होता ? उन्होंने जो ये आक्षेप किये हैं तो इस प्रकार आक्षेप कर देने से सरकार को मदद नहीं मिलती है। विकास अधिकारी की बात कही-मदद उससे मिलती है। शिक्षा अधिकारी की मिसाल दी। अगर इस प्रकार से मिसाल दी जाये, डिपार्टमेन्ट और मन्त्रियों के पास भेजी जाये तो मैं जानता हूँ कि उस पर जरूर कार्यवाही की जाती है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एनीमल हसबेन्डरी के लिए जानकारी चाही थी कि वेटेरिनरी के मद में ज्यादा खर्च नहीं हुआ। किन किन में खर्च हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेटेरिनरी के हैड में ज्यादा खर्च हुआ और ज्यादा के लिए यह मंजूरी ली गई है। मद सुना देता हूँ। एक तो है ७६३' शीप ब्रीडिंग एन्ड रिसर्च स्टेशन पर चोकला। इसी तरह ३,०४५ पे ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए व ८५, ४७२ खर्च हुए पे ऑफ ऑफिस, होस्पिटल और डिस्पेन्सिरीज की मद में। इसके बाद ४३ ३२२ रुपया अलाउन्सेज एन्ड ऑनरेरिया। १८,६६४) अदर चार्जेज में। ७८ की मामूली रकम है पे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में और १,०६,०६० अदर चार्जेज में। केटल ब्रीडिंग फार्म के लिए और केटल फेयर्स के लिए १८,०४४ रुपया। १,०५६ गोशाला और गौ सदन के लिए ४,७१८) रिहेबिलिटेशन ऑफ नोमेडिक ब्रीडर्स, २००८ विलेज स्कीम्स। १३,१५८ गोशाला डेवलपमेन्ट स्कीम के लिए २४, ४४३ वेटेरिनरी, शीप और वूलडेवलपमेंट स्कीम्स के लिए ४२,०४२ वूल ग्रेडिंग एन्ड मार्केटिंग सेक्शन। ४,७०१ ग्रेडिंग स्कीम। इन तरह से मुख्तलिफ रकमें हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): जिस फार्म में ५० हजार रुपया का धन गबन हो जाय तो वह कहां से आया ? यह ५० हजार रुपया कहां से लेना पड़ा होगा ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ये तो ५७-५८ के मामले हैं। उनका ऑडिट हो चुका है। ५७-५८ को बात है, गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है तो जांच भी हुई होगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपसे मिल लें, पता लगा लें।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** अब तो यह पोस्टमॉर्टम जैसा ही है....

**श्री उपाध्यक्ष :** वह भी सड़ी हुई लाश का....

**श्री मुरलीधर व्यास :** ६१ में जो मामले चल रहे थे उनमें जो पचास हजार रुपये का लोस हुआ उसका एडजस्टमेन्ट तो किया होगा ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** इस समय तो मेरे पास इस सबकी जानकारी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो एक्सेस डिमांड्स मांगी जा रही हैं सब रुपया खर्च हो चुका है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इतने दिन क्यों निकल गये ? लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं कि दूसरी स्टेट्स के अन्दर तो आठ-दस साल तक कार्यवाही नहीं होती है लेकिन हमने जैसे ही ऑडिट हुआ, एक्सेस खर्च हो गया, पी० ए० सी० में मामला गया, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश के आते ही हमने नेक्स्ट सैशन में उसको उपस्थित कर दिया। यदि इस एक्सेस का अनुपात लिया जाय तो १ करोड़ ८३ लाख का जो एक्सेस बताया गया है उसमें १ करोड़ ६० लाख तो केवल एडजस्टमेन्ट है। २३ लाख रुपये की रकम ऐसी है जो दरअसल एक्सेस है। इस तरह से यह कुल रकम का हाफ पर्सेन्ट है। इतनी बड़ी रकम नहीं जिसके लिए हमें कोई ज्यादा विचार करना पड़े। इन विचारों को सदन के समक्ष रखने के बाद मैं सदन से आशा करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जायेगा। रुपया तो खर्च हो चुका। अब तो केवल आपकी मन्जूरी की मोहर लगनी बाकी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (संख्या ३) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (संख्या ३) बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(तदनन्तर म. प. ४. ४२ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक २० सितम्बर, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

## संक्षिप्त-विवरण

| तारांकित प्रश्नों के शीर्षक | स्तम्भ |
|---|---|
| पंचायत समितियों के अधीन अध्यापक । | १४३८ |
| पटवारी के विरुद्ध शिकायतें । | |
| बीकानेर डिवीजन में निर्माण कार्य । | |
| हैड मास्टर द्वारा छात्र अध्यापकों के वेतन में से कटौती । | |
| डिप्टी कलेक्टर, जागीर, जोधपुर के दौरों में बोन्ड्स का वितरण । | |
| महाराजा संस्कृत कॉलेज में श्री रामनारायण चतुर्वेदी की नियुक्ति । | |
| जिलाधीश के समक्ष हुई अपीलों में सरकारी वकील की नियुक्ति । | |
| श्री मंडन मिश्र के विरुद्ध शिकायतें । | |
| हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे की रकम । | |
| बीकानेर में बिजली के बिल । | |
| सिन्धी भाषा के स्कूलों में अध्यापक । | |
| देवस्थान की जागीरों के कर्मचारी । | |
| अध्यापकों की कमी—नीम का थाना । | |
| भाखरा एरिया में आबादी भूमि के पट्टे व लज़ी । | |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| नापासर कस्बे में पानी की असुविधा । | |
| ठेकेदार श्री बी. एस. याखड़ के प्रार्थना-पत्र । | |
| नालों पर पुलिया । | |
| रतनगढ़—ताल छापर सड़क । | |
| लूणकरणसर में नमक उद्योग । | |
| सड़कों के लिये भूमि की अवाप्ति । | |
| चूरू जिले के जागीरदारों को जागीर खालसे का मुआवजा । | |
| खैरली से नदबई सड़क का निर्माण कार्य । | |
| बांसवाड़ा जिले में भूमि वितरण का कार्य । | |
| पानी की दरें । | |
| नगरों में बसने वाले किसानों को तकावी तथा अन्य सहायता । | |
| पुजारियों का बकाया वेतन (तहसील आमेर) | |
| कस्बा दौसा में बिजली । | |
| भाखरा क्षेत्र में जागीरदारों तथा अन्य भूमिहीन काश्तकारों को भूमि देने में भेदभाव । | |

**विधायी कार्य-पुरःस्थापित किये गए विधेयक** १४६३

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्; पुरःस्थापित किये गए :--

(१) राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)।

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६१।

(अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की की मेज पर रखा गया)

(३) राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १६६१

**विचारार्थ लिया गया विधेयक**

**राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१**

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)

(२) श्री जनार्दनराय नागर

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री पी. के. चौधरी

(५) श्री अर्जुनदास

(६) श्री ज्वालाप्रसाद

सरकार की ओर से राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

**अधिक अनुदानों की मांगों, १६५७-५८, पर मत-दान**

**मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस**

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर ५ कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव किये गये। वाद-विवाद के पश्चात् उपरोक्त मांग स्वीकार की गई।

निम्नांकित मांगों पर मुखबन्ध का प्रयोग किया जाकर उन्हें सदन द्वारा स्वीकार किया गया :--

| क्रम संख्या | मांग संख्या | मुख्य शीर्षक |
|---|---|---|
| १ | ७२ | ७—भू-राजस्व। |
| २ | ७३ | १८ अन्य राजस्व व्यय जिनके |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | | लिये साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है |
| ३ | ७५ | ३७–शिक्षा |
| ४ | ७६ | ४१-पशु-चिकित्सा |
| ५ | ७७ | ५०--नागरिक निर्माण कार्य |
| ६ | ७८ | ५५--अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन) |
| ७ | ७६ | ८३--निवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशियों का भुगतान |
| ८ | ८० | ता--राज्य सरकारों द्वारा उधार तथा अग्रिम । |

### विधायी कार्य

### राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६१

उपरोक्त विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ४२ मिनट पर बुधवार, दिनांक २० सितम्बर, १६६१ को म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

### बुधवार, दिनांक २० सितम्बर, १६६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६६१ (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के संकल्प पर और विधेयक पर विचार-विमर्श एवं विधेयक पारित)

———

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये )

| S. No. | Name of teacher | amount | Days of leave | Kind of leave |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Thakurmal | 5.65 NP | 14 days (12th Aug. to 25th Aug., 1959 | Half pay leave. |
| 2. | Shri Sohan Lal | 4.86 NP | 12 days (2nd Jan. to 13th Jan., 60 | ,, |
| 3. | Shri Bhupendra Singh | 4.44 NP | 11 days (15 Jan to 23 Jan, 60) | ,, |
| 4. | Shri Bainket Lal | 3.86 NP | 12 days (11 Jan to 23 Jan, 60) | ,, |
| 5. | Shri Ramnarain Das | 8.06 NP | 20 days (2 Jan to 21 Jan, 60) | ,, |
| 6. | Shri Prabhudayal Sharma | 5.17 NP | 12 days (8 Feb to 19 Feb, 60) | ,, |
| 7. | Shri Hukamchand | 3.24 NP | 8 days (18 Jan to 25 Jan, 60) | ,, |
| 8. | Shri Mohd. Sadik | 14.04 NP | 30 days (1st Oct to 22 Oct, 59 & 11 Feb to 18 Feb, 60) (19 & 20 Feb) | without stipend |
| 9. | Shri Hem Raj Sw[illegible] | 6.86 NP | 17 days (12 Oct to 18 Oct, 59) | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Shri Jaichand Lal | 3.21 NP | 8 days (2 June to 9 June, 60) | " |
| 11. | Shri Bhanwar Lal | 4.75 NP | 11 days (1 Feb. to 11 Feb, 60) | " |
| 12. | Shri Hari Prakash | 11.69 NP | 29 days (21 Dec to 18 Jan, 60) | " |
| 13. | Shri Rajesh Chandra Tyagi | 3.83 NP | 9 days (4 Feb to 12 Feb, 60) | " |
| 14. | Shri Shiv Chand | 2.16 NP | 5 days (1 Feb to 5 Feb, 60) | " |
| 15. | Shri Mahabeer Pd. | 5.25 NP | 13 days (18 Jan to 30th Jan, ) | " |
| 16. | Shri Ramlal | 6.86 NP | 17 days (4 Jan to 20 Jan, 60) | " |
| 17. | Shri Bajrang Lal | 3.22 NP | 8 days (2 Jan to 9 Jan, 60) | " |
| 18. | Shri Ved Prakash | 4.03 NP | 10 days (11 Jan to 20 Jan, 60) | " |
| 19. | Shri Shiv Pd. Garg | 4.86 NP | 12 days (15 Feb to 26 Feb, 60) | " |
| 20. | Shri Narendra Singh | 8.06 NP | 20 days (4 Jan to 23 Jan, 60) | " |
| 21. | Shri Virbal Singh | 16.98 NP | 30 days (6 Jan to 4th Feb, 60) | " |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Shri Jagan Nath Gupta | 6.47 NP | 15 days (15th Feb to 29 Feb, 60) | ,, |
| 23. | Shri Ratan Chand | 4.03 NP | 10 days (19th Oct to 28th Oct, 59) | ,, |
| 24. | Shri Darshan Lal | 6.05 NP | 15 days (6 Jan to 20 Jan, 60) | ,, |
| 25. | Shri Hema Ram | 6.85 NP | 17 days (1 F b to 17 Feb, 60) | ,, |
| 26. | Shri Vashudeo Sharma | 5.25 NP | 13 days (11 Feb to 23 Feb, 60) | ,, |
| 27. | Shri Satnamrai | 5.25 NP | 13 days (18 Jan to 30 Jan, 60) | ,, |
| 28. | Shri Ratan Chand | 5.25 NP | 13 days (15 Feb to 27 Feb, 60) | ,, |
| 29. | Shri Bhanwar Lal Sharma | 5.25 NP | 13 days (18 Jan to 30 Jan, 60) | ,, |
| 30. | Shri Dilsad Mohd. | 8.62 NP | 21 days (3 Aug to 12 Aug, 59) | ,, |
| 31. | Shri Manik Chand | 5.25 NP | 13 days (19 Aug to 31 Aug, 59) | ,, |
| 32. | Shri Sita Singh | 4.44 NP | 11 days (6 Jan to 16 Jan, 60) | ,, |
| 33. | Shri Veerbal Ram | 6.05 NP | 15 days (2 Jan to 16 Jan, 60) | ,, |

To

The Headmaster,
Government Basic S. T. C. Training School,
Gangashahar ( Bikaner ).

Sir,

Kindly grant me.______________________________
days leave ( Casual leave/Sick leave ) as______________________________
with effect from ______________________________

Signature of Pupil teacher
Roll No.______________

Remarks by the class teacher______________________________
He is entitled______________ days______________ leave______
Not entitled/

Signature ______________

Remarks by the Hostel Warden

Signature ______________

______________________________Granted/Not granted.

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०७ का उत्तर देखिये )

Water rates prevalent at different places in Rajasthan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaipur | Rs. 1.0 % | gallons |
| 2. | Ramgarh | Rs. 1.0 % | ,, |
| 3. | Dausa | Re. 1.0 % | ,, |
| 4. | Alwar | Rs. 1.62% | ,, |
| 5. | Jodhpur | Rs. 1.0 % | ,, |
| 6. | Deedwana | Rs. 2.25% | ,, |
| 7. | Udaipur | Rs. 1.25% | ,, |
| 8. | Dungarpur | Rs. 1.25% | ,, |
| 9. | Bikaner | Rs. 1.5 % | ,, |
| 10. | Kota | Rs. 1.0 % | ,, |
| 11. | Bharatpur | Rs. 1.62% | ,, |
| 12. | Tonk | Rs. 1.62% | ,, |
| 13. | Kishangarh Renwal | Rs. 1.5 % | ,, |
| 14. | Bundi | Rs. 1.5 % | ,, |
| 15. | Jhalawar | Rs. 1.5 % | ,, |
| 16. | Jhalrapatan | Rs. 1.5 % | ,, |
| 17. | Bhilwara | Rs. 1.5 % | ,, |
| 18. | Kishangarh | Rs. 1.5 % | ,, |
| 19. | Gangangar | Rs. 2.25% | ,, |
| 20. | Deoli | Rs. 2.00% | ,, |
| 21. | Nathdwara | Flat rate @ Rs. 5/- p.m. for first tap. @ Rs. 3/- p.m. for second tap. | |

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिये )

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF THE TOUR UNDERTAKEN AND WORK DONE BY DEPUTY COLLECTOR. JAGIR. JODHPUR

| S No | Name of tehsil | Tourtaken From. | To | Days. | T. A & D. A. of D. C. (Jagir) | Officials on tour with D C (Jagir) No. | T,A & D.A. | Total amount | No. of Bonds with-drawn | No. of bonds distributed | Amount of Bonds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shergarh | 20 11 60 | 29.11.60 | 8 | 40 00 | 10 | 281.40 | 321.40 | 1696 | 346 | 81,650.00 |
| | -do | 19 4.61 | 25-4-61 | 5 | 25.00 | 5 | 171.95 | 196.95 | 1247 | 625 | 52,500.00 |
| 2. | Phalodi | 11.2.61 | 20 2-61 | 10 | 50.00 | 7 | 269.60 | 319.60 | 517 | 222 | 47,250.00 |
| 3. | Bilara | 23 2-61 | 28-2-61 | 6 | 30.00 | 4 | 59 47 | 89.47 | 406 | 120 | 29,550.00 |
| | | | | | 145 00 | | 782.42 | 927 42 | 38-66 | 1313 | 210950-00 |

## शुद्धि-पत्र

( १६ सितम्बर, १६६१ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १४४५ | १४ | कृपाया | कृपया |
| १४४७ | शीर्षक | प्रश्नोत्तर | प्रश्नोत्तर |
| १४४८ | शीर्ष | श्री ( भैरोंसिंह ) | (श्री भैरोंसिंह) |
| १४४६ | ६ | जीलाधीश | जिलाधीश |
| १४५० | ८ | लिये भेजे । | लिये भेजे |
| १४५० | स्कम्भ | ४१५० | १४५० |
| १४५३ | अन्तिम | श्री अध्यक्ष | श्रीअध्यक्ष |
| १४५४ | ७, २०, २३ व २६ | कन्ज्यूसर | कन्ज्यूमर |
| १४५५ | १७ | श्री मुरलीधर न्यास | श्री मुरलीधर व्यास |
| १४५७ | १५ व २५ | एक्जोर्ब | एब्ज़ोर्ब |
| ,, | २० | य द हां | यदि हां |
| ,, | अन्तिम | धार्गिक | धार्मिक |
| १४६० | २३ | सभाज | समाज |
| ,, | अन्तिम से ३ | धरीवाल | धारीवाल |
| १४६१ | ६ | बडन | बर्डन |
| १४६२ | १६ | म्रष्टाचार | भ्रष्टाचार |
| १४६३ | २८ | निराघार | निराधार |
| ,, | अन्तिम | सुपीरिय | सुप्रीरियर |
| १४६४ | १५ | सभझती | समझती |
| ,, | २४ | आर्ज्वेंशन्स | ऑब्ज़र्वेशन्स |
| १४६५ | १६ | रावर जा | रावराजा |
| ,, | २४ | निवे- | निवेदन |
| १४६६ | १० | धारीवल | धारीवाल |
| ,, | १८ | श्री रखवचन्द | श्री रिखबचन्द |
| १४६६ | १६ | कस | किस |
| १४६६ | २-३ | ( चन्दलाई ) : | विलोपित कीजिये |
| ,, | १६ | मैटरा | मैटर |

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १४६६ | २० | करवइये | करवाइये |
| ,, | अन्तिम | ता | तो |
| १४७१ | ३ | अतान्ति | अवाप्ति |
| ,, | २१ | ओवइसीबर्स | ओवरसियर्स |
| १४७३ | १८ | में वापिस की जाने योग्य है वह तुरन्त | वापिस की जाने योग्य है वह तुरन्त |
| ,, | ९२ | (श्री दामोदरलाल व्यास | (श्री दामोदरलाल व्यास) |
| १४७४ | १२ | सख्या २०५ | संख्या २०५ |
| ,, | १६ | पाना की | पानी की |
| १४७५ | १५ | ऐशा | ऐसा |
| १४७६ | २५ | ही इसका एक | इसका एक ही |
| १४७८ | २४ | अध्यत्त | अध्यक्ष |
| ,, | २७ | जुगलकिशार | जुगलकिशोर |
| १४७६ | शीर्षक | तारंकित | तारांकित |
| ,, | १० | तेग्लीजीब्ल | नेग्लीजिब्ल |
| ,, | १६ | मै | में |
| १४८१ | अन्तिम से २ | बाद दिय | बाद यदि |
| १४८२ | ८ | उपनिवशन मंत्री | उपनिवेशन मंत्री |
| १४८४ | १६ | मेरे पास | मेरे पास |
| १४८७ | ४ | एलाइनांमेन्ट | एलाइनमेन्ट |
| ,, | १६ | विद्याथियों | विद्यार्थियों |
| १४८६ | २ | सह है कि महकमा के लोनाइजेशन | सही है कि महकमा कोलोनाइजेशन |
| ,, | ७ | पंचायतों | पंचायतों |
| १४९०–६१ | शीर्षक | सितम्बर ६६ | सितम्बर, ६१ |
| १४६१ | १६ | मुश्तह | मुश्तहक |
| ,, | २० | कानून न उसको | कानूनन उसको |
| १४६३ | ८ | क्वेश्चन्से | क्वेश्चन्स |
| ,, | २२ | में | मैं |
| ,, | २७ | अमेन्डमेन्ट | अमेन्डमेन्ट |
| १४६४ | ११ | I Wouid repuest | I would request |
| ,, | १८ | facliitate | facilitate |
| १४६५ | ६ | H use | House |
| ,, | १४ | Hondle | Hon'ble |

(१)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १४६५ | १५ | Privilage | privilege |
| ,, | १६ | bribg | bring |
| ,, | १७ | Privileye | privilege |
| ,, | २० | Privilegelt | privilege |
| १४६६–१५६१ | शीर्षक | राजस्थान गोदाम विधेयक, १६६१ | राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१ |
| ,, | ४–५ | Somedtebody | somebody |
| ,, | ५ | Ordar | Order |
| ,, | १४ | Puestlon | question |
| १४६७ | २ | Mlriste | Mlnister |
| १४६८ | ७ | CertainIp | certainly |
| ,, | १० | Honble | Hon' ble |
| ,, | १२ | Shouid | should |
| ,, | २१ | Superses ion | supersession |
| १४६६ | १ | समिति | समिति |
| ,, | ३ | १६६१ पुर. | १६६१ को पुर: |
| १५०२ | २० | भारी गई | मारी गई |
| १५०५ | स्कम्भ | १५५ | १५०५ |
| १५०८ | २० | ह ार | हजार |
| ,, | अन्तिम से ४ | आविश्कता | आवश्यकता |
| १५०६ | १३ | सहयता | सहायता |
| १५११ | १ | fof | for |
| १५१४ | १४ | लाखां | लाखों |
| ,, | २७ | ग्र:न्टस | ग्रान्ट्स |
| १५१५ | अन्तिम | सप्लीमेन्ट्री | सप्लीमेन्टरी |
| १५१६ | १ | ग्रीन्ट्स | ग्रान्ट्स |
| ,, | १३ | श्री हरदेवजाशी | श्री हरिदेव जोशी |
| ,, | २० | Informtion | information |
| ,, | २५ | aud | and |
| ,, | २८ | Onnat | cannot |
| १५१७ | ५ | lnot | not |
| ,, | १४ | implicatons | implications |
| ,, | १५ | Whetrer | Whether |
| ,, | १६ | ths | the |

# Page No.121



| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १५१८ | ११ | चोधरी | चौधरी |
| ,, | २६ | education. sector. | education sector. |
| १५२० | ८ | वहू | वह |
| ,, | १२ | व्य क्ति | व्यक्ति |
| १५२२ | अन्तिम | नराकरण | निराकरण |
| १५२४ | १ | बाड़ | बाढ़ |
| ,, | १६ | जिम्भेदारी | जिम्मेदारी |
| १५२७ | १४ | tha | that |
| १५२६ | अ ंतिन से ३ | सम्बन्ध से बड़ा भारी बुःख | सम्बन्ध से बड़ा भारी दुःख |
| १५३० | १ | अ तर्गत | अन्तर्गत |
| १५३१ | ११ | दॆंगे | देंगे |
| ,, | १७ | क्योंर्कि | क्योंकि |
| १५३२ | १ | साघारण | साधारण |
| ,, | १३ | महायाजा | महाराजा |
| ,, | २७ | नहां है | नही है |
| १५३३ | १ | श्री गुरलीधर | श्री मुरलीधर |
| १५३४ | अन्तिम से २ | Foint | point |
| १५३५ | १ | श्रोरीजिनल | ओरीजिनल |
| १५३६ | ६ | साधारणतथा | साधारणतया |
| ,, | २२ | पोइन्ट्रस | पोइन्ट्स |
| १५४० | १ | धहादुर | बहादुर |
| १५४३ | ४ | पोलिटिकज | पोलिटिकल |
| १५४६ | २७–२८ | ail but iunning | all but running |
| १५४७ | २० | expiain | explain |
| ,, | २६ | oltiz^ns | citizens |
| ,, | ३४ | Teh ild^r | Tehsildar |
| १५४८ | ६ | canno | cannot |
| ,, | १८ | duy | duty |
| १५४६ | ५ | auetion | auction |
| ,, | १३ | bnt | bnt |
| ,, | १८ | a R. | at Rs. |
| १५५० | १५ | costing temporaty structure | temporary structure costing |
| ,, | १६ | ond | and |

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १५५० | २५ | structure | Structure is |
| १५५१ | ७ | conc rned | concerned |
| ,, | ८ | on y | only |
| ,, | १३ | S ndhi | Sindhi |
| ,, | २८ | How, can | How can |
| ,, | ३५ | at all For | at all. F'r |
| १५५२ | १ | are net | are not |
| ,, | २६–२७ | tell. us | tell us |
| १५५७ | १ | औरा | औरों |
| १५५८ | १७ | श्री ज्वाशाद्रसाद | श्री ज्वालाप्रसाद |
| ,, | २१ | राजनैसिक | राजनैतिक |
| १५५९ | १७ | जम्मेदारी | जिम्मेदारी |
| १५६० | ११ | minster | Minister |
| १५६३ | ८ | स्टेटमेन्ट | स्टेटमेन्ट |
| १५६७ | १० | debtc. | debate |
| १५६९ | अन्तिम से १ | एहस्बेन्ड्री | हस्बेन्डरी |
| १५७३ | अन्तिम पंक्ति | osder... | order... |
| १५७४ | १ | श्री उपाध्यक्ष : order please ! of | श्री उपाध्यक्ष: orderplease ! I |
| ,, | २५ | में अर्ज | मैं अर्ज |
| ,, | अन्तिम से २ | persona lexplanation | personal explanation |
| १५७५ | १९ | उपाध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| ,, | अन्तिम से २ | ciCoroect | incorrect |
| १५७८ | ६ | you how you at maitain | you, how you maintain |
| १५७९ | ६ | negnity and of | dignity and if |
| ,, | ७ | ma-ner | manner |
| ,, | २५ | बलाये | बतलाइये |
| १५८२ | ६ | श | श्री |
| १५८५ | १५ | क्क्सीडेन्ट | एक्सीडेन्ट |
| १५८६ | ६ | ता हनको | तो हमको |
| १५८७ | १६ | Hon'ple | Hon'ble |
| ,, | २७ | reserne | reserve |
| ,, | २४ | व शीर्षक | मुख्य शीर्षक |
| १५९१ | ६ | एप्रोप्रिएश्न बिल नं० ४ | एप्रोप्रिएशन ( नं० ४ ) बिल |

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १५६१ | १७ व २४ | Excess demand | Excess Demands |
| १५६४ | अन्तिम से ३ | संकत | संकेत |
| १५६५ | अन्तिम से ४ | कह: | कहां |
| १५६७ | ५ | सैक्ट्रे रिएट | सेक्रेटेरियेट |
| ,, | ११ | उपाय्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| ,, | १७ | के सब्जी मनडी | को सब्जीमंडी |
| ,, | २७ | और बैठा रहा | और वह बैठा रहा। |
| ,, | ३१ | लोकों | लोगों |
| १५६८ | ११ | मिला कि था | मिला था कि |
| ,, | २६ | दिनां | दिनों |
| १५६६ | ८ | ज्यादातियां | ज्यादतियां |
| ,, | २३ | औरदल दिया | और दबा दिया |
| १६०० | १८ | ननृह्यूमन | इनह्यूमन |
| १६०२ | १ | मुकदभा | मुकदमा |
| १६०६–७ | शीर्षक | ।सतम्बर | सितम्बर |
| १६१० | २८ | ऑडर | ऑर्डर |
| १६११ | २३ | प्रतिनिधि | प्रतिनिधि |
| १६१२ | १३ | उपाघ्यःक्ष | उपाध्यक्ष: |
| १६१३ | स्कम्भ | [१६१ | [ १६१३ |
| ,, | २ | orber | order |
| १६१४ | स्कम्भ | ६४ | १६१४ |
| १६१८ | २७ | अ र दावा करके ह ंना | ऊपर दावा करके हर्जाना |
| १६२० | ३ | Tw | The |
| ,, | २५ | कन्सन | कन्सर्न |
| १६२२ | १८ | इ लिए | इसलिये |
| १६२४ | स्कम्भ | १५२४ | १६२४ |
| १६२४ | अन्तिम से २ | क्वाटर्स | क्वार्टर्स |
| १६२५ | १७ | ख। | खर्चे |
| ,, | ३० | क | कि |
| १६२६ | २२ | तसलम | तस्लीम |
| १६२८ | २८ | केसज | केसेज़ |
| १६३१ | ११ | १६५७ | १६५८ |
| ,, | २४–२५ | ( स्वीकृत ) ०५६ रुपये तक की राशि प्रदान की जाय। | ०५६ रु०तक की राशि प्रदान की जाय। ( स्वीकृत ) |

# Page No.124

(७)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १६२२ | अन्तिम से २ | निमाण कार्य | निर्माण कार्य |
| १६३३ | शीर्षक | म गों | मांगों |
| १६३४ | शीर्षक | राजस्थान मुखबंध | मांगों पर मुखबन्ध |
| ,, | १३ | राजस्थन | राजस्थान |
| १६४१ | ११ | इमीजियेट | इमीजियेट |
| ,, | १२ | अधिकार | अधिकारी |
| ,, | अन्तिम | हां के | वहां के |
| १६४४ | १७ | गहरी पसीने | गहरे पसीने |
| १६४५ | अन्तिम | उसक | उसका |
| १६४६ | शीर्षक | जस्थान | राजस्थान |
| १६४६ | २५ | ( कुशलग्ढ़ ) | ( कुशलगढ़ ) |
| १६५० | २३ | अ ैर | और |
| १६५१ | २७ | चार्जेड़ | चार्जेज़ |
| ,, | ३२ | डेवलप्मेन्ट | डेवलपमेन्ट |
| १६५२ | १२ | उपाघ्याय | उपाध्याय |
| १६५६ | २० | ( सख्या ४ ) | ( संख्या ४ ) |
| ,, | २१ | १९६१ | १६६१—१४९९ |
| १६५७ | १० | पारत | पारित |
| ,, | १४ | पुलिस | पुलिस—१५६१ |
| ,, | २१ | मुखबन्ध | मुखबन्ध |
| १६५६ | ६ | उपाध्वाय | उपाध्याय |
| ,, | ३ | १६६१ | १६६१—१६३४ |
| १६६० | स्कम्भ २ अन्तिम पंक्ति | Sw a | Swami |

## अनुपूरक शुद्धि-पत्र

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १४४० | शीर्ष | ( श्रा पूनमचन्द विश्नेई ) | (श्री पूनमचन्द विश्नोई) |
| १४५७ | २४ | जी नह । | जी नहीं । |
| १५१२ | अन्तिम से १ | श्रा हरदेव | श्री हरिदेव |
| १५६६ | शीर्ष | (श्री मुरलीधर व्यास) | (श्री मुरलीधर व्यास) |
| १५७६ | २१ | श्री तनमिह | श्री तनसिंह |
| शुद्धि-पत्र का पेज ५ | कॉलम ४ पंक्ति २३ | how won | how you |